लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २६, १९५९/१८८० (शक)

[२३ फरवरी से ५ मार्च १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २६ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ११ से २०—२३ फरवरी से ५ मार्च, १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)

अंक ११—सोमवार, २३ फरवरी, १९५९/४ फाल्गुन, १८८० (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१९, ५२०, ५४७, ५२१ से ५२६, ५२८, ५२९, ५३१, ५३२, ५३४, ५३५ और ५३७ . .	११९७—१२२१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१२२२—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५३०, ५३३, ५३६, ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४६, ५४८ से ५६८	१२२४—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ से ६९१ और ६९३ से ७३४ . .	१२३७—७२
श्री बेदलपतला गंगाराजू का निधन—	१२७२
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना . .	१२७२—७४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२७४—७५
राष्ट्रपति से सन्देश . .	१२७५
राज्य-सभा से सन्देश	१२७५
चल-चित्र (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया	१२७५
प्राक्कलन समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	१२७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से अलग किया जाना	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तरों की शुद्धि	१२७६
विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . .	१२७७
१. भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक . . .	१२७७
२. बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक	१२७७
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	१२७७—८४
खण्ड २ से २० तथा १	१२७७—८१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२८१—८४

	पृष्ठ
वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	१२८४—१३११
भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१३१२—१८
दैनिक संक्षेपिका	१३१९—२५

अंक १२—मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९/५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७५, ५७७, ५८१, ५८३, ५८५, ५८६, ५८८, ५८९ और ५९३	१३२७—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८ से ५८०, ५८२, ५८४, ५८७, ५९० से ५९२ और ५९४ से ६२१	१३५२—६७
अतारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७९७ और ७९९ से ८४१	१३६७—१४१९
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	१४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१४१९
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित	१४२०
विशेषाधिकार समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	१४२०—२६
भारतीय आय कर (संशोधन) विधेयक	१४२७—४०
विचार करने का प्रस्ताव	१४२७—३९
खण्ड २ से ५ और १	१४३९—४०
पारित करने का प्रस्ताव	१४४०
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—	१४४०—५९
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१४४०—५७
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१४५७—५९
दैनिक संक्षेपिका	१४६०—६६

	पृष्ठ
अंक १३—बुधवार, २५ फरवरी, १९५९/६ फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ६३० और ६३२ से ६३४	१४६७—९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४	१४९१—९३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३१ और ६३५ से ६६२ . .	१४९३—१५०६
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ९३४	१५०६—४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५४४-४५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पैंतीसवां प्रतिवेदन . . .	१५४५
तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के अनुपूरकों के उत्तर की शुद्धि .	१५४६
विनियोग विधेयक—	
पारित	१५४६-४७
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . .	१५४७—८३
दैनिक संक्षेपिका .	१५८४—९०
अंक १४—गुरुवार, २६ फरवरी, १९५९/७ फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ से ६७०, ६७२ और ६७४ से ६७८ .	१५९१—१६१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७३ और ६७९ से ७२१ .	१६१२—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९४८ और ९५० से १०३१	१६३७—७८
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	१६७८-७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१६८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राज्य व्यापार निगम द्वारा एक संस्था को कास्टिक सोडा देने से कथित इन्कार	१६८०
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	१६८१—१७२२
दैनिक संक्षेपिका .	१७२३—२९

पृष्ठ

अंक १५—शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९/८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२५, ७२७, ७२९ से ७३४, ७३७, ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४७ और ७५१ . . . १७३१—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८, ७३५, ७३६, ७३९, ७४१, ७४२, ७४५, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५४ से ७६२ . . १७५६—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३२ से १११०, १११२ और १११३ . १७६४—१८०२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . १८०२—०३

विधेयक पर राय . . १८०३

राज्य-सभा से सन्देश . . . १८०३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १८०३

प्राक्कलन समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८०३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति —

बारहवां प्रतिवेदन . . . १८०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गंडक परियोजना के बारे में बिहार के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य . १८०४

सभा का कार्य . . . . १८०४—०५

रेलवे आयव्ययक सामान्य चर्चा . . . . १८०५—२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८२३

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के सम्बन्ध में संकल्प—अस्वीकृत . . . . १८२३—४१

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प . १८४१—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . १८४३—४९

अंक १६—शनिवार, २८ फरवरी, १९५९/९ फाल्गुन, १८८० (शक)

सामान्य आय व्ययक, १९५९-६० का उपस्थापन . . १८५१—७३

वित्त विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १८७३

दैनिक संक्षेपिका . . १८७४

पृष्ठ

अंक १७—सोमवार, २ मार्च, १९५९/११ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ७६७, ७६९, ७७१ से ७७३, ७७५ और ७७६ . . . १८७५—९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . १८९६—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७७ से ७९२, ७९४ से ७९६ और ७९८ से ८२० . . . . १८९७—१९१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४ से ११९१ १९१४—४५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १९४५—४७

अनुपस्थिति की अनुमति . . . . १९४७—४८

सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के बारे में प्रक्रिया . . १९४८

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १९४९—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १९९३—९८

अंक १८—मंगलवार, ३ मार्च, १९५९/१२ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ से ८२३, ८२५ से ८२८, ८३०, ८३१, ८३३, ८३५, ८३७ और ८४० से ८४३ . . १९९९—२०२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४, ८२९, ८३२, ८३४, ८३६, ८३८, ८३९, ८४४ से ८४७, ८४९ से ८६१ और ८६३ से ८७१ . . २०२५—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से १२०१, १२०३ से १२५० और १२५२ २०४१—६७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची में हुई भारत पाकिस्तान वार्ता . . . २०६८—६९

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . २०६९—७०

रेलवे आय-व्यय—सामान्य चर्चा . . . . २०७०—९०

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९५९-६० . . . . २०९०—२१२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २१२७—३१

अंक १९—बुधवार, ४ मार्च, १९५९/१३ फाल्गुन, १८८० (शक) — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७३, ८७६, ८८०, ८८४, ८८६, ८८७, ८९१, ८९३, ९२१, ८९४, ८९५, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०८ और ९१० . २१३३—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ से ८ २१५५—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२, ८७४, ८७५, ८७७ से ८७९, ८८१ से ८८३, ८८५, ८८८ से ८९०, ८९२, ८९६ से ९००, ९०५, ९०७, ९०९, ९११ से ९२० और ९२२ से ९२४ . २१६१—७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १३७३, १३७५ से १३८७ . २१७४—२२२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ दिनांक १७ १२-५८ के उत्तर में शुद्धि २२३०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २२३०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २२३१

राज्य-सभा से संदेश २२३१

प्राक्कलन समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन २२३१

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन . २२३१

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—

पुरःस्थापित २२३२

अनुदानों की मांगें—रेलवे १९५९–६० २२३२—७२

दैनिक संक्षेपिका . २२७३—८०

अंक २०—गुरुवार, ५ मार्च, १९५९/१४ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ से ९२९, ९३२ से ९३५, ९३७ से ९३९ और ९४२ २२८१—२३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३०२–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३६, ९४०, ९४१, ९४३ से ९५७ और ९५९ से ९६३ २३०३—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८८ से १४८१ २३१२—५०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

डॉक लेबर बोर्ड कलकत्ता में कर्मचारियों की मुअत्तली २३५१–५२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २३५२

राज्य-सभा से संदेश २३५३

रेलवे आय-व्ययक अनुदानों की मांगें, १९५९-६० . . . २३५३—२४१३

स्ट्रैप्टोमाइसीन तथा डीहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये करार के सम्बन्ध में

प्रस्ताव . २४१४—२८

कार्य मंत्रणा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन २४१७

दैनिक संक्षेपिका २४२९—३५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

---

388 (Ai) L.S.D.—12.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, २५ फरवरी १९५९

---

६ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सैकंडरी स्कूलों का पुनर्गठन

\+

†*६२२. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री राम कृष्ण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सैकंडरी स्कूलों के पुनर्गठन तथा उच्चस्तरीकरण-कार्य तेज़ करने के लिए कुछ उपाय निश्चित किये हैं ;

(ख) वे उपाय क्या हैं तथा उनमें और पिछले उपायों में क्या अन्तर है; और

(ग) क्या परिणाम निकला है या निकलेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड ने मद्रास में १५ तथा १६ जनवरी १९५९ को हुए २६वें सत्र में इस संबंध में कुछ सिफ़ारिशें की हैं। कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं मिला है। तथासमय कार्यवाही की एक छपी प्रति लोक-सभा सचिवालय के पुस्तकालय को भेज दी जायेगी।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या सरकार इन सैकंडरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन तथा कार्य परिस्थितियों पर भी विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार सैकंडरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने की कार्यवाही पहिले ही कर चुकी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

362 (Ai) LSD—1

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सभी सैकंडरी स्कूलों को हायर सैकंडरी स्कूलों में परिणत किया जा रहा है और जिस में पंद्रह एकड़ ज़मीन होगी उसी को हायर सैकंडरी स्कूल ट्रीट किया जाएगा ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने निवेदन किया है कि जो सैंट्रल एडवाइज़री बोर्ड की सिफारिशें हैं, उनको लाइब्रेरी में रख दिया जाएगा ।

श्री विभूति मिश्र : लाइब्रेरी में रखने के बारे में मैंने सवाल नहीं किया है । मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का सीधा जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं जी, नहीं दे सकते हैं—पुस्तकालय में कार्यवाही की प्रति रखे जाने पर माननीय सदस्य को आवश्यक पढ़नी चाहिये । यदि फिर भी कोई शंका या कठिनाई हो तो मैं सभा में उसे स्पष्ट करूंगा । माननीय मंत्री यहां हुई कार्यवाही का सारांश क्यों दें ।

श्री विभूति मिश्र : मैंने, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह पूछा था कि क्या सभी सैकंड्री स्कूलों को हायर सैकंडरी स्कूलों में परिणत करने सरकार जा रही है और उसी सैकंडरी स्कूल को हायर सैकंड्री स्कूल ट्रीट किया जाएगा जिसमें पंद्रह एकड़ ज़मीन रहेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं निवेदन कर चुका हूं कि गवर्नमेंट की यह पालिसी है कि धीरे-धीरे सभी हाई स्कूल्स को हायर सैकंडरी स्कूल्स में परिणत किया जाए और आशा की जाती है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सब हाई स्कूल्स हायर सैकंडरी स्कूल्स हो जायेंगे ।

जहां तक ज़मीन का ताल्लुक़ है, वह एग्रिकलचरल स्कूल्स के लिए आवश्यक होगी, कितनी चाहिये यह मैं अभी नहीं कह सकता हूं । लेकिन जहां टैक्निकल सबजैक्टस होंगे वहां ज़मीन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । जहां एग्रिकलचरल कोर्सिस होंगे, यह स्वाभाविक है कि खेती के लिए वहां ज़मीन हो और वह अवश्य होगी ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इस परामर्शदात्री समिति ने काल वृद्धि की कोई सिफारिश की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह रिपोर्ट में नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हां, श्रीमान् । केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड की सिफ़ारिशों के बारे में प्रश्न उठाया गया है और मैं बता चुका हूं कि ये पुस्तकालय में रखी जायेंगी ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन संबंधी सिफारिशों पर अधिक व्यय होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : शिक्षा के पुनर्गठन पर अधिक व्यय होगा ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : मैंने सुझाव दिया था केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड की सिफ़ारिशें अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण पटल पर रखी जानी चाहिये ताकि हमें उन पर विचार विमर्श करने का अवसर मिल सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह महत्वपूर्ण मामला है तो मैं इसके पुस्तकालय में रखे जाने पर भी विचार विमर्श की अनुमति दूंगा । रिपोर्ट आने दीजिये, फिर मैं आप जितने चाहेंगे प्रश्नों की अनुमति दूंगा ।

---

†मूल अंग्रज़ी में

अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह की परामर्शदात्री परिषद्

+

†*६२३. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह की परामर्शदात्री परिषद् में कोई संसत्सदस्य नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) क्या परामर्शदात्री परिषद् की बैठक राजधानी, पोर्ट बिलेयर, में होती है या यह निकोबार द्वीपसमूह में भी होती है ; और

(घ) परिषद् के सदस्यों के नाम ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) एक संसत्सदस्य अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह की परामर्शदात्री परिषद् में ३० सितम्बर, १९५७ से है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अब तक परिषद् की बैठकें केवल राजधानी में ही हुई हैं ।

(घ) श्री लक्ष्मण सिंह संसत्सदस्य, पोर्ट बिलेयर ।

श्री के० आर० गणेश, अबरदीन बाज़ार, पोर्ट बिलेयर।

श्री राजकी रंजन सरकार, मथुरा गांव, विम्बरलेगंज तहसील।

बिशप जॉन रिचार्डसन, कार निकोबार ।

हाजी सुब्बन अली, नार्थ बे पोर्ट बिलेयर ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : समिति के पुनर्गठन के बाद कितनी बैठकें हुई हैं ।

†**श्रीमती आल्वा** : बैठक साधारणतया तीन मास में एक बार होती है । और यदि आवश्यक हो तो अधिक बैठकें भी होती हैं । पिछले वर्ष एक बैठक नहीं हुई थी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि द्वीप दूर-दूर हैं और सवारी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य स्थान पर भी बैठक करने का है ताकि अब न आ सकने वाले लोग भी आ सकें ?

†**श्रीमती आल्वा** : अब तक बैठकें राजधानी में हुई हैं । यदि मुख्य आयुक्तचाहें तो बैठक किसी भी अन्य स्थान पर कर सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : परामर्शदात्री परिषद् में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने प्रतिनिधि हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति नहीं है ।

कोयला उत्पादन

†६२४. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में सरकारी में अब तक कोयला-उत्पादन का लक्ष्य कहां तक प्राप्त हो गया है ; और

(ख) क्या उत्पादन-लक्ष्य में किसी कमी की पूर्वाशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र का लक्ष्य १२० लाख टन था । इसमें से १५ लाख टन सिंगरेनी कोयला खानों से निकलना था और शेष १०५ लाख टन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा निकाला जाना था—कुछ इसकी पुरानी ग्यारह सरकारी खानों से परन्तु मुख्यकर अछूते कोयला निक्षेपों से ।

सिंगरेनी कोयला खानों से १९५५ के १५·२ लाख टन की अपेक्षा १९५८ में २१·२ लाख टन कोयला निकाला गया अर्थात् ६ लाख टन की, लक्ष्य के लगभग ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

१९५८ के अन्त तक ११ पुरानी सरकारी खानों के लिये निर्धारित ५ लाख टन के अधिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो गया था अपितु पीछे रह गया था—उस वर्ष उत्पादन १९५५ के २८ लाख टन की अपेक्षा ३४·८ लाख टन था, अर्थात् मूल उत्पादन में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का क्षेत्रवार लक्ष्य तथा १९५८ के अन्त तक उसकी कुछ नई खानों में हुई प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ख) आशा है कि चालू योजना-काल की समाप्ति के पूर्व सरकारी क्षेत्र में इतना अधिक उत्पादन होने लगेगा कि वह वार्षिक १२० लाख टन के अनुकूल होगा ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : कुछ समय पूर्व बताया गया था कि कोरबा कोयला-खानों का ४० लाख टन अधिक उत्पादन का लक्ष्य है तथा श्रिामपुर-कोरिया कोयला खानों में ३० लाख टन उत्पादन होगा ? फिर बताया गया कि ये पुनरीक्षित हो कर १६ लाख टन और ५ लाख टन रह गये हैं । यह इस अधिक उत्पादन का समायोजन किन नई कोयला-खानों में होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह सब पटल पर रखे गये विवरण में दर्शाया गया है । यदि आप इसे जोड़ें तो यह १०६ लाख टन बनता है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : कोरबा कोयला-खान के सामने १६ लाख दिखाया गया है जब कि यह आरम्भ में ४० लाख बताया गया था । यह अधिक ३० लाख टन कहां चले गये, कोरबा के बजाये किस कोयला-खान का उत्पादन बढ़ा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं योग बता चुका हूं और वे विभिन्न खानें भी बता चुका हूं जिनसे यह निकाला जायगा। माननीय सदस्य एक की कमी किसी भी कोयला-खान से जोड़ सकते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : १९५८ में कर्णपुर कोयला-खानों से कितना कोयला निकाला गया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : विवरण के उत्तरार्द्ध में कुछ उल्लेख है। मुख्य रूप से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजकल कोई उत्पादन थोड़ा है। क्योंकि यद्यपि कोयला मिल गया है परन्तु अभी परिवहन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और आशा है कि ये कुछ मास उपरान्त उपलब्ध होंगी। इनके उपलब्ध होने पर वास्तविक उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या कर्णपुर कोयला-खानों से ६५ लाख टन कोयला निकालने के लिये आवश्यक मशीनें तैयार हैं और वे केवल रेलवे साइडिंग की प्रतीक्षा कर रही हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि सारे अधिक उत्पादन के लिये आवश्यक सारी मशीनों की मोटे तौर पर ५० प्रतिशत के लिये क्रमादेश दे दिये गये हैं एवं उनमें से अधिकतर कार्य-स्थान पर आ गई हैं। मशीनों के अभाव के कारण मैं कमी की पूर्वाशा नहीं करता।

†**श्री तंगामणि**: पिछली बार बताया गया था कि जनवरी-अक्तूबर १९५८ में कुल उत्पादन ३७.९६ लाख टन हुआ। १९५८ में कितना उत्पादन हुआ और क्या इसमें कोई कमी हुई ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह प्रश्न सरकारी कोयला खानों का है। १९५८ के अन्त तक के कुल उत्पादन के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। यदि अलग पूर्वसूचना दी जाय तो मैं वे आंकड़े प्राप्त कर लूंगा।

†**श्री महन्ती** : पूर्वाशा की गई थी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में १९५५–५६ के कोयला-उत्पादन की अपेक्षा ५० प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या यह लक्ष्य प्राप्त होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र में यह लक्ष्य प्राप्त होगा और यह भी बताया था कि यह अधिक उत्पादन किन कोयला-खानों से होगा। यह भी आशा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र भी अपना लक्ष्य, जो उनके लिये निर्धारित है, प्राप्त कर लेंगे।

'राकट' छोड़ना

+

†*६२५. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारतीय नक्षत्र-विज्ञान संस्था तथा भारतीय की अन्य वैज्ञानिक संस्थायें 'राकेट' छोड़ने के प्रयोग कर रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं की कार्यवाहियों को सूत्रवद्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) 'राकेट' विज्ञान में देश में क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) भारतीय नक्षत्र-विज्ञान संस्था, मैसूर ने सूचना दी है कि इसने देश में पांच राकेट छोड़े हैं। किसी अन्य वैज्ञानिक संस्था द्वारा राकेट छोड़ने का कोई प्रयोग किये जाने का सरकार को ज्ञान नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अब तक किये गये प्रयोग से कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हुआ ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या हम उन देशों से इसके लिये परामर्श लेंगे जो राकेट छोड़ चुके हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह मामला मूल रूप से प्रतिरक्षा मंत्रालय का है । उनके विशेषज्ञों से परामर्श करने पर हमें बताया गया था कि बंगलौर में इस संस्था द्वारा किये गये प्रयोग प्रारम्भिक हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस संस्था द्वारा छोड़े गये ये पांच राकेट अन्य देशों के राकेटों की अपेक्षा कैसे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मुझे कहा गया है कि ये बहुत ही प्रारम्भिक प्रकार के हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या संयुक्त राज्य अमरीका और रूस की सरकारों से कोई लिखा पढ़ी की गई है या करने का विचार किया जा रहा है ताकि भारत के वैज्ञानिकों को वहां भेज कर इस बारे में प्रशिक्षण दिलाया जा सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम कुछ अन्य कार्यों में लगे हैं । मैं नहीं समझता कि हम वहां आ गये हैं जहां ऐसा परामर्श हमारे मत से बहुत लाभदायक होगा ।

विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध

†*६७६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने से विदेशी विनिमय में कोई विशेष बचत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ३१ जनवरी, १९५९ के अन्त तक कितनी राशि बचाई गई ;

(ग) इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने वालों पर कोई अभियोग चलाया गया है या उनके खिलाफ कोई और कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तथा (ख) .जनवरी १९५७ में विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे । १९५६ की अपेक्षा निम्न बचत हुई :

१९५७	९.५३ करोड़ रु०
जनवरी—नवम्बर १९५८	९.५४ करोड़ रु०

दिसम्बर १९५८ और जनवरी १९५९ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ). सर्वप्रकार के उल्लंघन के मामलों की संख्या, जिनका न्यायनिर्णय पालन निर्देशक ने किया, ३१ दिसम्बर, १९५८ तक १३२ थीं । इन में से कुछ मात्र विनियमों के उल्लंघन थे । इस काल में कोई अभियोग नहीं चलाया गया ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिये १७ अक्टूबर, १९५८ को निर्धारित की गई ७५ रु० की राशि हटा दी गई है अथवा वही चल रही है ? क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है कि यह राशि बहुत कम है और विदेश जाने के व्यय के लिये सर्वथा अपर्याप्त है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : राशि ७५ रु० निर्धारित है । यह हटाई नहीं गई है । सरकार सभी प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर चुकी है । निर्णय वही है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या कोई अभियोग चलाया गया है क्योंकि ५ दिसम्बर, १९५८ को माननीय मंत्री ने कहा था कि अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पकड़े जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है और अभियोग चलाये जाते हैं । क्या १३२ पकड़े गये मामलों में से किसी के खिलाफ अभियोग चलाया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : १३२ मामलों में न्यायनिर्णय किया गया था तथा जुर्माने किये गये थे । इस काल में कोई अभियोग नहीं चलाया गया ।

†**श्री त्यागी** : क्यों विदेश भेजे जाने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडलों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है क्योंकि हाल में ही हमने समाचारपत्रों में पढ़ा था कि लगभग ४० वैज्ञानिकों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिनमें क्लर्क और आफिसों के सुपरिन्टेन्डेन्ट भी थे, विदेश भेजा गया था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों के बारे में प्रधान मंत्री का विशिष्ट आदेश है कि इनकी विस्तृत जांच होनी चाहिये तथा इस मंत्रालय में हम ऐसे सारे प्रतिनिधिमंडलों की बड़ी बारीकी से जांच करते हैं । वैज्ञानिकों के विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल के बारे में उत्तर देने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह सच है कि कुछ फर्मों तथा उनके प्रतिनिधियों को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा-कार्डों पर यात्रा करने की सुविधा है तथा व्यय उनके विदेशी सहयोगी उठाते हैं ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, कितने व्यक्तियों ने इससे लाभ उठाया है और क्या सरकार ने इसकी जांच पड़ताल की है कि इन व्यक्तियों को यह धन कैसे प्राप्त होता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या विचाराधीन काल में सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों पर व्यय में कुछ कमी हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** केवल सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों पर ही नहीं अपितु सारी मदों के व्यय में कमी हुई है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** चार वर्ष पूर्व विदेश जाने वाले यात्रियों का मूल यात्रा-कोटा कितना था और आजकल जाने वाले यात्रियों को कितने मूल कोटे की अनुमति है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** आजकल कोई मूल यात्रा-कोटा नहीं है । वह समाप्त हो गया है । मेरा ख्याल है कि दिसम्बर १९५६ तक कोटा ७०० पौंड था, परन्तु इन आंकड़ों पर त्रुटि होने पर शुद्धि हो सकती है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** विदेशी विनिमय का उल्लंघन सम्बन्धी श्री एस० पी० जैन का मामला इस सभा में रखा गया था । हम विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि क्या उसके खिलाफ अभियोग चलाया गया है या अभी नहीं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** उस मामले में अभी कार्यवाही हो रही है न्यायनिर्णय-कार्य चल रहा है ।

टैगोर का १००वां जन्मोत्सव

†*६२७. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अरविंद घोषाल : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैगोर के १००वें जन्मोत्सव के अवसर पर उनकी साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ जिस समिति की नियुक्ति की गई थी उसने अपनी विस्तृत योजना प्रस्तुत कर दी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) उसके पश्चात् से जो प्रगति हुई है वह निम्नलिखित है :

(१) श्री टैगोर के प्रारम्भिक उपन्यास 'चोखेट बाली' का अंग्रेजी अनुवाद मार्च १९५९ में प्रकाशित होगा ।

(२) २१ कहानियों और चोखेट बाली का बंगाली से पंजाबी अनुवाद प्रेस में जाने के लिये तैयार है ।

(३) 'चोखेट बाली' और 'गोरा' का मराठी में अनुवाद कराने का काम दे दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** १५ दिसम्बर, १९५८ को उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा था कि ५०० गीतों की देवनागरी में पांडुलिपि छप रही है। क्या वह छप कर तैयार है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** वे अभी छप रहे हैं। अन्यथा मैं इसका उत्तर पहले प्रश्न में ही दे देता।

†**श्री साधन गुप्त :** समिति ने जो योजना प्रस्तुत की है वह क्या है ? उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह एक बहुत बड़ा विवरण है। मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा। संक्षेप में मैं यह बता दूं कि यह विचार है कि टैगोर की सभी साहित्य का, जिनमें उपन्यास, काव्य, निबन्ध, नाटक, पत्र आदि हैं, आठ खंडों में भारत की सभी भाषाओं में प्रकाशन कराया जाये। और यह भी विचार है कि यूनेस्को के सहयोग से एक शताब्दी अंक निकाला जाये जिसमें मुख्यतः टैगोर से सम्बन्धित लेख होंगे और मानवता सम्बन्धी वे विभिन्न लेख होंगे जिनमें वे रुचि रखते थे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् ! मैं यह जानना चाहता हूं कि रवीन्द्र साहित्य के प्रकाशन के लिये कितने खर्चे का अनुमान लगाया गया है और अब तक कितना खर्च हो चुका है ?

श्री हुमायून् कबिर : खर्चे का अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। अगर माननीय सदस्य मुझे इसके लिये नोटिस देंगे तो मैं उनको बाद में बतला सकूंगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या टैगोर की आत्मकथा का कोई प्रमाणित संस्करण भी निकालने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह विचाराधीन है।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या शताब्दी अंक के लिये विदेशी लेखकों से भी लेख मांगे गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** विदेशी लेखकों से भी लेख मंगाने का विचार है किन्तु अभी तक उनके नामों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या टैगोर की कला और उनके जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं से ओतप्रोत लेखों वाला शताब्दी अंक केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होगा अथवा सरकार हिन्दी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उसका अनुवाद भी करायेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** चूंकि यह प्रकाशन यूनेस्को का होगा अतः सर्वप्रथम यह अंग्रेजी तथा यूनेस्को की अन्य भाषाओं में प्रकाशित होगा। और इसके प्रकाशित हो जाने के पश्चात् हम इसे भारत की सभी मुख्य-मुख्य भाषाओं में अनुवाद कराने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या प्रस्तुत योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है और क्या सम्पूर्ण योजना को प्रभावी बनाया जायेगा अथवा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस प्रकार की कोई निश्चित योजना नहीं है। बहुत से सुझाव दिये गये थे और शताब्दी समिति ने उन सुझावों में से बहुत महत्वपूर्ण सुझावों का चयन कर लिया है और उनके बारे में ही विचार हो रहा है। मेरा विचार है कि उन सभी सुझावों पर धीरे-धीरे विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी के कथन से मालूम हुआ कि पहले के इन आठ खंडों में उनका सारा साहित्य नहीं निकलेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना भी बनायी जा रही है जिसमें सारी भारतीय भाषाओं में रवीन्द्र बाबू का सारा साहित्य प्रकाशित हो जाय और सब को प्राप्त हो सके ?

श्री हुमायून् कबिर: रवीन्द्र बाबू का सारा साहित्य जो बंगला भाषा में निकला वह २७ वाल्यूम में निकला और हर वाल्यूम में ६०० पेजेज़ हैं । और उसमें भी अभी तक बराबर नया नया साहित्य निकल रहा है । इसलिये ६०० पेजेज़ वाले २७ वाल्यूम के साहित्य को सारी भारतीय भाषाओं में निकालना ज़रा कठिन काम है । मेरे ख्याल में अगर यह पहले के ८ वाल्यूम ही निकाले जा सकें तो यह एक काफी प्रगतिपूर्ण काम होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह स्मृति अंक यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला है । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या अंक का वास्तविक लेखनकार्य शताब्दी समिति द्वारा किया जायेगा अथवा यूनेस्को द्वारा नियुक्त समिति द्वारा । यदि यूनेस्को समिति द्वारा किया जायेगा तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमने शताब्दी अंक की रचना एवं उसके लेख आदि पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई है और उस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं और इन सिफारिशों को हम यूनेस्को भेज देंगे । और यूनेस्को इस सम्बन्ध में क्या करेगा यह बताने में मैं असमर्थ हूं ।

†**श्री नारायण स्वामी** : क्या टैगोर उत्सव समिति कोई स्मृति अंक निकालेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने अभी बताया है कि एक शताब्दी अंक निकाला जायेगा ।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि टैगोर की बहुत सी पुस्तकों का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हो भी चुका है । क्या सरकार जो अनुवाद हो चुके हैं उनके बारे में कोई जानकारी एकत्रित कर रही है, अथवा सरकार विभिन्न भाषाओं में अन्य लेखकों द्वारा उनका अनुवाद करायेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जहां कि अच्छे अनुवाद उपलब्ध हैं वहां उनको फिर से कराने में तो कोई लाभ नहीं है किन्तु बहुत सी जगह उनमें फिर से परिवर्द्धन कराने की आवश्यकता है ।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या इस सम्बन्ध में आप पूछताछ करेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर**: हम पूछताछ कर रहे हैं । वास्तव में इस उत्सव समिति का यह भी विचार है कि टैगोर के कार्यों की एक सम्पूर्ण ग्रन्थसूची निकाली जाये—और इस सम्बन्ध में कार्य हो रहा है—यह सूची टैगोर सम्बन्धी भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों की नहीं होगी अपितु अन्य भाषाओं के प्रकाशनों की भी होगी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन विदेशी लेखकों को छोड़ कर जिनको कि निमंत्रण पत्र दिये गये हैं सरकार उन भाषाओं के बारे में अर्थात् पश्चिम अफ्रीकी भाषायें जैसे 'फान्ती' और 'ट्वी' के बारे में भी विचार करेगी जिनमें कि कवि टैगोर अपने जीवन काल में अपने प्रकाशनों का अनुवाद कराने के सम्बन्ध में सोचा करते थे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह सुझाव कार्यवाही में लाने योग्य है । हम इस पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त की गई है उसमें क्या सभी भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि हैं और क्या उनके सदस्यों के नाम बताने की कृपा की जायेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** पिछली बैठक में जो सदस्य उपस्थित थे वे ये हैं :—श्री जवाहरलाल नेहरू, सभापति ; डा० राधाकृष्णन, डा० केसकर .....

†**अध्यक्ष महोदय :** नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । वे केवल यही जानना चाहते हैं कि क्या उस समिति में सभी भाषाओं के प्रतिनिधि हैं ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** हमने भाषाओं के विचार से सदस्य नहीं चुने हैं । बल्कि हमने साहित्य अकादमी तथा दूसरी प्रतिनिधि निकायों से सदस्य लिये हैं । मैं यह जानने का प्रयत्न करूंगा कि क्या उसमें सभी भाषाओं के प्रतिनिधि हैं अथवा नहीं ।

हिन्दू धार्मिक संस्थाओं से आय

*६२८. +**श्री भक्त दर्शन :**
श्री हेम राज :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **विधि** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू धार्मिक संस्थाओं, मठों व मन्दिरों की आय का उचित उपयोग करने और उनके विकास के प्रश्न के बारे में अन्तिम निर्णय करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : यह विषय अभी तक विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, इस सम्बन्ध में पिछले लगभग दो वर्षों से सरकार की ओर से यह उत्तर मिल रहा है कि यह प्रश्न विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी विशेष कठिनाइयां हैं जिनकी कि वजह से निर्णय करने में इतनी देरी हो रही है ?

श्री हजारनवीस : इसके बारे में राज्य सरकारों को पूछा गया । उनकी भी राय ली गई और उनकी राय आने के बाद विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, अब तक राज्य सरकारों की जो सम्मतियां ली गई हैं तो क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि राज्य सरकारों ने किस प्रकार की सम्मतियां दी हैं अर्थात् वह इसका समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** किसी प्रस्ताव विशेष के विरोध करने अथवा समर्थन करने की कोई बात नहीं है । इस समस्या से सम्बन्धित कुछ मामलों के बारे में विधान के स्वामित्व के सम्बन्ध में उनके विचार मांगे गये थे—उदाहरणार्थ पंजीयन का प्रश्न, लेखा के बारे में, तथा विधियों के विनियोजन आदि के बारे में । कुछ राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित किये गये कुछ अधिनियम हैं और उनमें से कुछ तो कुछ प्रयोजनार्थ काफ़ी हो सकते हैं और अधिनियमों में कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है । राज्य सरकारों की राय जानने के पश्चात् मंत्रिमंडल

---

†मूल अंग्रेजी में

के निर्देश के आधार पर एक समिति बनाई गई जिसने इस प्रश्न की जांच की और मंत्रिमंडल को अपना प्रतिवेदन दिया। मंत्रिमंडल ने इस समस्या से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में विधि बनाने के लिये वापस भेज दिया है और अब विधि का प्रारूप तैयार हो रहा है।

†**श्री हेम राज** : क्या मैं जान सकता हूं कि जो ये रिलीजस इन्सटीट्यूटस हैं उनकी कोई गिनती की गई है और अगर की गई है तो कितने ऐसे इन्सटीट्यूट्स हैं जो उसमें आयेंगे और उनसे क्या इनकम होगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : इस प्रकार की संस्थाओं की गिनती का प्रश्न तो केवल तभी उठेगा जब कि इस प्रस्तावित विधि में इसके बारे में कोई सत्ता ली जाती है।

श्री भक्त दर्शन : मंत्री जी ने अभी बताया कि केबिनेट के निर्णय के अनुसार एक विधेयक बनाया जा रहा है व एक लेजिस्लेशन की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें बुनियादी सिद्धान्तों का निर्णय किया जा चुका है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से मोटे मोटे बुनियादी सिद्धान्त हैं जिनके कि आधार पर यह विधेयक बनाया जा रहा है।

†**श्री अ० कु० सेन** : हमें उन बुनियादी सिद्धान्तों के बारे में पूर्वकल्पना नहीं करनी चाहिये जो विधेयक में स्वीकार किये जायेंगे। यह मामला तो खाली विचार का है कि कौन से सिद्धान्त बुनियादी हैं और कौन से सिद्धान्त बुनियादी नहीं हैं। इसके बारे में सिद्धान्तों को इतना महत्व नहीं है जितना कि समस्या का। इसलिये माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह थोड़ा धैर्य रखें जैसा कि प्रायः वे करते हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : अभी कुछ दिन पूर्व समाचारपत्रों में छपा था कि नाथद्वार मन्दिर से बहुत सा धन हटाया गया है। क्या सरकार इस प्रकार की चीज़ों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये बहुत शीघ्र ही कोई विधि बनायेगी ?

†**श्री अ० कु० सन** : इस प्रकार के सभी मामलों पर अलग-अलग से विचार किया जायेगा और यह देखा जायेगा कि किसी मामले विशेष पर नियंत्रण रखने के लिये क्या किसी सामान्य विधि की आवश्यकता है।

†**श्री वें० प० नायर** : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस प्रश्न पर कुछ दिनों से विचार कर रही है। क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि इन संस्थाओं से कुल वार्षिक आय कितनी होती है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जब तक उनकी सही जांच नहीं की जाती तब तक इस सम्बन्धी विचार भ्रमात्मक है। वास्तविक जांच किये बिना उन विचारों का प्रकट करना ठीक नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : द्वितीय, तृतीय तथा अन्य योजनाओं को क्रियान्वित करने में जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं उनको दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार ने कभी सोचा है कि इन देवी देवताओं से राष्ट्र की सहायता के हेतु प्रार्थना की जाये ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†**श्री जाधव** : इन धार्मिक संस्थाओं के पास कितने मूल्य का सामान है अथवा इनकी वार्षिक आय कितनी है इस सम्बन्ध में क्या कभी अनुमान लगाया गया है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने अभी इसका उत्तर दिया है । अगला प्रश्न ।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या मैं पूछ सकता हूं . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उस समय खड़े हुये हैं जब अन्य दूसरे सदस्य अपने प्रश्न पूछ चुके हैं ।

†श्री जोकीम आल्वा : एक औचित्य प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि मन्दिरों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह शासकीय वृतान्त में से निकाल दिया जायेगा ।

†श्री नाथपाई : माननीय सदस्य ऐसा तब कह सकते हैं कि जब कि वह सभा के अधिष्ठाता बन जायें ।

उच्च प्रोद्योगिकी संस्था, कानपुर

+

†*६२६. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख अमरीकी इंजीनियरिंग शिक्षा वेत्ताओं का जो सर्वेक्षण दल दिसम्बर १९५८ में भारत आया था उसने कानपुर में उच्च प्रोद्योगिकी संस्था की स्थापना करने के बारे में अन्तिम अथवा स्थायी प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**:(क) उस दलने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है और शीघ्र ही विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) दल ने बताया है कि यह प्रोद्योगिकी संस्था न केवल उत्तरी क्षेत्र की अपितु सम्पूर्ण भारत की आवश्यकता की पूर्ति करेगी । इस संस्था के स्थान के चयन से भी दल ने अपनी सहमति प्रकट की है । इसके अतिरिक्त इस दल ने अन्य दूसरी सिफारिशें भी की हैं जिनके बारे में दल ने सुझाव दिया है कि संस्था के लिये "कार्यक्रम सम्बन्धी योजना सिद्धान्त" बनाते समय उन पर विचार किया जाये ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीश अवस्थी: क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रस्तावित शिक्षण संस्था के लिये जिन किसानों की भूमि ली जायेगी उनको जो भूमिहीन और बेघर हो जायेंगे क्या पुनर्वासित करने की कोई गारन्टी दी गई है ? इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने असेम्बली में यह वक्तव्य दिया है कि उन किसानों को जिनकी जमीन ली जायेगी चपरासियों और मालियों के पद दिये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को ऐसा सुझाव दिया है कि जिन किसानों की भूमि व घर लिये जायें उनको उसके बदले में भूमि और घर के लिये जगह दी जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस तरह का सवाल तो शायद प्रान्तीय सरकार को भी भेजना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री जोकीम आल्वा ने प्रश्न संख्या ६२८ के बारे में जो प्रश्न किया है मैं उसे समझ नहीं सका । उस प्रकार की बात किसी सदस्य द्वारा यहां नहीं कही जानी चाहिये । हमारे देश में बहुत से धर्म हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सभी धर्म हमें मान्य हैं । अत: किसी माननीय सदस्य को जो किसी धर्म विशेष को मानते हों ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिसका प्रभाव दूसरे धर्मावलम्बी मनुष्यों पर पड़े । मेरा विचार है कि ठीक यही बात श्री जोकीम आल्वा के ध्यान में थी जब कि उन्होंने यह प्रश्न किया कि इस प्रश्न को शासकीय वृतान्त में से निकाल दिया जाये । मैं समझता हूं कि श्री जयपाल सिंह का इस प्रकार का कोई विचार नहीं था ।

†**श्री जयपाल सिंह** : शायद यह माननीय सदस्य ने ऐसा समझा । मेरा अभिप्राय यह नहीं था । इन देवी देवताओं की सम्पत्ति का उचित प्रयोग करने के लिये मैंने जो प्रश्न किया है उससे मैं समझता हूं कि मैंने किसी की भावनाओं को कोई आघात नहीं पहुंचाया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : किसी की भावनाओं को कोई आघात नहीं पहुंचा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर भी बिना किसी संकोच के इस पर तुरन्त ही वादविवाद छिड़ गया ।

†**श्री जयपाल सिंह** : केवल उन्हीं के मस्तिष्क में यह बात उठी है किन्हीं अन्य व्यक्ति के नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई इसे महत्व नहीं देता है किन्तु फिर भी श्री जोकीम आल्वा के मस्तिष्क में इससे जो प्रतिक्रिया हुई है उसका विचार किये बिना भी भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिये ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : क्या श्री जयपाल सिंह के समर्थन में मैं कुछ कह सकता हूं । मेरे विचार से तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि यहां किसी भी सदस्य अथवा बाहर के किसी व्यक्ति के विश्वासों को आघात पहुंचा हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे सहमत हूं । और मैं स्वयं भी ऐसा नहीं सोचता । अन्यथा तुरन्त ही मैं उनसे कहता कि वह इस प्रश्न को वापस लें ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं देवी देवताओं में अपार श्रद्धा रखता हूं चाहे माननीय सदस्य उनमें विश्वास न रखें ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अमरीकन विशेषज्ञ आये हैं और जो वहां भूमि का पर्यवेक्षण करने गये थे, उन्होंने किन-किन स्थानों की भूमि का पर्यवेक्षण किया है ?

श्री हुमायून् कबिर : इसका तो मैंने जवाब दिया कि उन्होंने साइट पसन्द किया है ।

श्री जगदीश अवस्थी : कौन कौन से गांवों की भूमि को पसन्द किया है क्या यह मंत्री जी बतला सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय की ओर हाथ से संकेत करने की अपेक्षा मेरी ओर देखें ।

श्री जगदीश अवस्थी : मैंने यह प्रश्न किया था कि जो अमरीकन विशेषज्ञ आये हैं उन्होंने किन किन गांवों की भूमि का पर्यवेक्षण किया है ?

अध्यक्ष महोदय : सारे संसार में इतने गांव हैं । मंत्री जी किस-किस का नाम बता सकते हैं । क्या माननीय सदस्य संसार के उन सभी गांवों का नाम जानना चाहते हैं जिनका कि उन्होंने दौरा किया है ?

श्री जगदीश अवस्थी : जहां यह शिक्षण संस्था बनने जा रही है वहां इसके लिये कुछ गांवों की जमीन ली जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन गांवों की जमीन का पर्यवेक्षण किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं बता चुका हूं कि वह यह प्रश्न राज्य सरकार से करें । इस प्रश्न से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । राज्य सरकार हमें उत्तरदायित्वहीन भूमि देती है और हम वहां संस्था बनाते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** इस संस्था पर कुल कितना व्यय होगा, और केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये कितना धन स्वीकृत किया है तथा इसकी नींव कब डाली जायेगी ?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** और कौन इसका शिलान्यास करेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** ये तीन प्रश्न हैं । किसका मैं उत्तर दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जिसका चाहें उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** चूंकि अभी तक हमें वह स्थान नहीं दिया गया है अतः व्यय के बारे में अभी अनुमान नहीं लगाया गया है । किन्तु सामान्यता इस प्रकार की संस्था पर ४ से ५ करोड़ तक व्यय होता है ।

भूमि मिल जाने के पश्चात् ही भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ होगा । मैं आशा करता हूं कि अस्थायी भवन में यह संस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त से पूर्व ही काम करने लगेगी ।

जहां तक कि तीसरा प्रश्न है । अभी इसके बारे में बताना कि शिलान्यास कौन करेगा बहुत जल्दी है ।

†**श्री दामानी :** उन्होंने कितने उद्योगों का सर्वेक्षण किया और विशेष रूप से किस उद्योग का इस दल ने सर्वेक्षण किया । और इस संस्था में कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह उसी योजना के अनुसार है जिसे १०--१२ वर्ष पूर्व--अर्थात्--सरकार की समिति के प्रतिवेदन में--बनाया गया था । और उस योजना की मूल रूपरेखा अभी शेष है । इस संस्था में लगभग २००० विद्यार्थी होंगे जिनमें से १५०० या १६०० विद्यार्थी ग्रेजुएट होंगे और शेष पोस्ट ग्रेजुएट । यहां किन विशेष विषयों का अध्ययन कराया जायेगा इसके बारे में तो संस्था की स्थापना के पश्चात् ही बताया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगदीश अवस्थी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को यह सुझाव देने में क्या आपत्ति है कि जिन किसानों की भूमि ली जाये उनको उसके बदले में भूमि दी जाये ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन):** यह प्रश्न नियम विरुद्ध है। भूमि का विषय राज्य सरकार का है। केन्द्र का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह:** माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि यह प्रश्न नियम विरुद्ध है किन्तु मेरा कहना है कि यह हमारे सिद्धान्त के अनुसार है। जब एक व्यक्ति की भूमि ली जाती है तो हमें उसे भूमि देनी चाहियें।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह प्रश्न राज्य सरकार से करना चाहिये।

†**श्री अ० कु० सेन :** यह राज्य सरकार का विषय है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रविधिक विरोधों के अलावा यह प्रश्न मुख्य प्रश्न का अंग नहीं है। जब कभी हम किसी प्रविधिक संस्था अथवा कालिज की स्थापना करते हैं तो क्या हमें भूमि, अथवा इस पर कितना व्यय होगा आदि प्रश्न करने चाहियें ? ये सब बातें तो प्रासंगिक हैं। मुख्य प्रश्न तो कानपुर में प्रोद्योगिकी संस्था की स्थापना करने के बारे में है। माननीय सदस्यों को इस प्रकार की विस्तृत बातों में नहीं जाना चाहियें कि नींव कितनी गहरी होगी, आदि, आदि। इस प्रकार के प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं निकलता।

विधि आयोग पुनर्गठन

+

†*६३०. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अभी हाल में ही विधि आयोग का पुनर्गठन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देश की क्या शर्तें हैं ;

(ग) सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(घ) अब इसके क्या कार्य होंगे ; और

(ङ) इस आयोग की अवधि क्या होगी ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) :** विधि आयोग का पुनर्गठन सम्बन्धी विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। जहां तक कि प्रश्न (क) से (ग) तक का सम्बन्ध है विवरण की क्रमशः कंडिका ९ से १० तक ध्यान आकर्षित किया जाता है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** पुराने आयोग की अवधि को न बढ़ा कर इस आयोग का पुनर्गठन करने के क्या कारण थे और जबकि संविहित विधि के पुनर्विचार सम्बन्धी कार्य पहले जैसे ही हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** विवरण में यह सब कुछ बताया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : उसमें इसका कोई कारण नहीं दिया गया है ।

†**श्री हजारनवीस** : माननीय सदस्य कंडिका १० देखें ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : पुराने आयोग की फिर से अवधि न बढ़ा कर नये आयोग का पुनर्गठन करने के क्या कारण थे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : कंडिका ६ तथा १० में यह स्पष्ट किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री का यही बता देना काफी है कि इसका उत्तर विवरण की कंडिका ६ तथा १० में स्पष्ट रूप से दिया गया है । यदि फिर भी माननीय सदस्य असन्तुष्ट हैं तो क्या किया जाये ।

†**श्री तंगामणि** : पुनर्गठित आयोग जिसके सभापति श्री टी० एल० वेंकटारमन अय्यर हैं तथा जिसके सदस्य श्री पी० सत्यनारायण राव हैं क्या मैं जान सकता हूं कि इसके तीसरे सदस्य कौन होंगे तथा इनके अतिरिक्त क्या उन दो सदस्यों का चुनाव कर लिया गया है जो आंशिक समय में काम करेंगे । यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जैसे ही उनका चयन होगा उनके नाम बता दिये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नाम यहां पहले से नहीं बताये जायेंगे । जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है और उनके नामों की घोषणा की जाती है वैसे ही उनके नाम यहां बता दिये जायेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : प्रथम आयोग की अवधि समाप्त होने पर ही इस आयोग की नियुक्ति दिसम्बर में ही कर दी गई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आयोग कब से अपना काम प्रारम्भ करेगा । जब तक कि इसके पांचों सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इसका काम करना संभव नहीं है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : काम प्रारम्भ हो गया है । सभापति सहित दो सदस्य कार्य कर रहे हैं । अन्य सदस्यों की नियुक्ति इस दृष्टि से ही नहीं हुई है कि उनके नामों की घोषणा नहीं की गई है ।

†**श्री तंगामणि** : हम देखते हैं कि परिनियत विधि का पुर्नविचार भी निर्देश की शर्तों में है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बहुत सी औद्योगिक विधियों के बारे में यह आयोग विचार करेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह सत्य है कि उद्योग विधि का उल्लेख कभी भी आयोग के समक्ष नहीं किया गया था । किन्तु विधि मंत्रालय ने कुछ मूल सिद्धान्तों का संकलन किया है जो विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के प्रमुख निर्णयों से लिये जा सकते हैं और पिछले छः सात महीनों को छोड़ कर पिछला काम अद्यतन है । ये सभी सिद्धान्त जांच के लिये श्रम मंत्रालय को भेज दिये गये हैं । हमारा विचार है कि भविष्य में सभी महत्वपूर्ण मामलों पर जैसेकि लाभांश, उपदान आदि के बारे में प्रमुख सिद्धान्तों का संकलन प्रकाशित करायें जोकि न्यूनाधिक रूप में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि औद्योगिक विधि भी विधि आयोग को भेजी जायेगी ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं बता चुका हूं कि वे नहीं भेजी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरविन्द घोषाल :** विवरण से प्रकट है कि आयोग ने १२ अधिनियमों में संशोधन करने की सिफारिश की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पुनर्गठित आयोग फिर से उन अधिनियमों पर विचार करेगा जिन पर कि विचार किया जा चुका है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** यह तो साधारण ज्ञान की बात है कि हम उन अधिनियमों पर फिर से विचार नहीं करेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** आयोग को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने काम के लिये जानकारी एकत्रित करने और जनमत सुनिश्चित करने के लिये अपनी प्रक्रिया अपनाये। क्या स्थानों का भ्रमण करते समय उन्हें इस बात की भी स्वतंत्रता है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना सदस्य बना लें।

†**श्री अ० कु० सेन :** चूंकि मंत्रिमंडल ने सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी है अतः अन्य सदस्यों को लेने का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि जो कोई भी उन्हें सहायता अथवा सहयोग देगा उसे वे अवश्य ही स्वीकार करेंगे।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** इस पुनर्गठित आयोग को अपना कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** काम समाप्त होने का तो प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह कार्य तो निरन्तर चलेगा जैसा कि अन्य देशों के विधि आयोग कार्य करते हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** अभी तीन सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी है ? क्या कोई स्त्री सदस्य भी नियुक्त की जायेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** चाहे वह स्त्री सदस्य विधि की जानकारी रखे या न रखे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** नहीं, कोई ऐसी स्त्री सदस्य जो विधि की जानकारी रखती हो।

†**श्री अ० कु० सेन :** सरकार स्त्री या पुरुष का भेद करके सदस्यों की नियुक्ति नहीं करती।

†**श्री महन्ती :** क्या इस विधि आयोग के पुनर्गठन के कारण जान सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह पहले ही बता चुके हैं कि विवरण की कंडिका ९ और १० में इसके कारण दिये हुए हैं।

†**श्री महन्ती :** मेरा औचित्य प्रश्न है। अभी हाल, मैंने विधि आयोग के पुनर्गठन सम्बन्धी कारण जानने के लिए एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। आपने मुझे बताने की कृपा की कि मंत्री महोदय ने पैरा ९ और १० में इसके कारण बतलाये हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि इन पैरों में इस आज के मामले का कोई उल्लेख नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने मेरी बात को ठीक नहीं समझा। श्री न० रा० मुनिस्वामी ने एक साधारण प्रश्न पूछा था कि इस आयोग के पुनर्गठन के क्या कारण है ? माननीय मंत्री ने इसका उत्तर दिया था कि इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कारण हो सकते हैं उन्हें पैरा ९ और १० में दे दिया गया है। श्री मुनिस्वामी ने पुनः एक अनुपूरक प्रश्न पूछा

---

†मूल अंग्रेजी में

कि वह उससे सन्तुष्ट नहीं है । तब मैंने कहा था कि माननीय सदस्य को जो कुछ वहां कहा गया है, उसे उसी रूप में ही लेना चाहिए, मंत्री महोदय इससे अधिक और कुछ नहीं बता सकते । यह भी वही प्रश्न है जिसे श्री महन्ती पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : कारण नहीं दिये हुए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है न हो और वह कारण न बता सकते हों ।

इस प्रकार के प्राविधिक मामलों में कई बार सरकार को कुछ छट देनी ही होती है । क्या उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह संतुष्ट हैं कि नहीं । कुछ भी हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

भारतीय विधि संस्था

+

†*६३२. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री ईश्वर अय्यर :

(क) क्या सरकार भारतीय विधि संस्था को कोई प्राविधिक सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का संस्था पर क्या नियन्त्रण है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) १९५७–५८ के वित्तीय वर्ष में भारतीय विधि संस्था को अनावर्तक सहायता अनुदान के रूप में १,००,००० रुपये दिये गये थे । संस्था ने १,००,००० रुपये के और अनुदान के लिए प्रार्थना की है । प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) १९५७–५८ की अनुदान सहायता, संस्था के कार्य को आरम्भ करने के लिये दी गयी थी ताकि एक गवेषणा निदेशक (रिसर्च डायरेक्टर) और कुछ दफतर के कर्मचारी (आफ़िस स्टाफ़) व दो गवेषणा इकाइयों (रिसर्च यूनिट) से कार्य चालू किया जा सके । सरकार ने जो राशि अनुदान के रूप में दी है उसको ठीक ढंग से और उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है, इसके लिये सरकार को संतुष्ट करने के विचार से संस्था को अपने खर्चों के लेखे जोखे का विवरण किसी रजिस्टर्ड लेखाकार अथवा अन्य लेख.पालों के किसी मान्य निकाय से प्रमाणित कराने के बाद प्रस्तुत करना होता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या संस्था की प्रबन्धकारिणी में सरकार का कोई प्रतिनिधि है ?

†**श्री हजारनवीस** : विधि मंत्री पदेन ही इस के सदस्य हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : पदेन सदस्य ? मैं यह जानना चाहता हूं कि गवेषणा के लिए, लिये जाने वाले विषयों की यदि कोई अनुसूची तैयार की जाती है तो उस में सरकार का परामर्श लिया जाता है ।

†**श्री हजारनवीस** : नहीं, परन्तु जिन विषयों पर गवेषणा की जाती है मैं वह बता सकता हूं ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : हमारी नीति गवेषणा कार्य को केन्द्रित कर देने की नहीं है । यह जरूरी नहीं कि सभी गवेषणा परियोजनाओं को सरकार की अनुमति से ही आरम्भ किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर :** मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां किन विषयों की गवेषणा होती है और क्या सरकार ने इस बात के निर्देश दिये हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी गवेषणा के विषयों में एक विषय होना चाहिये ।

†**श्री हजारनवीस :** प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर तो 'न' में है। सरकार ने किसी भी विषय के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया है । जिन विषयों पर गवेषणा होती है वे (१) प्रशासनिक प्रक्रिया, (२) न्यायपालिक समीक्षा, (३) प्रत्यायोजित विधान, (४) लोगों व वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना, (५) भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार, उसका क्षेत्र चालन और दिशायें, हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

*६३३. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्य सरकारों ने पिछले वर्ष के प्रतिवेदन पर विचार किया ?

†**श्रीमती आल्वा (गृह-कार्य उपमंत्री) :** (क) जी हां ।

(ख) जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५७–५८ के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, अभी हाल राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि वे उस में की गई सिफारिशों पर विचार करें और उन में की गई सिफारिशों पर किये गये, या किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** राज्य सरकारों ने इस प्रतिवेदन के आधार पर क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

†**श्रीमती आल्वा :** माननीय सदस्य ने बहुत व्यापक प्रश्न पूछा है। हमें आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार व उत्तर प्रदेश से उन राज्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी समेकित की जा रही है उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राज्य विधान सभाओं के सदस्यों ने, प्रतिवेदन पर चर्चा के समय यह आक्षेप लगाये हैं कि सरकार उस में उल्लिखित नीति के अनुसार कार्य करने में असमर्थ सिद्ध हुई है ।

†**श्रीमती आल्वा :** प्रत्येक विधान सभा के सदस्य इस प्रकार की आलोचना करते ही हैं तथापि आगे से प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रतिवेदन पर चर्चा हुआ करेगी। बम्बई और बिहार में प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है ।

†**श्री म० रं० कृष्ण :** क्या प्रत्येक राज्य में समूचे प्रतिवेदन पर चर्चा की जायेगी अथवा प्रत्येक राज्य के लिये पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा :** नहीं, केवल राज्य से संबंध रखने वाले अंश की ही उस राज्य में चर्चा की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह :** इस बात को ध्यान में रख कर कि संसद्-कार्य मंत्री प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस प्रतिवेदन पर चर्चा करवाने में असफल रहे हैं क्या केन्द्र के विभिन्न मंत्रालय इसकी सिफारिशों पर विचार करते हैं, यदि हां, तो किन सिफारिशों पर विचार किया गया।

†**श्रीमती आल्वा :** सभी सिफारिशों पर विचार किया जाता है। चालू वर्ष के प्रतिवेदन पर सभा के दोनों सदनों पर इस सत्र में विचार किया जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या किसी राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में सरकार को सलाह देने के लिये कोई मंत्रणा समिति बनाई है ?

†**श्रीमती आल्वा :** प्रत्येक राज्य का इस संबंध में अपना मंत्रणा बोर्ड है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या जिन राज्यों ने प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की उन्होंने ऐसा न कर सकने का कोई कारण दिया है ?

†**श्रीमती आल्वा :** मैं प्रश्न नहीं समझ सकी। यह सब १९५७-५८ के प्रतिवेदन में लिखा हुआ है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया है। बम्बई और बिहार में १९५६-५७ के प्रतिवेदन पर चर्चा की गई थी।

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय सदस्य के कथन का तात्पर्य यह था कि राज्य विधान सभाओं में प्रतिवेदन पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस प्रतिवेदन पर चर्चा क्यों नहीं होती है ?

†**श्रीमती आल्वा :** हमने उन्हें अभी इसी महीने यह प्रार्थना की है कि वे इस प्रतिवेदन पर नियमित रूप से चर्चा किया करें।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो माननीय सदस्य यहां प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि राज्यों में भी सदस्य लोग हैं।

†**श्री जयपाल सिंह :** निसंदेह हम क्रियाशील हैं तथापि संसद्-कार्य मंत्री इस संबंध में कुछ करते नहीं प्रतीत होते।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को इस आशय का प्रस्ताव रखना चाहिये कि वे चाहते हैं कि प्रति सप्ताह सभा में कुछ घंटों के लिये प्रतिवेदनों पर चर्चा हो उन्हें केवल सभा पटल पर ही रख देना पर्याप्त नहीं है। किसी सदस्य ने आज तक ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा है।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** मैं ने इस आशय का प्रस्ताव रखा था।

†**श्री गो० ब० पन्त :** हम राज्य सभाओं की प्रक्रिया या कार्यवाही को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। यह बात उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने भी यही बात कही है। माननीय सदस्य की सारी शिकायत यह है कि सरकार को राज्य सरकारों के ऊपर भी कुछ अधिकार रहना चाहिये। सरकार को छोड़ दीजिये। राज्यों के सदस्य यह कार्य क्यों नहीं करते हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** हम राज्य सरकारों को केवल सलाह दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय गृह मंत्री ने सभा के समक्ष जो बात कही है वह पूरी तरह से सही नहीं है । संविधान में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को निदेश देने का अधिकार दिया गया है । ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : संविधान में यह कहा गया है कि प्रतिवेदन सभा के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जायेगा न कि राज्य विधान सभाओं के । अतः उन्हें विधि के आधार पर प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता है । हमने उन्हें प्रतिवेदन पर चर्चा करने की सलाह दी है अब इस संबंध में माननीय सदस्य जो आवश्यक कार्यवाही या सलाह देना चाहें दे सकते हैं ।

इस्पात समानीकरण निधि

\+
*६३४. { **श्री मुरारका** :
श्री दे० वें० राव :
श्री नागी रेड्डी : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर १९५७ के अंत में इस्पात के दो मुख्य उत्पादकों को, भाड़ा दरों में अन्तर के कारण इस्पात समानीकरण निधि को १.५ करोड़ रुपये की रकम देनी थी ;

(ख) क्या सम्बन्धित पार्टियों से यह रकम वसूल हो चुकी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां, ऐसा अनुमान है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उक्त राशि मई १९४९ से अक्तूबर १९५५ तक की अवधि से संबंध रखती है । सही आंकड़ों पर पहुंचने में कुछ कठिनाई हुई थी । हिसाब की राशि निश्चित करने के मामले में वित्त मंत्रालय और मुख्य उत्पादकों के बीच विचार किया जा रहा है ।

†**श्री मुरारका** : यह राशि १९४९ से भुगतान के लिये पड़ी है । क्या सरकार ने उक्त फर्म को यह निर्देश दिया है कि यदि वह उक्त राशि का भुगतान नहीं करेगी तो उस से ब्याज भी वसूल किया जायेगा ।

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसी कोई औपचारिक सूचना फर्म को नहीं दी गई है ।

† **श्री मुरारका** : उक्त राशि की वसूली में क्या क्या कठिनाइयां पैदा हो रही हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वे रुपया दे नहीं रहे हैं ।

† **श्री मुरारका** : मेरे एक प्रश्न के उत्तर में अभी पिछले दिन मंत्री महोदय ने यह बताया था कि विभिन्न मदों के अधीन मुख्यतः इन दो उत्पादकों से १७ करोड़ रुपये वसूल किये जाने हैं । अब उन्हीं से भाड़े की मद में १.५ करोड़ रुपय की राशि और वसूल की जाने वाली है । सरकार महा-लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को ध्यान में रख कर १९४९ से बकाया इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कर रही है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने आपको तब भी यह बताया था कि मुझे इस राशि को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई की आशा नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह राशि वसूल क्यों नहीं हुई ?

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : इस में से अधिकांश राशियां 'हिसाबों' के अन्तर्गत हैं। उनकी अभी जांच करनी बाकी है । ये हिसाब विवादग्रस्त हैं। मेरे विचार से यह मामला बहुत शीघ्र निपट जायेगा ।

† **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पिछले अवसर पर जब १६·८९ करोड़ रुपये की बकाया राशि का प्रश्न उठा था तो माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि यह राशि प्राप्त करनी कठिन नहीं हैं। यदि रुपया सरलता से वसूल हो सकता है तब सरकार को इस पूरी राशि को प्राप्त करने में क्या बाधा हो रही है ?

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : हम राशि को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ?

† **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यही तो हम जानना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : हम हिसाब का निबटारा कर रहे हैं और उन से अदा करने के लिये कह रहे हैं ।

† **श्री अ० चं० गुह** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि रुपया वसूल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी तथापि साथ ही उन्होंने यह कहा है कि वे रुपया नहीं चुका रहे हैं। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। पिछले दस वर्षों से यह रुपया नहीं चुकाया गया है। सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं अब भी उसी बात पर दृढ़ हूं जो मैं ने बताई है। प्रश्न यह पूछा गया था कि 'हिसाब' के अधीन मद में जो रुपया है, और जिसकी राशि निश्चित नहीं हुई है उसे प्राप्त करने में क्या क्या कठिनाई हो रही है। मैंने यह बताया है कि बिना हिसाब तय किये हुए वह रुपया चुकाने को तैयार नहीं हैं। जहां तक ढ़ेड़ करोड़ रुपये का सम्बन्ध है उस मामले को स्पष्ट करने के लिये मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी और देना चाहता हूं ।

कारखानों से सीधे बन्दरगाहों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भेजे गये माल के सम्बन्ध में मुख्य उत्पादक माल मंगवाने वालों से 'प्लेस एक्स्ट्रा' लेते थे इसलिये उत्पादक द्वारा दिये गये वास्तविक भाड़े और वसूल किये गये "प्लेस एक्स्ट्रा" के बीच के अन्तर का समायोजन करना पड़ता था। यह राशि समानीकरण निधि में जमा की जानी होती थी या नाम डाली जानी होती थी। यह समायोजन १ मई, १९४९ से १० जून, १९५६ तक की अवधि के सम्बन्ध में किया जाना है। इस तारीख से पत्तन प्रतिधारण मूल्य समाप्त कर दिया गया था क्योंकि भारत के विभिन्न रेल हैड स्टेशनों पर एकरूप विक्रय मूल्य निश्चित कर दिया गया था। अतः बात के काफी पुरानी होने के कारण हिसाब तय करने में कठिनाइयां हो रही हैं।

† **श्री दासप्पा** : इस बकाया राशि पर जो चुकायी जायेगी किस दर से ब्याज लिया जायेगा?

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय नहीं दूंगा। वस्तुतः जैसी स्थिति है उसके अनुसार ब्याज लेने का कोई कारण नहीं है।

---

† मूल अंग्रेजी में

† **श्री मुरारका** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि सरकारी कोष को इस रकम के न मिलने से प्रतिदिन ५०,००० करोड़ रुपये की हानि हो रही है ।

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ।

† **अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि यदि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में विवाद नहीं है तो ऐसी मदें क्यों अदा नहीं की जा रही हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है ।

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : एसी राशियां जिन पर कोई विवाद नहीं है समय समय पर चुकायी जाती रही हैं । माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिये कि कोई राशि चुकाई ही नहीं जा रही है । राशियों के निपटारा करने और उनको चुकाने के बीच काफी समय लगता है । प्रत्येक महीने रकम चुकाई गई है । अतः उन्हें यह भ्रांति नहीं होनी चाहिये कि कोई राशि चुकाई ही नहीं गई है ।

प्रश्न संख्या ६२९ और ६३३ के सम्बन्ध में

† **श्री जयपाल सिंह** : सभा में आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व मैं प्रश्न संख्या ६३३ और ६२९ के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । जहां तक प्रश्न संख्या ६३३ का सम्बन्ध है । संविधान के अनुच्छेद ३३९ (२) में यह लिखा है कि

> "(१) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य को उस प्रकार के निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निदेश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से संबंध रखते हों"

जैसा कि हम सबको विदित है कि राज्य सरकारें विधान मंडल में किये जाने वाले कार्य की अनुसूची तैयार करती हैं । क्या हम यह समझें कि गृह मंत्री किसी भी राज्य सरकार को यह निदेश देने के लिये तैयार नहीं हैं कि वे प्रतिवेदनों तर चर्चा करें ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि विधि मंत्री ने प्रश्न संख्या ६२९ के संबंध में यह राय जाहिर की थी कि भूमि से संबंधित प्रश्नों पर संसद् में चर्चा नहीं की जानी चाहिये क्योंकि यह राज्य का विषय है । मैं इस तर्क को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं । बात यह है कि कोयला वाले क्षेत्र से संबंधित अधिनियम के अधीन लोगों को गांवों से बिना प्रतिकर दिये निकाला जा रहा है । तो क्या हम विधि मंत्री महोदय की व्याख्या के अनुसार यहां कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ?

† **अध्यक्ष महोदय** : मैं ने इस आपत्ति के कारण दूसरा प्रश्न नहीं लिया था । वस्तुतः इस बात के अलावा, मैंने यह बताया था कि उस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । जब यह प्रश्न पुनः उठे तो माननीय सदस्य मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं । तब मैं इसे स्वीकार या अस्वीकार—जैसा उचित होगा—करूंगा ।

† **श्री जयपाल सिंह** : गृह मंत्री का मत क्या है ?

† **श्री गो० ब० पन्त** : वस्तुतः मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करने को तैयार हूं भले ही वे राज्यों में हों या संघ राज्य-क्षेत्रों में । मैं इस बात के लिये श्री जयपाल सिंह के सहयोग की आशा करता हूं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० मेल्कोटे अनुपस्थित हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस प्रश्न को एक विशेष मामला समझ कर माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये कहा जाय।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह चीनी उद्योग के मजूरी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : प्रश्न क्या है पहले उन्हें प्रश्न पढ़ना चाहिये।

† **अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न पढ़ता हूं :

चीनी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ डा० मेल्कोटे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने सर्वसमिति से यह सिफारिश की है कि चीनी कारखाने के श्रमिकों को अंतरिम सहायता प्रदान की जाय ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सिफारिशों के क्रियान्वित होने में विलम्ब के कारण उत्तर प्रदेश के चीनी करखानों के श्रम संगठनों ने फरवरी के तीसरे सप्ताह में हड़ताल करने का नोटिस दिया है ?

†**श्री महन्ती** : क्या अध्यक्ष महोदय से प्रश्न कर सकते हैं ? आप इस संबंध में अपना निर्णय देंवें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष सब कुछ कर सकता है। मैं ने माननीय सदस्यों को जानकारी देने के लिये अनुपस्थित सदस्य के स्थान पर प्रश्न पढ़ा। मैं यहां माननीय सदस्यों की असुविधा दूर करने के लिये हूं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : हमें यह पता लगा है कि मजूरी बोर्ड ने २ $^1/_2$ रुपये के अन्तरिम भत्ते की सिफारिश की है। क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि इस से चीनी मिल के मजदूरों में असंतोष फैला है ; तथा यदि हां, तो क्या इस निर्णय का पुनरीक्षण किया जायेगा और इस राशि को बढ़ाया जायगा।

†**श्री आबिद अली** : यह अन्तरिम सहायता नहीं है। यह २ $^1/_2$ रुपये नहीं हैं किन्तु न्यूनतम ३ रुपये हैं। परन्तु चीनी उद्योग के मजूरी बोर्ड का यह सर्वसम्मत निर्णय था। इसमें मालिक तथा मजदूर दोनों का प्रतिनिधित्व था। सर्वसम्मत निर्णय होने के कारण मिलों के संगठनों को हमने उसकी सूचना दे दी और निश्चित रूप में उनमें कोई असंतोष नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : **क्या चीनी मिल मजदूर फेडेरेशन ने इस बढ़ोत्तरी के बारे में कोई आपत्ति उठाई और मांग की है कि यह न्यनतम ६ रुपये होना चाहिए और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?**

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : ऐसी कोई मांग हमें नहीं मिली है किन्तु कुछ व्यक्ति तथा संस्थायें हैं जिनका ऐसा विच.र है कि यदि वह कोई आ.न्दोलन नहीं करेंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : वह कटाक्ष कर रहे हैं । यह बड़ी गलत बात है । क्या वह लड़ना चाहते हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वह कह रहे हैं कि कोई आन्दोलन करता है । वह इस प्रकार की बात कई बार कर चुके हैं ।

†**श्री तंगामणि** : प्रश्न काल में भी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : हम यह सहन नहीं कर सकते । उनको इस पद से हटा दिया जाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का यह तात्पर्य नहीं है कि वह आन्दोलन करते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उन्होंने किसकी ओर निर्देश किया । उनमें शिष्टाचार नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि वह विवाद में प्रतिष्ठा का उल्लंघन करते हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : क्या सभा में चिल्लाना शिष्टाचार है ?

†**श्री त० ब० वि ्ठल राव** : निश्चित रूप से ऐसा ही होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां पर गर्मागर्मी नहीं होनी चाहिए । बड़ी शांति से काम हो रहा था । अब प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है और वहां पर सभी बातें तय हो गई हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग आन्दोलन कर रहे हैं । माननीय सदस्य ऐसा क्यों समझते हैं कि वे ही आन्दोलन कर्त्ता हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : ऐसा तो एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया । क्या माननीय मंत्री ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर शांति है और कुछ आन्दोलन-कर्त्ता गड़बड़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से क्यों अपने बारे में समझते हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं भी यह कह सकता हूं कि वह श्रम उपमंत्री होने के योग्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरा मामला है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह इस प्रकार उत्तर देते हैं जिससे हमारा धैर्य समाप्त हो चुका है । यह प्रतिष्ठा का ही प्रश्न नहीं है अपितु आचरण का भी प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री विरोधी पथ के सदस्यों को उकसाने का प्रयत्न न करें ।

†**श्री आबिद अली** : मेरा यह मतलब नहीं था । आपने ठीक ही कहा । उन्होंने पूछा कि असंतोष था, मैंने उत्तर दिया कि कोई असंतोष नहीं था । उन्होंने स्थान का नाम लिया । (**अन्तर्बाधा**) दो व्यक्ति एक साथ नहीं बोल सकते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** मैं कह रहा था कि कोई असंतोष नहीं था परन्तु जब माननीय सदस्य ने और भी ज़ोर दिया तो मैंने कहा कि कुछ व्यक्ति तथा संगठन अपना व्यक्तित्व बनाये रखने के लिए . . . . (अन्तर्बाधा)

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कितने भी प्रश्न पूछें परन्तु माननीय मंत्री को अपना बचाव नहीं करना चाहिये । उन्होंने कहा कि कोई असंतोष नहीं था परन्तु जब कुछ व्यक्तियों का निर्देश किया गया तो मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसा ही करना चाहते हैं । संभवतया मंत्री महोदय अपनी आवाज़ और धीमी रखेंगे और भड़कायेंगे नहीं ।

†**श्री तंगामणि :** यह अन्तरिम सहायता १-१-१९५९ से दी जायेगी । क्या सरकार के पास तथ्य हैं कि अन्तरिम सहायता इस महीने में दी जायेगी तथा यदि हां, तो कितनी दे दी गई है ?

†**श्री आबिद अली :** मुझे कोई सूचना नहीं मिली है कि इसको दे दिया गया है अथवा नहीं ।

†**श्री दासप्पा :** क्या यह सच नहीं है कि मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर पूरी तरह से विचार किया और बहुत दिनों तक विचार करने के बाद मज़दूरों तथा मिल मालिकों के प्रतिनिधियों ने इसको स्वीकार कर लिया था तथा यदि हां, तो भारतीय चीनी मिल संस्था को इसे भेजने की अब क्या आवश्यकता थी ? (अन्तर्बाधा)

†**श्री आबिद अली :** माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा । हमने और किसी सिफारिश के लिये मामले को अन्य किसी संस्था को नहीं सौंपा है परन्तु सिफारिशों को लागू करने के लिए अन्य मिलों को लिखा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने अपवाद-स्वरूप इस प्रश्न की अनुमति दी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिरक्षा सामान में हानि

*६३१. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गत ४ वर्षों में प्रतिरक्षा भाण्डारों को सामान की बिक्री में ५० करोड़ रुपये की हानि हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) : जी नहीं ।

निर्धनों को कानूनी सहायता

*६३५. **श्री पाणिग्रही :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिए कोई योजना भेजी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उड़ीसा के निर्धनों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बम्बई और केरल की इस प्रकार की योजना पर पूर्णतः विचार किया है ; और

(घ) क्या अन्य किसी राज्य-सरकार ने कोई योजना भेजी है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) राज्य सरकारों के मार्ग-दर्शन के लिए बनाई जाने वाली किसी भी सामान्य योजना में भारत सरकार बम्बई तथा केरल राज्य की योजना को रख लेगी ।

(घ) जी, नहीं ।

राजूर (बम्बई राज्य) में कोयले की खान

†६३६. **श्री तंगामणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के यवतमाल ज़िले में राजूर की कोयला खान बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब बन्द की गई ;

(ग) उसके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कोयला खान को पुनः आरम्भ करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) ६-२-१६५७ को ।

(ग) फिजूलखर्ची तथा लगातार होने वाली हानि ।

(घ) कोयला खान को पुनः आरंभ करने के लिए, राज्य सरकार ने कोयले की खान का पट्टा और एक पार्टी को हस्तान्तरित कर दिया है । परन्तु उसने अभी तक खान खोदना आरंभ नहीं किया है ।

आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड

*६३७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ नवम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटड की संस्था के मैमोरेन्डम और आर्टिकलों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके औपचारिक आरंभ की क्या तिथि होगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

† खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जी हां। आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड ने १८ फरवरी, १९५९ से काम आरम्भ कर दिया है।

मद्य निषेध

*६३८. श्री नरसिंहन् : क्या गृह-कार्य मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया है कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित उस संकल्प के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, जिस में यह कहा गया था कि समस्त राष्ट्र में मद्यनिषेध द्वितीय योजना का अंग होना चाहिये ; और

(ख) मैसूर राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के लिए मैसूर राज्य को किस प्रकार की सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है ?

† गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) लोक-सभा में पारित किया गया संकल्प द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल कर दिया गया था। (अध्याय २९, पृष्ठ ६०६—६०९)। जब कि इस बात को मान्यता दी गई है कि देश में एक साथ मद्यनिषेध किये जाने की आवश्यकता है, फिर भी स्थानीय दशा तथा परिस्थितियों को देखते हुए, ब्यौरवार कार्यक्रम बनाने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। मद्य निषेध कार्यक्रम को लागू करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए कार्यों को दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४]

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मद्य निषेध लागू करने के लिये राज्य सरकारों ने स्वयं काम किये हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत धातुओं का सर्वेक्षण

*६३९. श्री राम कृष्ण : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आधार भूत धातुओं की खोज के लिए क्या कार्यवाहियां करने का विचार है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : इस देश में आधारभूत धातुओं की खोज करने के लिए भारत के भूतत्वीय परिमाप की एक अलग इकाई केवल इसी काम को करेगी। वर्तमान क्षेत्रीय दलों को बढ़ा कर तथा नये क्षेत्रीय दल बना कर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में चांदी, तांबा, रांगा तथा जस्त आदि की खोज का काम किया जा रहा है।

समानीकरण निधि के अधीन इस्पात के आयात कर्ताओं को सहायता

*६४०. { श्री दें० वें० राव :
श्री नागी रेड्डो :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक बिक्री मूल्यों का समानीकरण करने की योजना के अधीन लोहा और इस्पात के आयात कर्ताओं को कुल कितनी राशि 'पेशगी' तथा 'खाते मध्ये' सहायता के रूप में दी गई है ;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल कितने मामले हैं तथा कुल कितनी राशि को अन्तिम रूप में तय किया जाना है ;

(ग) एक वर्ष तथा उस से अधिक से कितने मामले लम्बित हैं ; और

(घ) अंतिम रूप से निर्णय किए जाने में देरी के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) टेंडर के द्वारा इस्पात नियंत्रक राज्य- सहायता प्राप्त इस्पात का आयात किया जाता है। आरम्भ में सफल 'टेंडर' इस्पात की पूरी लागत दे देता है। इस्पात मिल जाने पर वह इस्पात नियंत्रक द्वारा जारी किये गए निदेशों के अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजता है और भारतीय नियंत्रित मूल्य उन से लेता है। आयात किए गए मूल्यों से यह मूल्य कम होते हैं। दोनों का अन्तर सहायता है। इस के लिए इस्पात नियंत्रक को आयातकर्त्ता बिल दे देता है। इस्पात नियंत्रक राज्य सहायता का एक अंश तभी दे देता है तथा शेष पूर्व लेखापरीक्षा के पश्चात् देता है।

३१ दिसम्बर, १९५८ तक इस प्रकार दी गई पेशगी की राशि ३३.५ करोड़ रुपये थी।

(ख) ५,४४४ मामले ३.७ करोड़ रुपये के।

(ग) ४,३६४ मामले।

(घ) राज्य सहायता के बिलों का अन्तिम रूप से निर्णय पूर्व लेखा परीक्षा के पश्चात् किया जा सकता है। दावों का समर्थन करने के लिये कितने ही प्रकार के दस्तावेज चाहियें। कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में आयातकर्ताओं को बड़ी कठिनाई होती है। और ऐसे मामलों में उनको अपना दावा सिद्ध करने के लिये अन्य सबूत देने पड़ते हैं। इसके लिये विशेष छूट देनी होती है जिनके लिये बाद में लेखा परीक्षा की स्वीकृति तथा परामर्श लेना पड़ता है। यह कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और आशा है कि निबटारा शीघ्र हो जाया करेगा।

ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थी

*६४१. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि जातीयता के भावनाओं के कारण, भारतीय विद्यार्थियों को ब्रिटेन में निवासस्थान ढूंढने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों विशेषतया महिला विद्यार्थियों, को होस्टल सुविधायें प्राप्य हैं तथा क्या वे सुविधायें पर्याप्त हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो निवासस्थान की समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार किसी स्वयंसेवी सामाजिक अभिकरण के इन होस्टलों की व्यवस्था करने के लिये वित्तीय सहायता देने का है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

†*६४२. **श्री सोनावने** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्ध में रखने वाले राज्य मंत्रियों का १९५९ में एक सम्मेलन किया जा रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : इस प्रकार के किसी सम्मेलन करने का निश्चय नहीं किया गया है ।

सुतन्तिरा तामिल नाड सम्मेलन

†*६४३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि १५ जनवरी, १९५९ को तिरुनेलवेली में सुतंतिरा (स्वतन्त्रता) तामिल नाद सम्मेलन हुआ था, जिसमें तामिल नाद के अतिरिक्त शेष भारत के नक्शों को आग लगाने का आन्दोलन करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) उस भावी आन्दोलन के सम्बन्ध में जिसे अभी तक कोई ठोस रूप नहीं मिला है, अभी तक कोई विशेष कार्यवाही तो नहीं की गई है, परन्तु राज्य सरकार स्थिति का अच्छी प्रकार से निरीक्षण कर रही है और आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप

†*६४४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों को एक पर्यटन केन्द्र बनाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) नहीं जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति

†*६४५. { श्री दशरथ देब :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कैलाशहर तथा अन्य सब-डिवीजनों के बाढ़ से पीड़ित लोगों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या ठोस कार्यवाहियां की जा रही हैं;

(ख) क्या सम्पूर्ण त्रिपुरा के बाढ़ से पीड़ित लोगों की अस्थायी रूप से कोई सहायता की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को जो सहायता दी गयी है, उसमें से सबसे अधिक राशि कितनी दी गई है और सबसे कम कितनी राशि दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें बताया गया है कि त्रिपुरा के विभिन्न सब-डिवीजनों के लिये बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कौन-कौन सी बड़ी तथा छोटी योजनायें मंजूर की गई हैं ? **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ख) और (ग). अस्थायी सहायता कई रूप में दी गयी थी। मकानों की मरम्मत तथा निर्माण के लिये बांसों तथा फूस का मुफ्त संभरण किया गया है, प्रयोगात्मक कल्याण योजनाओं के लिये ३,००,००० रुपये दिये गये थे, कृषि ऋणों के रूप में २,००,००० रुपये दिये गये थे और कैलाशहर सब-डिवीजन को खाली करने के लिये लगभग २,५०० रुपये दिये गये थे। नकद रुपयों में उपदान सम्बन्धी सहायता दी गयी थी। वह सहायता अधिक से अधिक १०० रुपये और कम से कम ५ रुपये दी गयी थी ।

इंडस्ट्रियल स्क्रैप (रद्दी लोहा) की बिक्री

†*६४६. **श्री आसर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और मद्रास में इंडस्ट्रियल स्क्रैप (रद्दी लोहा) की २५ प्रतिशत मात्रा की खुली बिक्री (फ्री सेल) करने की अनुमति दे दी गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में इंडस्ट्रियल स्क्रैप की २५ प्रतिशत मात्रा की खुली बिक्री बन्द कर दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). 'इंडस्ट्रियल स्क्रैप' के सीमित आयात का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये मई, १९५७ में एक आदेश जारी किया गया था कि जिसके अन्तर्गत सभी आयातकर्ताओं द्वारा आयात की गयी मात्रा 'फ्रीज़' (बिक्री पर पाबन्दी) कर ली गई थी। इस प्रकार 'फ्रीज़' किया गया स्टॉक आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर के आर्डरों के अधीन बेचा जाना था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगस्त, १९५८ में यह निर्णय किया गया कि स्टॉक को शीघ्रता से बेचने के लिये आपत्तिकर्ताओं को यह अनुमति दे दी जाय कि वे २५ प्रतिशत सामान को अपनी इच्छा से बेच सकते हैं।

अक्तूबर, १९५८ में यह महसूस किया गया कि 'इंडस्ट्रियल स्क्रैप' में उपयोगी इस्पात भी है जो कि वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा लिया जा सकता है। इसलिये २५ प्रतिशत खुली बिक्री की इजाजत वापिस ले ली गई। ये आदेश सभी पत्तनों पर एक समान लागू हैं।

अग्रिम बीमा योजना

†६४७. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम ने बिहार के नौ चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में एक अग्रिम बीमा योजना चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या प्रयोजन है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) जीवन बीमा सेवाओं को ग्राम्य क्षेत्रों में भी लागू करना।

अभ्रक का सर्वेक्षण

*६४८. **श्री पद्म देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में चीनी में स्थित अभ्रक की खानों का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). महासू जिले में चीनी में स्थित अभ्रक की खानों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी ऐसा मालूम हुआ है कि वहां अभ्रक के भंडार हैं लेकिन भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण अभी तक इसका अनुसन्धान नहीं किया जा सका। सब उपलब्ध कर्मचारी भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की सबसे पहले पूर्ण की जाने वाली योजनाओं पर लगे हुए हैं जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं। यह कार्य दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

†*६४९. { **श्री राजेन्द्र सिंह** :
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उन व्यक्तियों की सूची प्राप्त हो गयी है जो कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं ;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों के बारे में सिफारिश की गई है; और

(ग) क्या अन्तिम रूप से सूची तय कर ली गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) उक्त प्रश्न का उत्तर जिस समय दिया गया था, उसके बाद स्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) बिहार से अभी तक सूची नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोक संगीत

†*६५०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक संगीत का संग्रह करने के लिये सम्पूर्ण देश में एक आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर)** : (क) और (ख). लोक संगीत का संग्रह, संरक्षण और प्रचार संगीत नाटक अकादमी का एक नियमित कार्य है। यह काम निम्नलिखित प्रकार किया जाता है:—

(१) देश के विभिन्न भागों में विशेष परियोजनाओं के लिये संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उपयुक्त अनुदान दिये जाते हैं;

(२) लोक गीतों का प्रकाशन और लोक संगीत के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(३) अकादमी में संगीत सम्बन्धी पुस्तकालय की स्थापना ; और

(४) संस्थाओं तथा व्यक्तियों को संग्रहीत सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देना।

साहित्य अकादमी आसाम, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात और काश्मीर के लोक संगीत के चुने हुए संकलन को प्रकाशित कराने का विचार रखती है।

आकाशवाणी भी लोक संगीत को संकलित करने और उनके रिकार्ड तैयार करने का विचार रखती है।

हिन्दी विश्वकोष

*६५१. {**श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी का जो विश्वकोष तैयार किया जा रहा है, उसके संग्रह और प्रकाशन में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

† मूल अंग्रेजी में।

(ख) सरकार ने इस कार्य के लिये अब तक कितनी सहायता दी है ;

(ग) अभी तक इस विश्वकोष का कितना कार्य शेष है; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

सवंयी सावधि निक्षेप योजना

†*६५२. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५९ में जब से सवंयी सावधि निक्षेप योजना लागू हुई थी, तब से उसमें कितनी प्रगति हुई है और जनता ने इसमें कितनी राशि जमा करायी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** जनवरी, १९५९ में उसमें लगभग ७७,००० रुपये जमा कराये गये थे। तो भी इसी समय यह बताना कठिन है कि जनता की उसकी प्रति क्या प्रतिक्रिया है ।

सीमा विवाद

†*६५३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में उस सीमा विवादों को फिर से प्रारम्भ कर दिया है, जिनके बारे में राज्य प्रादेशिक समितियां पहले ही फैसला कर चुकी हैं ;

(ख) क्या उन मामलों को फिर से प्रारम्भ करने का कोई आधार निश्चित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वह आधार क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश ने उड़ीसा राज्य से पटलामिकिडी नामक स्थान का दावा किया है;

(ङ) क्या मैसूर और बम्बई ने भी इसी प्रकार के दावे किये हैं; और

(च) यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र के सम्बन्ध में दावे किये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) बम्बई और आन्ध्र प्रदेश ने सीमाओं को पुनः निर्धारित करने के लिये प्रार्थना की है ।

(ख) और (ग). राज्यों की वर्तमान सीमाओं का निर्धारण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था । उसमें सम्बन्धित राज्यों के बीच हुए करार के आधार पर कुछ थोड़े से परिवर्तन भी कर लिये गये थे।

(घ) जी, हां ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ङ) बम्बई सरकार ने बम्बई और मैसूर के बीच के राज्य क्षेत्र की व्यवस्था के लिये कुछ सूझाव दिये हैं।

(च) बम्बई सरकार की प्रस्थापना का निम्नलिखित जिलों पर असर पड़ेगाः—

(१) मैसूर राज्य का बेलगांव, कनारा, बिदार और गुलबर्ग।

(२) बम्बई राज्य का शोलापुर, दक्षिण सतारा और कोल्हापुर।

समुद्र में मछली मारने पर झगड़ा

*६५४. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री संगण्णा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच समुद्र में मछली मारने के बारे में जो झगड़ा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् को सौंपा गया था क्या अभी तक अनिर्णीत है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : १० दिसम्बर, १९५८ को एक प्रश्न का उत्तर देते समय सदन को जो स्थिति बताई गई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बीच में केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने इस मामले के कानूनी पहलू पर विचार किया है और उस मंत्रालय ने जो राय दी है वह दोनों राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

श्री भाऊराव गवारे पर आक्रमण

†*६५५. **श्री आ० कृ० गायकवाड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नासिक जिले के ताल्लुका सिन्बार के कोनाम्बे गांव के एक व्यक्ति श्री परशुराम फिरास्टे (गोसबी) ने श्री भऊराव गवारे नामक एक अनुसूचित जाति महार पर आक्रमण कर दिया था, जब कि वह एक हिन्दू मंदिर के पास से गुजर रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने उस मामले की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और इसलिये श्री भाऊराव को नवम्बर, या दिसम्बर, १९५५ में नासिक जिले के सिन्नार न्यायालय में अपनी ओर से स्वयं अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन एक मामला दायर करना पड़ा है;

(ग) क्या यह सच है कि २ वर्षों की अवधि में लगभग ३० सुनवाई हुई थीं परन्तु इस अवधि में अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, और न ही अदालत द्वारा उसे तलब किया गया; और

(घ) क्या यह भी सच है कि शिकायत करने वाले श्री भाऊराव गवारे केवल एक बार अदालत में हाजिर नहीं हुए और न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). पता लगा है कि श्री भाऊराव गवारे ने सिन्नार पुलिस के पास यह शिकायत की थी कि १ जनवरी, १९५५ को जब वे कए मन्दिर के पास से गुजर रहे थे तो श्री परशुराम फिरस्टे (गोसवी) नामक एक व्यक्ति ने

†मूल अंग्रेजी में

उन्हें एक पत्थर मारा। श्री गवारे की शिकायत को अहस्तक्षेय मामले के रूप में दर्ज कर लिया गया था और उन्हें परामर्श दिया गया कि वे इस मामले को न्यायालय में दर्ज करायें, क्योंकि वह एक अहस्तक्षेप्य मामला था। श्री गवेरे ने १७ जनवरी, १९५५ को श्री परशुराम के विरुद्ध एक फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय किया कि मामला भारतीय दण्ड विधान को धारा ३२३ के अधीन दायर किया जा सकता है।

(ग) लगभग ४० बार न्यायालय में तारीखें पड़ी थीं। क्योंकि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित न हो सका इसलिये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने २३ अगस्त, १९५६ को उसके विरुद्ध जमानत वाला वारंट जारी कर दिया था। परन्तु वारंट की तामील न हो सकी।

(घ) शिकायत करने वाला स्वयं १६ बार अनुपस्थित रहा। २१ नवम्बर, १९५६ के बाद वह लगातार ८ बार अनुपस्थित रहा जिसके परिणामस्वरूप जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ६ अप्रैल, १९५७ को उस शिकायत को खारिज कर दिया।

लोहे और इस्पात की खरीद

†*६५६. **श्री मुरारका :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लगभग ७७ करोड़ रुपयों का लोहा और इस्पात खरीदा था जिसमें से १४ करोड़ रुपये राजकीय सहायता के रूप से अदा किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह खरीद निश्चित नियमों के अनुसार की गयी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य में इस प्रकार के व्यापारों को नियमित बनाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). जी हां। इस प्रकार की खरीद सामान्यतया इस्पात कंट्रोलर द्वारा उन्हें दी गयी शक्ति के अनुसार ही की गयी थी। परन्तु कुछ एक मामलों में जहां कीमत बढ़ जाती हैं, वहां मंजूरी मिलने की आशा में ही खरीद कर ली जाती है। इस प्रकार की वस्तुओं के खरीद को नियमित करने के लिये सरकार ने अधिकांश मामलों में मंजूरी दे दी है।

हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड की अंश पूंजी के अंशदान

†*६५७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स क्रुप्स और देमग को 'हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड' की अंश पूंजी में अंशदान देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) १९५३ में मैसर्स क्रुप्स देमग के साथ जो करार किया गया था वह प्रविधिक सेवाओं और पूंजी में अंशदान के सम्बन्ध में था। इन दोनों फर्मों—क्रूप्स और देमग द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला कारखाने की पूंजी में किया जाने वाला धन विनियोग दोनों फर्मों को दिये जाने वाले आर्डरों की राशि के अनुसार ही होना था। परन्तु यह राशि ६·५ करोड़ रुपयों से अधिक नहीं होनी थी।

दोनों फर्मों को इस बात का विकल्प दिया गया था कि यदि वे चाहें तो अगस्त, १९६३ तक २० प्रतिशत प्रीमियम पर अपने अंश सरकार को बेच सकती हैं। दोनों फर्मों को दिये गये लाभांशों की राशि इस प्रीमीयिम से निकाल दी जानी थी। जब यह करार किया गया था उस समय भी यह महसूस किया गया था कि यदि फर्में अपनी राशि जर्मनी में लगायेंगी तो संभरण की लागत में कुछ राशि और जमा करनी पड़ेगी तभी इस प्रीमियम और फर्मों को प्राप्त होने वाले लाभ के अन्तर को पूरा किया जा सके।

१९५६ के मध्य में जर्मनी में आंतरिक ऋण दर एक दम ८ प्रतिशत तक पहुंच गई थी। जर्मनी के धन विनियोग को स्वीकार करने का अर्थ ऊंची दर के ब्याज को स्वीकार करना होता। इसलिये सरकार ने ६ करोड़ रुपयों की छोटी सी रकम को उतनी ऊंची दरों पर लेना अच्छा न समझा। सरकार ने कोई भी आर्डर देने से पहले ही उन जर्मन फर्मों को अब विनियोग करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया।

उड़ीसा सरकार तथा हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड

†*६५८. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि उड़ीसा सरकार और हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड' के बीच सम्बन्ध निर्धारित किया जाये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रार्थना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हिन्द महासागर के तल के सम्बन्ध में अनुसन्धान

†*६५९. **डा० रामसुभग सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रूसी विज्ञान वेत्ताओं ने हाल ही में हिन्द महासागर के तल के सम्बन्ध में अनुसंधान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस सम्बन्ध में प्रतिवेदन की कोई प्रति प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी, हां। हिन्द महासागर के सम्बन्ध में रूस की ओर से अनुसंधान किये गये हैं, परन्तु अनुसंधान भारतीय प्रायः द्वीप के निकट नहीं किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं। परन्तु भारत स्थित रूसी राजदूतालय द्वारा प्रकाशित न्यूज बुलेटिन में उसके कुछ अंश प्रकाशित किये गये थे।

(ग) ऐसा कहा जाता है कि उस अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ कि हिन्द महासागर के कुछ भागों में तह में किस प्रकार की चट्टानें आदि हैं। आशा है कि अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप सामान्य वैज्ञानिक हित की बहुत सी बातों का पता चला है।

जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक

†*६६०. **श्री राम कृष्ण :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलियांवाला बाग, अमृतसर, में राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य पर अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) स्मारक के निर्माण में भारत सरकार ने कितनी सहायता दी है अथवा देने का विश्वास दिलाया है?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) अनुमान है कि लगभग ४० प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

(ख) ७-२-५९ तक २,३७,७८७ रुपये २९ नये पैसे।

(ग) अभी तक ५ लाख रुपयों की सहायता दी गयी है।

अभी तक कुल ६ लाख रुपये देने का वचन दिया गया है।

आयकर रसीदों की लेखा-परीक्षा

†*६६१. **श्री मुरारका :**
श्री राम कृष्ण :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर रसीदों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या फैसला हुआ है;

(ख) यह करार किस तिथि से लागू होगा; और

(ग) उस पर कितना अतिरिक्त खर्च आयेगा?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया गया है कि आयकर रसीदों की लेखा परीक्षा करने का काम नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सौंप दिया जाये। उन सिद्धान्तों को लागू करने के सम्बन्ध में ब्योरा और उससे सम्बन्धित प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्यों में हिन्दी

†*६६२. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एक राज्यों ने अपने सरकारी कार्यों के लिये हिन्दी का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस राज्य ने;

(ग) किस-किस राज्य ने आंशिक रूप से हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है; और

(घ) क्या उन राज्यों ने, जहां पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है, इस कार्य में कोई कठिनाई बतायी है?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). चार राज्य, अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आंशिक रूप से अपना सरकारी काम हिन्दी में चला रहे हैं।

(घ) इस प्रकार की किसी भी कठिनाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं आयी है।

भिलाई में रूसी इंजीनियर

†८४२. श्री राम कृष्ण : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत से रूसी प्रविधिज्ञ भिलाई इस्पात कारखाने के स्थान पर रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि उनकी कितनी संख्या है, उनके निवास का क्या प्रबन्ध है, उनके वेतन क्या हैं और उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। भिलाई में ८७२ रूसी विशेषज्ञ रह रहे हैं। उनमें से ६४८ निर्माण कार्य में, १६१ संचालन आयोजन में और ६३ परामर्श इंजीनियरों के कार्य में लगे हुए हैं। परामर्श-इंजीनियरों का कार्य करने वाले ६३ व्यक्तियों को वेतन रूसी सरकार द्वारा दिया जाता है जब कि शेष ८०९ व्यक्तियों को वेतन 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' द्वारा दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषज्ञों को उनके वेतनों के अनुसार ७ वर्गों में विभाजित किया गया है :—

		रुपये प्रतिमास
१.	चीफ इंजीनियर	४,५००
३५	लीडिंग स्पेशलिस्ट	२,८५०
११८	स्पेशिलिस्ट	२,४००
१८४	टैक्निशियन तथा लीडिंग फोरमेन	२,२००
४६	दुभाषिये	१,६५०
१०२	फोरमेन तथा राउजस्टर्ज	१,८००
३२०	अन्य टैक्निशियन	१,५००

इन रूसी विशेषज्ञों को मुफ्त निवास स्थान के अलावा यात्रा भत्ता, अवकाश रियायतें, मेडिकल सुविधायें तथा दुर्घटना और मृत्यु के बारे में बीमा सम्बन्धी सुविधायें भी दी जाती हैं।

रूसी विशेषज्ञों को 'भिलाई हाउस' में निवास स्थान दिये गये हैं जिसमें १२० कोष्ठावली[1] हैं। कुछ लोगों को भिलाई की नयी बस्ती में भी स्थान दिया गया है। प्रत्येक विशेषज्ञ को उसके काम की आवश्यकता के अनुसार ठहराया गया है।

आयकर सम्बन्धी बकाया राशियां

†८४३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आयकर के सम्बन्ध में १ लाख रुपयों से अधिक राशियां बकाया हैं; और

(ख) उनसे कुल कितनी राशि प्राप्त करनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**

सिक्कों का विमुद्रीकरण

†८४४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से सिक्के हैं जिनका जनवरी, १९५९ से प्रचलन अवैध घोषित कर दिया गया है; और

(ख) १९५९-६० में किन-किन सिक्कों का प्रचलन अवैध घोषित कर दिया जायेगा?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ जनवरी, १९५९ से सभी पीली दुअन्नियों सभी धेलों और सभी पाइयों का प्रचलन अवैध घोषित कर दिया गया है। परन्तु इन सम्बन्धों में निम्नलिखित प्रकार की छूट दी गयी है :—

(१) वे रिजर्व बैंक के सभी दफ्तरों, सरकारी कार्य चलाने वाले रिजर्व बैंक के सभी एजेन्सी बकों और सभी सरकारी खजानों और उप-खजानों में ३० जून, १९५९ तक वैध माने जायेंगे; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Suites

(२) वे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, नई दिल्ली, बंगलोर और नागपुर में रिजर्व बैंक के सभी इशू डिपार्टमेंन्टों में आगामी नोटिस तक वैध माने जायेंगे।

(ख) १९५९-६० में अवैध घोषित किये जाने वाले सिक्कों के नाम पहले ही बता देने से लोगों के मन में अनावश्यक अस्थिरता पैदा हो जायेगी। इस सम्बन्ध में निर्णय करते ही सरकार इस निर्णाय को प्रकाशित कर देगी।

पिंजोर गार्डन (पंजाब)

†८४५. **श्री राम कृष्ण : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में पिंजोर गार्डन (पंजाब) के संधारण पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ख) १९५९-६० में कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) ५,७७३ रुपये (३१ जनवरी, १९५९ तक)।

(ख) यह संसद द्वारा स्वीकृत धन राशि पर निर्भर होगा।

पंजाब के आदिम जातीय तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

†८४६. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब राज्य के आदिम जातीय तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने के लिये आवंटित धनराशि से वर्ष १९५८-५९ म अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**

दिल्ली में खजाने

†८४७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र, दिल्ली, में कितने खज़ाने या उप-खजाने हैं; और

(ख) १९५९-६० में दिल्ली में कितने खजाने या उप-खजाने खोले जाने की सम्भावना है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** संघ राज्य-क्षेत्र, दिल्ली में दो खजाने हैं—एक दिल्ली में और दूसरा नई दिल्ली में। दिल्ली खजाने से सम्बद्ध एक उप-खजाना भी है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९-६० में दिल्ली में किसी खज़ाने अथवा उप-खजाने के खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत् संसाधन

†८४८. **श्री नागी रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य समेत दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत संसाधनों का एकीकरण और विकास करने के लिये दक्षिणी जोनल परिषद द्वारा बनाई गयी समिति की कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने किन बातों पर विचार किया और उन पर क्या निर्णय किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) समिति की २६ मई और १९ अगस्त, १९५८ और ३० जनवरी, १९५९ को तीन बैठकें हुई हैं।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें पहली और दूसरी बैठक में विचार की गयी बातें और उन पर किया गया निर्णय बताया गया है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) ३० जनवरी, १९५९ को हुई बैठक की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रतिरक्षा संस्थानों में अभिज्ञात यूनियनें

†८४९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा संस्थानों में १ जनवरी, १९५९ तक कितनी यूनियनें अभिस्वीकृत की गयी हैं ; और

(ख) कितनी यनियनों ने अभी स्वीकरण के लिये आवेदन पत्र दिये हैं परन्तु उनको अभी तक अभिस्वीकार नहीं किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) ७१।

(ख) ६६।

आयुध कारखानों में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†८५०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में आयुध कारखानों में सब प्रकार के कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे;

(ख) इस कार्य के लिये प्रत्येक कारखाने को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५९-६० में पिछले वर्षों में निर्माण कार्य आरम्भ किये गये ३,३१८ क्वार्टरों पर कार्य जारी रहेगा। आशा है कि ८०० नये क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संसद् द्वारा १९५९-६० का बजट पारित किये जाने पर ही निधि का आवंटन किया जा सकेगा।

आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन

†८५१. श्री स० म० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में आयुध कारखानों में कुल कितने इस्पात का उत्पादन किया गया;

(ख) १९५६-५७ के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष कितना अधिक उत्पादन हुआ; और

(ग) १९५९-६० में कितनी मात्रा के उत्पादन किये जाने की सम्भावना है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) १९५७-५८ में लगभग ३१,२५० टन पिण्ड का उत्पादन हुआ।

(ख) १९५६-५७ की उत्पादन की तुलना में १९५७-५८ में लगभग ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) अपेक्षित जानकारी बतलाना सम्भव नहीं है।

मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा कर्मचारियों के वेतन स्तर का नियत किया जाना

†८५२. श्री स० म० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा स्थापनाओं में काम करने वाले कितने औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन स्तर अभी नियत नहीं किये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में वेतन नियत किये बिना एक वर्ष से अधिक हो गया है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन्) : (क) ६६१ } जनवरी, १९५९ में
(ख) ६४७ }

(ग) प्रत्येक मामले में वेतन के नियत किये जाने में विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं:—

(१) पाकिस्तान से आये कर्मचारियों के बारे में सेवाओं के कागजात की अनुप्लब्धता और अप्राप्ति और अपेक्षित कागजात/जानकारी प्राप्त करने में पाकिस्तान के लेखा परीक्षा प्राधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार में लगा समय।

(२) १९४२ से पहले के चालू वेतन दरों के बारे में लेखों की अनुप्लब्धता जिनके आधार पर कुछ मामलों में वेतन निश्चित किये जाने हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) अपढ़ और कम पढ़े हुए कर्मचारियों द्वारा बहुत देर से प्राप्त हुए अभ्यावेदन और समय और श्रम सम्बन्धी पिछली सेवाओं के सम्बन्ध में पुराने लेखों को ढूंढ़ने में कठिनाई।

(४) अपने दावों के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सांपार्श्विक साक्ष्य देने में लिया गया समय और जहां पर व्यक्तियों ने साक्ष्य देने में अपनी असमर्थता प्रकट की, उनके बारे में निश्चय करने में कठिनाई क्योंकि वे वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते।

(५) वेतन निर्धारित करने के लिये सेवा की अनवरता देखने के विचार से पिछले पर्याप्त समय के विभिन्न लेखों की जांच पड़ताल करने में लगा समय व श्रम।

कर्मचारियों को कठिनाई से बचाने के लिये ऐसे मामलों की शीघ्रातिशीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर सरकार पूरी तरह से सतर्क है और इस सम्बन्ध में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण में विलम्ब को दूर करने के लिये उसने समय समय पर आदेश जारी किये हैं। इन उपायों और वेतन निर्धारण के मामलों के पूरा करने में की गयी प्रगति पर निरन्तर छानबीन करने के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा मामले तै किये गये हैं।

बम्बई में आदिम जातीय विद्यार्थियों के लिये संस्थायें

†८५३. **श्री पांगरकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई में आदिम जातीय विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय सहायता से किसी टेक्निकल प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है और वे किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई में 'राज्य-गृह'

†८५४. **श्री पांगरकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष १९५८-५९ में 'राज्य-गृह' और 'जिला-आश्रयालय' स्थापित करने के लिये बम्बई सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कहां खोले जायेंगे; और

(ग) १९५८-५९ में इस योजना पर कुल कितना धन खर्च किया जायेगा?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, हां।

(ख) १. कोल्हापुर और बड़ौदा में सुधारक संथाओं से मुक्त आदमियों और औरतों के लिये क्रमशः एक एक 'राज्य-गृह'।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. खामगांव, हिम्मतनगर और गोधरा (पंचमहल) में तीन 'जिला-आश्रयालय'।

३. वधवान, अहमदनगर, पनवल, रत्नागिरि अथवा सावन्तवाडी और बम्बई में पांच स्वागत केन्द्र ।

(ग) अनुमोदित प्रतिरूप के अनुसार लगभग २·२७ लाख रुपये।

पजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

†८५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये इसकी योजनाओं के सम्बन्ध में कोई और अनुदान अथवा ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदान अथवा ऋण का क्या स्वरूप होगा और उसकी कितनी राशि होगी?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). यद्यपि पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण देने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वविद्यालय को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में विज्ञान विभाग के लिये उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें और पत्रिकायें इत्यादि खरीदने के लिये; कुछ भवनों के बनाने के लिये, कुछ विभागों के विकास के लिये और कर्मचारियों के संधारण और गवेषणा कार्य में वृद्धि करने के लिये ९२,९६,२०० रुपये का अनुदान देने का विचार है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को विद्यार्थी सहायता निधि, स्नातकोत्तर और गवेषणा-छात्र वृत्ति देने, विश्व-विद्यालय और उससे सम्बद्ध कालिजों के अध्यापकों के वेतन स्तर के पुनरीक्षण और विश्वविद्यालय अध्यापकों द्वारा विस्तार कार्य करने के लिये भी अनुदान दिये जाने की सम्भावना है। इन योजनाओं के बारे में ठीक धनराशि इस समय नहीं बतायी जा सकती और वह उपरोक्त धनराशि में सम्मिलित नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी विश्वविद्यालय को इसके पुनर्वास कार्यक्रम के लिये एक उपयुक्त अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

†८५६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा कितना कार्य किया गया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये कोई योजना बनाई गयी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) उर्दू के माध्यम से अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

दार्जीलिंग में विदेशी

†८५७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में जिला दार्जीलिंग, पश्चिमी बंगाल में कितने विदेशी आये ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :

पाकिस्तानी	१,९९५
राष्ट्रमंडलीय नागरिक	८४
अन्य विदेशी	५,९७४
कुल	८,०५३

पंजाब में तेल सर्वेक्षण

†८५८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हिमालय के निचले पहाड़ी इलाकों और पंजाब में जिला होशियारपुर समेत कोह शिवालक में तेल के लिये किये गये सर्वेक्षण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : पिछले फील्ड मौसम में किये गये कार्य को जारी रखते हुए पंजाब में चार भूतत्वीय फील्ड दल नक्शे तैयार कर रहे हैं।

दो गहरे कुओं का, एक ज्वालामुखी में और दूसरा होशियारपुर के निकट, छिद्रण किया जा रहा है। ज्वालामुखी क्षेत्र में भूतत्वीय जानकारी के लिये तीन रचना सम्बन्धी छिद्रों के लिये छिद्रण किया जा रहा है। यदि कुछ तेल अथवा गैस वाले क्षेत्र पाये गये तो छिद्रों का परीक्षण किया जायेगा।

छात्र-वृत्तियां

†८५९. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अन्य पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थियों को अब तक (राज्य-वार) भारत सरकार की छात्रवृत्तियां गई हैं; और

(ख) इन छात्रवृत्तियों के प्रदान करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]

आदमपुर में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†८६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदमपुर हवाई अड्डे की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को पूरा करने के लिये अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है और कितना धन और खर्च किया जायेगा; और

(ख) वर्षा ऋतु में हवाई अड्डे के कर्मचारियों को क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) केवल आदमपुर हवाई अड्डे को ही नहीं परन्तु रेलवे लाइन, राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़क और पास के गांवों को भी बाढ़ से बचाने के लिये योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना की कुल अनुमानित लागत २६.२४ लाख रुपये है। योजना पर भारत सरकार और पंजाब सरकार संयुक्त रूप से धन लगा रही हैं। पंजाब सरकार खर्चे का २५ प्रतिशत देगी जब कि भारत सरकार बाकी ७५ प्रतिशत देगी। योजना को पंजाब सरकार कार्यान्वित कर रही है। राज्य सरकार से अब तक खर्च की गयी धनराशि के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। जब भी जानकारी प्राप्त हो जायेगी, इसको सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) कोई विशेष सुविधायें नहीं दी गयी हैं।

पंजाब के लिये लोहा, इस्पात और कोयला

†८६१. { **श्री दलजीत सिंह** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ के लिये पंजाब राज्य सरकार की इस्पात, लोहा और कोयले की वास्तविक मांग कितनी है;

(ख) अब तक कितनी मात्रा आवंटित की गयी है; और

(ग) आवंटित मात्रा में से राज्य सरकार ने कितनी मात्रा उठायी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]

पब्लिक स्कूलों में भारत सरकार की योग्यता छात्र वृत्तियां

†८६२. **श्री सिदय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक स्कूलों में कितने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को १९५८-५९ में योग्यता छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी, एक।

†मूल अंग्रेजी में

मिलीजुली बस्तियां

†८६३. श्री सिदय्या : क्या गृह-कार्य मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों की बाकी राज्य सरकारों से मिलीजुली बस्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) से (ग). उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर की सरकारों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और राजस्थान की सरकारों से इसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई मिली-जुली बस्ती स्थापित नहीं की है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार मिलीजुली बस्ती स्थापित करने के लिये सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गयी है और उसने आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में नयी बस्तियां स्थापित करते समय इसको ध्यान में रखेगी।

आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और राजस्थान की राज्य सरकारों से जब भी जानकारी प्राप्त होगी वह सभा पटल पर रख दी जावेगी।

हरिजन कल्याण

†८६४. श्री सिदय्या : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८-५९ के अन्त तक हरिजन कल्याण और आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्डों की कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो बैठकें कब बुलाई जायेंगी ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) हरिजन तथा आदिम जातीय कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्डों की बैठकें मार्च अथवा अप्रैल, १९५९ में किसी समय होंगी। बैठकों की तिथियां अभी तक निश्चित नहीं की गयी हैं।

विदेशी मुद्रा

†८६५. श्री वें० प० नायर : क्या वित्त मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) राज्य पुनर्गठन के बाद से प्रत्येक राज्य से निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) प्रत्येक राज्य से इसकी अपनी पैदावार और निर्माण की हुई वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) सरकारी क्षेत्र, और (२) गैर-सरकारी क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये १ नवम्बर, १९५६ से प्रत्येक राज्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). निर्यात द्वारा कमायी गयी अथवा आयात पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी राज्य-वार नहीं रखी जाती । विदेशी मुद्रा समय समय पर अपनाई गई नीति के अनुसार योजना में सम्मिलित परियोजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकता को देखते हुए दी जाती है और पृथक राज्यों के सम्बन्ध में नहीं । अतः अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

राज्यों में केन्द्रीय करों और शुल्क की वसूली

†८९६. **श्री वें० प० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के पुनर्गठन के बाद से प्रत्येक राज्य से केन्द्रीय कर, शुल्क और लेवी के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गयी है; और

(ख) उसी कालावधि में प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि हस्तान्तरित की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

बम्बई राज्य में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना

†८९७. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में कोई इस्पात संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) क्या प्रस्तावित संयंत्र के स्थापित करने में किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं । इस समय कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षण

†८६८ { श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत १९५८ तक भरी गयी सब प्रकार की सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी प्रतिशत सेवायें और पद सुरक्षित रखे गये हैं; और

(ख) इन पदों को १९५८ में भरने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों और उनके सम्बद्ध/सहायक कार्यालयों में १९५२–५७ की कालावधि में सुरक्षित रिक्त स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्ति दिखायी गयी है। [**देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ५२**] वर्ष १९५८ के लिये जानकारी देने का अभी समय नहीं आया है।

(ख) केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधान में वृद्धि करने के लिये सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं। इनमें उपयुक्तता के स्तर को निम्न करना, आयु-सीमाओं में छूट, परीक्षाओं की फीस में कमी, सुरक्षित रिक्त स्थानों का अधिक प्रचार, विशेष पढ़ाई और प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। रिक्त सुरक्षित स्थान दो वर्षों तक चलते रहते हैं।

पंजाब प्रादेशिक समितियों की बैठकें

†८६९ { श्री राम कृष्ण :
श्री दो० च० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब प्रादेशिक समितियों की अब तक कितनी बैठकें हुयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : २६ नवम्बर, १९५७ को इन की स्थापना के बाद से पंजाबी प्रदेश सम्बन्धी प्रादेशिक समिति की ११ बैठकें और हिन्दी प्रदेश सम्बन्धी प्रादेशिक समिति की १५ बैठकें हो चुकी हैं।

विकलांग बच्चों के लिये आदर्श स्कूल

†८७०. { श्री राम कृष्ण :
श्री झूलन सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग बच्चों के लिये एक आदर्श स्कूल की स्थापना करने की योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : इस सम्बन्ध में कार्य करने वाले संगठनों से पूर्ण लाभ उठाने और सेवाओं का अधिक विस्तार करने के लिये सरकार देश के विभिन्न भागों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये काम कर रही उपयुक्त एच्छिक संगठनों को सहायता देना चाहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा-शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति

†८७१. { श्री राम कृष्ण :
श्री पांगरकर : }

क्या वित्त मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क)और(ख). प्रतिवेदन की अभी जांच हो रही है ।

केरल जेनमीकरम भुगतान (उन्मूलन) विधेयक[1]

†८७२. **श्री राम कृष्ण** : क्या गृह-कार्य मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जेनमीकरम भुगतान (उन्मूलन) विधेयक पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). विधेयक अभी विचाराधीन है ।

इस्पात का एकसम मूल्य

†८७३. **श्री राम कृष्ण** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समूचे देश में इस्पात का एकसम मूल्य निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). भारत में सब रेल-हैड स्टेशनों पर ११ जून, १९५६ से बढ़िया किस्म के इस्पात के लिये अधिकतम विक्रय-मूल्य निर्धारित किये जा चुके हैं ।

उच्चन्यायालयों में दीर्घावकाश

†८७४. **श्री राम कृष्ण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चन्यायालयों के दीर्घावकाश को कम करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं और क्या उठाये जाने वाले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: उच्चन्यायालयों के दीर्घावकाश की अवधि घटा कर काम के दिनों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर जून, १९५७ में हुए मुख्य मंत्री सम्मेलन, सितम्बर,

†मूल अंग्रेजी में

[1]Kerala Jenmikaram Payment (Abolition) Bill.

१९५७ में हुए विधि मंत्री सम्मेलन और अक्तूबर, १९५७ में हुए मुख्य न्यायाधिपति सम्मेलन में विचार किया गया था। इन सम्मेलनों में की गयी सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्चन्यायालयों का ध्यान दिलाया गया। इस के परिणामस्वरूप वर्ष १९५७ की अपेक्षा वर्ष १९५८ में सब उच्च-न्यायालयों में काम के दिनों में वृद्धि हुई और कुछ न्यायालयों ने तो २१० दिन तक कार्य किया।

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत प्रत्येक उच्चन्यायालय के दीर्घावकाश की अवधि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निश्चित किये जाने की शक्ति भी ले ली गई है। इस नये उपबन्ध के अन्तर्गत उच्चन्यायालयों के दीर्घावकाश की अवधि निश्चित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये संयुक्त भारत प्रशासन सेवा पदाली

†८७५. **श्री राम कृष्ण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये संयुक्त भारत प्रशासन सेवा पदाली बनाने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये संयुक्त भारत प्रशासन सेवा पदाली योजना संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेज दी गई है।

इस्पात का आयात

†८७६. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री वे० वें० राव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में विभिन्न देशों से कुल कितने कितने इस्पात का आयात किया गया;

(ख) प्रत्येक देश से किये गये आयात की कीमत कितनी-कितनी है; और

(ग) यदि विभिन्न देशों से आयात किये गये इस्पात के भावों में कुछ अन्तर हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). इस्पात सीमेंट या गेहूं की तरह एक ही किस्म का नहीं होता वरन् छड़ों, चादरों आदि विभिन्न किस्मों का होता है। इनमें से प्रत्येक किस्म के भाव उस के आकार और अन्य विवरणों पर निर्भर करता है। इस लिये विभिन्न देशों से आयात किये गये इस्पात के भावों में तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन यह बात सच है कि एक ही किस्म और आकार के इस्पात का भाव अलग अलग देश में और संभरणकर्ता के यहां अलग अलग होता है। यह अन्तर आम तौर पर सीमान्त ही होता है और निर्माण की पद्धति, बाजार की स्थिति, भाड़े, खरीद के समय आदि विभिन्न बातों पर निर्भर करता है।

लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि १९५८ में विभिन्न देशों से कितने-कितने मूल्य के कितने-कितने इस्पात का आयात किया गया था। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल को प्रविधिक शिक्षा सम्बन्धी अनुदान

†८७७. **श्री जीन चन्द्रन्** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक प्रविधिक शिक्षा की उन्नति के लिये केरल सरकार को कितने अनुदान (पूंजी तथा आवर्त्तक) दिये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : १९५७–५८ में केरल सरकार को १०.३९ लाख रुपयों की राशि दी गयी थी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

	लाख रुपयों में	
	अनावर्त्तक	आवर्त्तक
१. कालेज आफ इंजीनियरिंग, त्रिवेन्द्रम	२.५९	—
२. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, कोजिकोड	.८०	—
३. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, कलमेस्सरी	७.००	—
जोड़	१०.३९	—

१९५८–५९ के लिये अभी तक कुछ भी अनुदान मंजूर नहीं किया गया है ।

पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के लिये किये गये कुल उपबन्धों के ३/४ भाग के बराबर राशि अर्थोपाय पेशगियों के रूप में नौ बराबर की माहवारी किश्तों के रूप में आपसे आप मिल जाती हैं। ये किश्तें मई, १९५८ में आरम्भ हुई हैं।

सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†८७८. { **श्री जीन चन्द्रन्** :
श्री आसर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक कुल कितने सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल विदेश गये;

(ख) ये किन-किन देशों को गये और इन के जाने के प्रयोजन क्या थे;

(ग) प्रत्येक शिष्ट मण्डल पर कितनी-कितनी विदेशी मुद्रायें व्यय हुईं; और

(घ) इसी अवधि में कुल कितने विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भारत आये और ये किन-किन देशों से आये ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) से (घ). विवरण 'ए' और 'बी' लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]

†मूल अंग्रेजी में

भारत का राज्य बैंक

†८७९. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तबसे प्रत्येक राज्य में भारत के राज्य बैंक की कितनी-कितनी शाखायें खुली हैं; और

(ख) ये शाखायें किन-किन स्थानों में खोली गयीं हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**:(क) और (ख). मैं अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]

केन्द्रीय रबड़ गवेषणा संस्था

†८८०. **श्री वें० प० नायर** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्[1] के १९५६-५७ के प्रशासनिक प्रतिवेदन के पृष्ठ १० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें जिस उपसमिति का जिक्र किया गया है क्या उसने प्रस्तावित केन्द्रीय रबड़ गवेषणा संस्था का व्यौरा तैयार कर लिया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : अभी नहीं ।

मैट्रिक के बाद अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियां

†८८१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियां देने के लिये वर्ष १९५९-६० के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है; और

(ख) १९५७-५८ में इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि की छात्रवृत्तियां मंजूर की गयी थीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने की भारत सरकार की योजना के अधीन उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये अलग से कोई अनुदान नहीं मंजूर किया जाता । १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने पर कुल कितनी राशि व्यय की जायगी इसका अभी पता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Council of Scientific and Industrial Research.

(ख) जाति का नाम	हुआ व्यय
अनुसूचित जातियां	२३,४६,८६३ रुपये

एम० ई० एस० कन्सट्रक्शन कमेटी

८८२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० कन्सट्रकशन कमेटी की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस कमेटी की मुख्य सिफारिशों और उन पर किये गये निश्चयों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). एम० ई० एस० कन्स्ट्रकशन कमेटी की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है ।

दैवी आपत्तियों के लिये निधि

८८३. **श्री सरजू पांडे** : क्या वित्त मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों ने इस बीच दैवी आपत्तियों के लिये निधियां खोल ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). निधि खोलने की बात को जम्मू और काश्मीर सरकार ने सिद्धान्त रूप से मान लिया है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने अपने निर्णय के बारे में अभी तक सूचना नहीं दी है, इसलिये उन्हें स्मरण दिलाया गया है ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने निश्चय किया है कि इस प्रश्न का विचार वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक स्थगित रखा जाये ।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स का विस्तार कार्यक्रम

†८८४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती के मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ने अपने विस्तार कार्यक्रम के लिये सरकार से और भी वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स का विस्तार कार्य कार्यक्रमानुसार चल रहा है; और

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ उपकरण प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई थी?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). १९५७ की मई में मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ५.९५ करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता मांगी थी। यह मुख्य रूप से इस्पात विस्तार कार्यक्रम और फैरो-सिलिकान योजना के सम्बन्ध में थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से चली आने वाली सम्बन्धित सुविधाओं और योजनाओं के लिये किये गये उपबन्ध भी इस में शामिल थे। भारत सरकार ने फैरो-सिलिकांन योजना का अनुमोदन कर दिया है और मैसूर स्वयं उसके लिये वित्त-व्यवस्था कर रहा है। जहां तक इस्पात विस्तार कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मैसूर इस समय आर्डरों को अंतिम रूप देने की दृष्टि से इन प्रस्तावों पर, विशेष रूप से इसके विदेशी मुद्रा वाले व्यय के लिये वित्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर, विचार कर रहा है।

(घ) जी हां। भारत सरकार जिस योजना का अनुमोदन कर चुकी है वह संतोषप्रद ढंग से चल रही है।

(ङ) सरकार को किसी कठिनाई का पता नहीं है।

विदेशों में भारतीय छात्र

†८८५. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : }

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने भारतीय छात्र विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से कितनों को भारत सरकार की या विदेशी छात्र वृत्तियां मिलती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). नवीनतम जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है।

निवृत्ति वेतन के मामले

८८६. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निवृत्ति वेतन सम्बन्धी ऐसे कितने मामले अब भी विचाराधीन हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त हुए साल भर से भी अधिक हो गया है लेकिन उनके मामलों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भारतीय अभिलेख

†८८७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने देशों में ऐसे भारतीय अभिलेख उपलब्ध हैं जिनसे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० ला० का० श्रीमाली)**: भारतीय अभिलेख, अर्थात्, भारत में रहने वाले व्यक्तियों या निकायों द्वारा रचित अभिलेख, जिनमें विदेशी सरकारों या अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के अभिकरणों द्वारा रचित अभिलेख शामिल नहीं हैं, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस में उपलब्ध हैं। इन के अलावा ऐसे अभिलेख, जो भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं लेकिन विदेशी सरकारों या उनके अभिकरणों द्वारा रचित हैं, कई देशों, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, नारवे, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, अमरीका, पुर्तगाल, इटली और श्री लंका में उपलब्ध हैं।

विदेशों में यात्रा के लिये विदेशी मुद्रायें

†८८८. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश जाने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों को १९५८ में १९५७ की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रायें मंजूर की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). उपलब्ध नवीनतम आंकड़ोंके अनुसार जनवरी-नवम्बर, १९५८ में व्यापारिक प्रयोजनों के लिये ८५ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रायें दी गयीं थीं जबकि १९५७ की इसी अवधि में ७९ लाख रुपये की विदेशी मुद्रायें मंजूर की गयीं थीं। १९५८ के दिसम्बर महीने में दी गयी मुद्राओं की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

नेवेली और वर्कलाई में लिग्नाइट

†८८९. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में नेवेली में लिग्नाइट के पाये जाने के सम्बन्ध में किस प्रकार की और कितनी भूतत्वीय जांच की गयी है और १९५६-५७ में की गयी वर्कलाई की जांच की तुलना में कैसी ठहरती हैं; और

(ख) प्रत्येक स्थान पर कितनी-कितनी गहराई तक कितने-कितने छिद्रण किये गये ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). नेवेली क्षेत्र में लिग्नाइट की मौजूदगी का निश्चय तो केवल उन तीन छिद्रणों के फलस्वरूप ही हो गया था जो वास्तव में

†मूल अंग्रेजी में

लिग्नाइट का नहीं वरन् भूमिगत जल का पता लगाने के लिये किये गये थे। लेकिन इसके बाद निक्षेपों के विस्तार और परिमाण का पता लगाने के लिये ५२ वर्ग मील के क्षेत्र में ३३ छिद्र किये गये। ये छिद्र आमतौर पर २०० फुट की गहराई तक किये गये हैं लेकिन कुछ छिद्र २६० फुट की गहराई तक भी करने पड़े।

वर्कला के अवसादीय क्षेत्रों[1] में, जो क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों के कुछ भागों तक फैले हुए हैं, छिद्रण लिग्नाइट के निक्षेपों का पता लगाने के लिये ही किये गये थे जिन के यहां पाये जाने की बात ज्ञात ही थी। ८ फरवरी, १९५७ से, १७ मार्च, १९५८ के बीच कुल मिलाकर २,५१५ फुट लम्बे १६ छिद्र यहां किये गये। यह जांच ५० वर्गमील क्षेत्र में की गयी थी और ये छिद्र भूमि को चौकोर टुकड़ों में बांट कर उन्हीं के आधार पर किये गये थे। यहां लिग्नाइट वर्कलाई अवसाद की काली-मिट्टी वाली परत के निकट लकड़ी की कार्बोनाइज्ड ठूंठों की शक्ल में छिटपुट स्थानों पर पाया गया था।

ये छिद्र २५ से लेकर २७१ फुट की गहराई तक किये गये थे। इस में से किसी भी छिद्र में निश्चित प्रमाण न मिलने के कारण इस क्षेत्र में और आगे कुछ कार्य करना ठीक नहीं समझा गया।

वायु सेना के असैनिक कर्मचारी

†८९०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु-सेना के असैनिक कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में उनका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां। अधिकांश कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है।

(ख)

श्रेणी १	केवल ३ पद होने के कारण एक भी स्थायी पद मंजूर नहीं किया गया है।
श्रेणी २	स्थायी स्वीकृत संख्या के ८० प्रतिशत।
श्रेणी ३	स्थायी स्वीकृत संख्या के ६७ प्रतिशत।
श्रेणी ४	कुछ प्रशासनिक औपचारिक कार्यवाही पूरी न हो सकने के कारण अभी किसी को स्थायी नहीं बनाया गया है। आशा है कि यह कार्यवाही शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

भारत प्रशासन सेवा स्कूल

†८९१. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन लेखा-परीक्षकों न भारत प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल के लेखाओं और सामान का निरीक्षण किया था उन्होंने १९५५–५६ और १९५६–५७ के अभिलेखों में कुछ आपत्तियां उठायी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sedimentary Patches

(ख) यदि हां, तो ये आपत्तियां किस प्रकार की हैं; और

(ग) क्या इन आपत्तियों को निबटाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) १९५५-५६ के लेखा-परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों के बारे में आपत्ति उठायी गयी है :

(१) इलैक्ट्रिक इंजीनियर से मूल्य-कथन या प्राक्कलन मांगे बिना स्थानीय बाजार से आठ हीटरों की खरीद ।

(२) खोई हुई पुस्तकालय की पुस्तकों के लिये १९५४ और १९५५ के बैचों के परिवीक्षाधीन लोगों से वसूल की गयी राशियों की रसीद न देना ।

(३) कैश-बुक और आकस्मिक-पूंजी लिखने में प्रकिया सम्बन्धी अनियमिततायें ।

(४) मार्च के महीनों में बड़ी संख्या में व्यय ।

(५) चार पुस्तकालयों की पुस्तकों का खो जाना और परिवीक्षाधीन लोगों को दी गयी पुस्तकालय की पुस्तकों का न लौटाया जाना ।

१९५६-५७ के लेखा-परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में इन की ओर संकेत किया गया :

(१) परिवीक्षाधीन लोगों को दी गयी पुस्तकों की कीमत एक को छोड़कर किसी से वसूल नहीं की गयी है; और

(२) फर्नीचर की वस्तुओं का कोई हिसाब नहीं रखा गया और न इन को देखकर इन की संख्या के सम्बन्ध में निश्चित पता किया गया; इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि २० जून, १९५७ की जांच के फलस्वरूप जो विषमतायें पायी गयीं हैं उन के सम्बन्ध में जांच की जाय और लेखा-परीक्षकों को उसकी सूचना दी जाये और जो सामान कम हैं उसके सम्बन्ध में इस बात का निश्चय किया जाय कि कमी के लिये कौन जिम्मेदार है ।

(ग) १९५५-५६ के लेखा-परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों के बारे में आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है और लेखा-परीक्षकों को भी इसकी सूचना दे दी गयी है ।

जहां तक १९५६-५७ के लेखा-परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों का प्रश्न है, जिन पुस्तकों को लौटाया नहीं गया है उनकी लागत वसूल करने के लिये कार्यवाही कर दी गयी है । जिन पुस्तकों के बारे में किसी व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जा सके उन्हें बट्टे खाते डाल दिया गया है । फर्नीचर और सामान के खोने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है और जांच चल रही है । आशा है कि इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा ।

दिल्ली की झोंपड़ियों का गिराया जाना

८९२. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लाल किले के निकट १९४७ से बसे हुए विमुक्त जातीय लोगों की झोंपड़ियां ३० दिसम्बर, १९५८ को गिरा दी गई थीं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन्हें उसके बदले में कौन सा स्थान दिया गया;

(ग) कितने परिवार इस प्रकार विस्थापित हुए;

(घ) क्या उस क्षेत्र में उनके अतिरिक्त कोई और परिवार भी रहते थे; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उनकी झोंपड़ियां भी गिरा दी गई थीं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) जी नहीं, लेकिन लाल किले के स्टेशन स्टाफ अफसर की प्रार्थना पर किले के पाबन्दशुदा इलाके में गैर-कानूनी तौर पर बनाई गई २७ झोंपड़ियां, १४ दीवारें और चाय का एक स्टाल २९ और ३० दिसम्बर, १९५८ को गिराया गया। यह नहीं मालूम कि ये झोंपड़ियां आदि विमुक्त जातियों की थीं या किसी और की।

(ख) इनके बदले में कोई और स्थान देने का सवाल नहीं उठता क्योंकि ये गैर-कानूनी तौर पर और हाल ही में बनाई गई थीं।

(ग) अनुमान है कि २८ परिवार विस्थापित हुए।

(घ) और (ङ). पाबन्दीशुदा इलाके से बाहर गैर-कानूनी तौर पर बनाई गई पुरानी झोंपड़ियां आदि नहीं गिराई गई हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में राज्यों से जानकारी

†८९३. { **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
श्री माने : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें अक्सर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा मांगी गयी जानकारी समय से नहीं भेजतीं; और

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). १९५७-५८ के अपने नवीनतम प्रतिवेदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के लिये सामग्री देने में राज्य सरकारों के बारे में जो बातें कहीं हैं उनके अलावा भारत सरकार को उन से कोई निश्चित शिकायत नहीं मिली है।

प्रशासनिक मंत्रालयों की वित्तीय शक्तियां

†८९४. **श्री मुरारका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में प्रशासनिक मंत्रालयों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा देने का क्या प्रभाव हुआ है; और

(ख) क्या यह परिवर्तन नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के परामर्श से किया गया था ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) माननीय सदस्य वास्तव में क्या जानकारी चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि वे प्रशासनिक मंत्रालयों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने की नई योजना का ब्यौरा या यह जानना चाहते हैं कि प्रशासनिक मंत्रालयों की वित्तीय

†मूल अंग्रेजी में

शक्तियों में कितनी वृद्धि की गयी है, तो इस व्यौरे का काफी प्रचार ४ जुलाई, १९५८ को जारी किये गये प्रेस नोट में ही काफी प्रचार कर दिया गया था। इस विषय के औपचारिक आदेश सरकार ने १८ अगस्त, १९५८ को निकाले थे। इन आदेशों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को दे दी गयी हैं।

यदि, दूसरी ओर, माननीय सदस्य यह जानना चाहें कि इस नयी योजना का सरकारी शासन-तंत्र के कार्य कलाप पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो यह एक ऐसा मसला है जिसके बारे में उचित अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब वास्तव में इस योजना के क्रियान्वय का अनुभव प्राप्त हो जाये। इस समय तो मैं केवल यही आशा प्रगट कर सकता हूं कि इस योजना के फलस्वरूप कार्य-कुशलता बढ़ेगी, विकास योजनायें शीघ्रता से क्रियान्वित की जायेंगी और साथ ही अन्य मंत्रालयों से वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध बेहतर हो जायेंगे।

(ख) जी हां।

मैसूर का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टरेट

†८९५. **श्री द० अ० कट्टी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलेक्टर ने अपने कलेक्टरेट के तमाखू व्यापारियों को यह आदेश दिया है कि वे जो जमानतें देते हैं उन के अलावा अपनी शोधक्षमता[1] भी सिद्ध करें ;

(ख) क्या इस मामले में सरकार ने कोई हिदायत दी है; और

(ग) क्या यह नियम केवल मैसूर कलेक्टरेट पह ही लागू होता है या सभी कलेक्टरेटों पर लागू होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जहां तक सरकार को पता है, मैसूर के कलेक्टरेट आफ सेन्ट्रल एक्साइज के किसी भी तमाखू व्यापारी से जमानत देने के अलावा अपनी शोधक्षमता सिद्ध करने के लिये नहीं कहा गया है। भाण्डागारों के लाइसेंसधारियों और उनके जमानत द रों से केवल उन्हीं मामलों में शोधक्षमता के प्रमाण पत्र मांगे गये हैं जिन में पिछले बकाया केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का भुगतान न किया गया हो या जिनकी वित्तीय क्षमता के सम्बन्ध में संदेह करने के कारण मौजूद हों।

(ख) जी हां, यह स्थायी हिदायत है कि हर वर्ष भाण्डारगारों के लाइसेंसधारियों और उन के जमानत दारों की शोधक्षमता की जांच कर ली जाय।

(ग) ये हिदायतें देशभर में लागू होती हैं।

मनीपुर जेल के बन्दी

†८९६. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर जेल में इस समय कितने परीक्षणाधीन काराबन्दी हैं; और

(ख) ऐसे बन्दियों की संख्या कितनी है जो वहां पिछले क्रमशः ३ और ६ महीनों से हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] Solvency.

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) ३१ जनवरी, १९५९ को १३४ ।

(ख) क्रमश: २६ और १६ ।

छूट्टी संबंधी नियम

†८६७. श्री राम कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी सम्बन्धी नियमों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिये हाल ही में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : छुट्टी सम्बन्धी नियमों में सुस्पष्ट उपबन्ध होने के कारण उनके दुरुपयोग की ज्यादा गुंजायश नहीं है । फिर भी ऐसे मामले हुए हैं जिनमें छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारियों ने नियमों के अधीन अपने विरित स्वविवेक-अधिकारों का प्रयोग किये बिना छुट्टी मंजूर कर दी है । इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये मई और सितम्बर, १९५८ में कुछ हिदायतें जारी की गयी थीं । (प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं) । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]

उच्चतम न्यायालय और कलकत्ते के उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

†८६८. श्री सुबिमन घोष : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद ३२ और २२६ के अधीन कितने मामले और अपील इस समय कलकत्ते के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं;

(ख) इन में से प्रत्येक न्यायालय में इन मामलों और अपीलों के दाखिल करने की सबसे पहली तारीख कौन सी है;

(ग) इन मामलों और अपीलों में से कितनी नौकरी से बर्खास्तगी के बारे में हैं; और

(घ) प्रत्येक न्यायालय में ऐसे मामलों और अपीलों की सबसे पहली तारीख कौन सी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर का उत्पादन शुल्क विभाग

†८६९. श्री ले० अचौ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के उत्पादन-शुल्क विभाग को समाप्त कर उसे पुलिस विभाग में मिला दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय मुद्राओं का पकड़ा जाना

†६००. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने दिसम्बर, १९५८ के पहले सप्ताह में एक यात्री पोत से, जब वह योरप जाते समय कोचीन पर लंगर डाले खड़ा था, ५.५ लाख रुपयों के अमरीकी डालरों के नोट और भारतीय नोट पकड़े थे; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गयी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). जी हां। ६ दिसम्बर, १९५८ को कोलम्बो से योरप जाने वाले मोटर पोत "आस्ट्रेलिया" के एक मार्गस्थ यात्री की मोटर कार के विशेष रूप से निर्मित एक छिपे हुए खाने में ३,२२,००० रुपये के भारतीय नोट और ४४,६०० डालर के अमरीकी नोट छिपे पाये गये। कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कृषक

†६०१. श्री भं० रं० कृष्ण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कृषकों की सहायता करने की सरकार की कोई विशिष्ट योजना है;

(ख) क्या यह योजना केवल खण्ड क्षेत्रों के बारे में है या सभी के लिये है;

(ग) इस योजना के अधीन १९५६–५७ और १९५७–५८ में कुल कितनी राशि व्यय की गयी है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिये आन्ध्र प्रदेश की सरकार को कितनी राशि आवंटित की गयी थी ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना सभी क्षेत्रों के लिये है।

(ग) यह जानकारी नीचे दी जाती है :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
	लाख रुपये	लाख रुपये
१९५६–५७	२६.६९	३८.१९
१९५७–५८	४०.५७	६७.०७
	६७.२६	१०५.२६

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित आदिम जातियों पर किये गये १०५.२६ लाख रुपयों के व्यय में बहुप्रयोजनीय प्ररियोजनाओं के प्रत्येक योजना सम्बन्धी बजट में शामिल योजनाओं पर हुआ व्यय शामिल नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश की सरकार को निम्न राशियां आवंटित की गयीं थीं :—

	१९५६–५७	१९५७–५८
अनुसूचित जातियां	०.५४	०.६८
अनुसूचित आदिम जातियां	०.५८	२.३६
	१.१२	३.०४

दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

†९०२. { श्री रा० स० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल में ही राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी, नहीं। पर निकट भविष्य में एक सम्मेलन बुलाने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खरादों की खरीद

†९०३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों को यह परामर्श दिया गया है कि वे हिन्दुस्तान मशीन औजार (प्राइवेट) लिमिटेड से खराद खरीदें; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी और किन-किन प्रतिष्ठानों के लिये खरादें खरीदी गई हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). मंत्रालय से इस प्रकार के कोई विशिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु सामान्य नीति के रूप में, यदि देश में तैयार किये गये सामान से टेक्निकल आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं, तो उनकी खरीद यहीं से की जाती है।

आयुध कारखानों की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन औजार (प्राइवेट) लिमिटेड से अब तक ४६ खरादें खरीदी गई हैं।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में ग्राम विश्वविद्यालय

†९०४. { श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में एक ग्राम विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना की क्या स्थिति है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसके प्रतिवेदन पर राज्यों की सम्मतियां प्राप्त कर ली हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश ने राजेन्द्र नगर को उपयुक्त स्थान बताया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय होने की आशा की जाती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). शिक्षा मंत्रालय को न तो आन्ध्र प्रदेश से ग्राम विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना ही और न जिस समिति का निर्देश किया गया है उसके पास से कोई प्रतिवेदन ही प्राप्त हुआ है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अस्वास्थ्यकारी स्थान भत्ता

†९०५ { श्री जान चन्द्रन :
श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के वे स्थान कौन-कौन से हैं जिनका वर्गीकरण अस्वास्थ्यकर स्थानों में किया गया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को अस्वास्थ्यकर स्थान भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यह वर्गीकरण पिछली बार कब किया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) अस्वास्थ्यकर स्थानों का वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा न किया जाकर राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर किये गये वर्गीकरण का ही पालन किया जाता है ।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये गोष्ठियां

९०६. { श्री पद्म देव :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये सरकारी तत्वावधान में कितनी गोष्ठियों का आयोजन किया गया; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार ने उन पर कितना व्यय किया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक ।

(ख) ३,२१८ रुपये ।

हिमाचल प्रदेश में ऋण सहायता अधिनियम का लागू होना

९०७. **श्री पद्म देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऋण सहायता अधिनियम कब से लागू है; और

(ख) इस अधिनियम का अधिकाधिक प्रचार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) माननीय सदस्य का मतलब शायद हिमाचल प्रदेश डेट रिडक्शन ऐक्ट से है । यह ऐक्ट हिमाचल प्रदेश में पहली अगस्त, १९५४ से लागू है ।

(ख) डिप्टी कमिश्नर इस ऐक्ट का जिलों में प्रचार कर रहे हैं । प्रचार के काम को जन सम्पर्क विभाग, पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के जरिये भी बढ़ाया जायेगा ।

छात्रवृत्तियां

†९०८. **श्री सोनावने** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) अनुसूचित जातियों के ऐसे छात्रों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है जिनको १९५८-५९ में मैट्रिक से आगे अध्ययन करने के लिये दी जाने वाली भारत सरकार की छात्रवृत्तियां नहीं दी गई और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उन छात्रों की राज्यवार संख्या कुल कितनी है जिनको आंशिक छात्रवृत्तियां मिली और उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) यह जानकारी चालू वित्तीय वर्ष (१९५८-५९) के समाप्त हो जाने पर ही उपलब्ध होगी ।

(ख) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और उसके एकत्र करने में जितना श्रम और समय लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

लौह अयस्क निक्षेप

†९०९. **श्री पांगरकर** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के नान्देर जिले की मनधार नदी के तल में लौह अयस्क निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसे निकालने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो वह क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भारतीय छात्र

†९१०. श्री पांगरकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान, फ्रांस और इटली में कितने भारतीय छात्र हैं ;

(ख) उन में से कितनों की वित्तीय सहायता सरकार करती है ; और

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगती है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):(क) १–१–५८ तक प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार जापान, फ्रांस और इटली में भारतीय छात्रों की संख्या क्रमशः ८, ३९ और २५ हैं ।

(ख) उनमें से क्रमशः ४, ११ और १ की वित्तीय सहायता सरकार करती है ।

(ग) विदेशों में सारे भारतीय छात्रों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है इस के बारे में जानकारी पहले से ही एकत्र की जा रही है क्योंकि यह जानकारी २–१२–५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णय का पालन करने के हेतु लोक-सभा पटल पर समय-समय पर रखी जाया करेगी । इस प्रश्न में जिन तीन देशों का उल्लेख किया गया है उन के बारे में भी इस में जानकारी दी होगी ।

मोटरकारें और मोटर साइकिलें

†९११ { श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९५८ में कितनी मोटरकारें और मोटर साइकिलें चोरी गईं ;

(ख) उन में से अब तक कितनी वापस मिल गई हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क)

	मोटरकारें	मोटर साइकिलें
(क)	३१	४५
(ख)	३०	३२

(ग) चोरी की रिपोर्ट पुलिस को करते ही उस की तलाश तत्काल आरम्भ कर दी जाती है तथा पुलिस के अन्य अधिकारियों को उस की सूचना बेतार के तार द्वारा दे दी जाती है ।

विशेष प्रकार का इस्पात

†९१२. श्री वें० प० नायर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिश्रित इस्पात, औजार बनाने का इस्पात और ठप्पे बनाने का कितना इस्पात अब भारत में बनने लगा है और उस में से प्रत्येक की प्रतिवर्ष कितनी आवश्यकता होती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : विशेष प्रकार के इस्पात में से प्रत्येक के बारे में, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विशेष प्रकार के इस्पात की देश की वार्षिक आवश्यकता लगभग ३०,००० टन है जिस में मिश्रित इस्पात, औज़ार बनाने का इस्पात और ठप्पे बनाने का इस्पात शामिल हैं। जबकि देश में उत्पादन लगभग २,००० टन से ३,००० टन प्रति वर्ष ही होता है।

भारत दर्शन यात्रा

९१३. श्री वाजपेयी : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी की मंत्रणा समिति ने केन्द्रीय सरकार से साहित्यिकों के लिये भारत दर्शन यात्रा का प्रबन्ध करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तरल सोने का चोरी-छिपे ले आया जाना

†९१४. श्री ब्रज राज सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली का तरल सोना लंका से मद्रास पत्तन से हो कर भारत में चोरी-छिपे लाया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चोरी-छिपे लाये गये तरल सोने के कारण कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को बड़ा धक्का पहुंच रहा है ; और

(ग) सरकार तरल सोने के चोरी-छिपे लाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है अथवा उस ने क्या कार्यवाही की है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देशाई) : (क) जहां तक सरकार को विदित है इटली का तरल सोना भारत में चोरी-छिपे अधिक मात्रा में नहीं लाया जाता ; हाल के कुछ महीनों में मद्रास पत्तन पर केवल एक बार इटली का तरल सोना पकड़ा गया है जिस की कीमत ६,३५२ रुपये थी। विश्वास है कि यह माल लंका से चोरी-छिपे लाया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) पत्तनों और स्थल सीमाशुल्क की सीमाओं पर माल को चोरी-छिपे ले जाने से रोकने के लिये विभिन्न कार्यवाही लगातार की जा रही है जिस में तरल सोना भी शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पानी की कमी

†९१५. { श्री राम कृष्ण :
श्री पांगरकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आगामी गर्मी में पानी की कमी का खतरा पुनः पैदा होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस खतरे को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य के मस्तिष्क में मई और जून, १९५९ में पानी की कमी को दूर करने के लिये मुनाक एस्केप से हो कर पश्चिमी यमुना नहर से जल प्राप्त करने से उत्पन्न कठिनाई होगी। भय यह था कि पंजाब सरकार द्वारा आरम्भ किये गये कतिपय पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यों के कारण मुनाक एस्केप से १९५९ की गर्मियों में हम जितने जल की आवश्यकता है उतना न मिल सके। पंजाब सरकार से इस कार्य के लिये दूसरी एक्सकेप का उपयोग करने के प्रश्न पर बातचीत की गई है और उस ने १९५९ की गर्मियों में इन्द्री एस्केप से हो कर उतना जल देना स्वीकार कर लिया है जितने जल की आवश्यकता होगी।

अगरताला में आग

†९१६. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के एम० बी० बी० कालेज, अगरताला में जो आग लगी थी उस के बारे में पुलिस द्वारा जांच करने पर क्या पता लगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : तीन घटनाओं में से एक की अभी जांच की जा रही है, जबकि शेष दो में से एक के बारे में यह पता लगा है कि आग दुर्घटनावश लग गई और दूसरे मामले में जान बूझ कर आग लगाने का सन्देह किया गया था किन्तु कोई निश्चित परिणाम अभी नहीं निकाला जा सका है।

आयुध कोर के पदाधिकारियों का सम्मेलन

९१७. श्री रा० स० तिवारी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९५९ में आयुध कोर के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये;

(ग) इन निर्णयों के आधार पर प्रतिरक्षा सामानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रतिरक्षा सामान के बारे में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) यह सम्मेलन अधिकतर आर्डनेंस कोर के बारे में क्रियात्मक अनुभव, जानकारी और विचारों के आदान-प्रदान के लिये किया गया था । ऐसा सम्मेलन हर साल होता है ।

(ग) प्रतिरक्षा सामान के उत्पादन का काम अधिकतर आर्डनेंस फैक्ट्रियों का है । उत्पादन से आर्डनेंस कोर का गहरा सम्बन्ध होते हुए भी प्राप्यता जैसे कि भरणपोषण, बचत और सामग्री जुटाने का काम आर्डनेंस कोर का है । ऐसे सम्मेलनों की विस्तृत कार्यवाही बताई नहीं जा सकती ।

(घ) अभी कोई तिथि नहीं बताई जा सकती कि जब तक देश स्वयं निर्भर हो सकेगा क्योंकि देश में, उद्योगीय उन्नति से इस बात का गहरा सम्बन्ध है ।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन

†६१८. **श्री आसर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में दो विदेशी गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि उन्हें देश छोड़ने की अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य श्री आर० येब नामक अंग्रेज और कुमारी मेंडलाइन पालेट्टी सोरियट नामक फ्रांसीसी का उल्लेख कर रहे हैं जिनको दिल्ली में १३ अप्रैल, १९५७ को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, १९४७ और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था यदि ऐसा है तो उनके पास लगभग २,४०,००० रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा मिली थी जो ज़ब्त कर ली गई थी तथा उन पर कुल ३५,००० रुपये जुर्माना किया गया था । उनको एक वर्ष का साधारण कारावास भी हुआ था जो कुमारी सोरियट के लिये अपील करने पर घटा कर उतने ही समय का कर दिया गया था जितने समय तक वह कारावास में पहले रह चुकी थीं ।

(ग) और (घ). जी नहीं; स्थिति यह है कि पहले मामले में सज़ा के पश्चात्, दूसरे मामले में सुनवाई करने के पश्चात् उन्हें ज़मानत पर छोड़ दिया गया था । अब बताया गया है कि ज़मानत पर छूटते ही वे इस देश को छोड़ कर चले गये हैं ।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत-घर

६१९. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंचायत-घर बनाने में और क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : जिस जवाब की ओर ध्यान दिलाया गया है उसमें यह बताया गया था कि २२ पंचायत-घर बनाये जा रहे हैं । इनके अलावा उन १६ पंचायत-घरों में से १३ पंचायत-घरों का बनना शुरू हो गया जिनके लिये उस समय सामान प्राप्त किया जा रहा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†९२०. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का भुगतान अभी बहुत से छात्रों को नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) बम्बई राज्य को (विदर्भ प्रदेश को शामिल कर) १९५८-५९ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के छात्रों के लिये अब तक स्वीकृत ४,५५१ क्षात्रों में से ३,४५१ छात्रों की छात्रवृत्ति राशि संबंधित विद्यार्थियों को देने के लिये संस्थाओं के अध्यक्षों के पास भेज दी गई है । शेष छात्रों की छात्रवृत्ति राशि भी भेजी जा रही है ।

बम्बई राज्य के विदर्भ प्रदेश के लिये अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी उपयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये २५ लाख रुपये की अतिरिक्त निधि नवम्बर, १९५८ में ही भेज दी गई थी, इस कारण छात्रवृत्तियों को देनें में कुछ भी अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है ।

सांस्कृतिक शोभा यात्रा

†९२१. श्री राधारमण : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणतंत्र दिवस समारोह पर सांस्कृतिक शोभायात्रा के लिये तैयार की गई छः झांकियों का उपयोग करने के लिये सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). जी नहीं । सरकार का कोई विचार इन झांकियों का ऐसा उपयोग करने का नहीं है । झांकियां संबंधित विभागों द्वारा तोड़-फोड़ डाली गई हैं और जो भी सामान कुछ उपयोग के योग्य बचा है उस को सम्बन्धित पक्षों ने प्रदर्शनियों आदि में उपयोग करने के लिये रख लिया है । शेष को कबाड़ के रूप में बेच-बाच दिया गया ।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

†९२२. श्री बी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के वे वैज्ञानिक, जिन्होंने मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य के घेरे में छोड़ा था, दिल्ली में जनवरी, १९५९ में हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था;

(ख) क्या उनमें से कोई विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने आया था;

(ग) क्या स्पूतनिकों आदि की तकनीक के सम्बन्ध में भारतीय वैज्ञानिकों ने उनसे वाद-विवाद किया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सेना के सामान की चोरी

†९२३. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे पर हाल ही में बबीना और बिजोली स्टेशनों के बीच मालगाड़ियों में से कुछ सेना के सामान की चोरी हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा सेना मुख्यालयों को ऐसी किसी प्रकार की घटना का समाचार नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास राज्य में लोक सहायक सेना शिविर

†९२४. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ४ के अधीन मद्रास राज्य में किन-किन स्थानों पर और कितने शिविर स्थापित किये गये हैं; और

(ख) मद्रास राज्य के विभिन्न ज़िला शिविरों में कितने स्वयंसेवक दर्ज हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८**]

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

†९२५. { **श्री सिद्धनंजप्पा** :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवक कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्ति देने की योजना के अधीन १९५८-५९ में अब तक पुरस्कार देने के लिये कितने व्यक्तियों का चुनाव किया गया है;

(ख) पुरस्कार प्राप्त करने वाले युवक किन-किन क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त करेंगे; और

(ग) प्रत्येक छात्रवृत्ति की क्या राशि होगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) श्रीमान् ४६ ।

(ख) सांस्कृतिक क्षेत्र जैसे संगीत, नृत्य, ड्रामा और ललित कलायें (ड्राइंग, चित्रकला और वास्तुकला) ।

---

†मूल में अंग्रेजी में

(ग) २५० रुपये प्रति मास।

नेपाली विद्यार्थी

९२६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में कितने नैपाली विद्यार्थी भारत सरकार के खर्च पर भारत में पढ़ने के लिये आये ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १९५८ में भारत सरकार के खर्च पर १७९ नैपाली विद्यार्थी भारत में पढ़ने के लिये आये।

सरकार द्वारा ली गई पालिसियों पर दिया गया बीमा भुगतान

†९२७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आग तथा अन्य फुटकर प्रकार के खतरों के लिये ली गई पालिसियों के लिये १९५७–५८ में बीमे की किश्तों के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) इस में से सरकारी कम्पनियों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से जानकारी एकत्र की जा रही है जो तैयार हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विज्ञान मन्दिर

†९२८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट काल में किन किन स्थानों पर विज्ञान मन्दिरों की स्थापना की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** १२-२-५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ के भाग (क) के उत्तर में जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया था उस के अनुसार २१ विज्ञान मन्दिरों के अलावा जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा निम्न स्थानों पर १९५८-५९ में अन्य विज्ञान मन्दिरों की सिफारिश की गई है, स्थापित किये जायेंगे :—

बिहार	१. वैशाली (जिला मुजफ्फरनगर)
	२. खड़गपुर (जिला मुंगेर)
केरल	१. चेंगान्नूर (जिला क्विलान)
मद्रास	१. अरियागो यून्दमपट्टी (जिला सैलम)
	२. एस० वी० नगरम (जिला उत्तर आरकाट)
मैसूर	१. मूदाबिद्री (जिला उत्तर कनारा)
	२. देवरयासमुद्रम (जिला कोलार)

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा	१. अंगुल (जिला ढेंकानाल)
	२. भद्रट (जिला बालासोर)
राजस्थान	१. सरदारशाहर (जिला चूरु)
पश्चिमी बंगाल	१. हरोआ (जिला २४ परगना)
	२. झिलमिली (जिला बांकुरा)
	३. अरगोडा (जिला मिदनापुर)
	४. इटाचुना (जिला हुगली)

१९५९–६० और १९६०–६१ में विज्ञान मन्दिर कहा स्थापित किये जायें इस के बारे में अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

कोयला

†९२९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों की संख्या कितनी है जिन का वार्षिक उत्पादन एक लाख टन और उस से अधिक है ;

(ख) १९५६, १९५७ और १९५८ में उन का उत्पादन कितना था; और

(ग) उन के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) प्रति वर्ष एक लाख टन और उस से अधिक उत्पादन करने वाली कोयला खानों की संख्या प्रति वर्ष बदलती रहती है । १९५६ में ऐसी खानों की संख्या १२० और १९५७ में १३१ थी । १९५८ के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) उन का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

१९५६	२४४·८ लाख टन
१९५७	२७९·० लाख टन
१९५८	अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) १९५७ में जिन कोयला खानों का उत्पादन एक लाख टन या उस से अधिक था उन के नाम और स्थान बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९**]

पंजाब में 'देख–भाल' कार्यक्रम

†९३०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार के पास से 'देख-भाल' कार्यक्रम के अधीन कोई योजनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आय-कर विभाग

६३१. श्री यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में क्लर्कों को पदोन्नति देकर निरीक्षक बनाने की कोई व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो इस पदोन्नति का क्या तरीका है और यह कब से लागू है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) आयकर विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और हैड क्लर्क पदोन्नति के द्वारा निरीक्षक (इंस्पैक्टर) का वेतनक्रम* पाने के हकदार हैं। (*ग्रेड)

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश से, योग्यता के आधार पर, चुनाव कर के तरक्की दी जाती है । यह तरीका १९४८ से लागू है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

†६३२. { **श्री बी० प्र० कट्टी** :
श्री माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के लिये प्रथम श्रेणी की सेवा में निर्धारित प्रतिशत पूरा किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों के प्रथम श्रेणी के दो पदाधिकारी हैं ?

(ख) जी नहीं ।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में प्रथम श्रेणी पर प्रत्यक्ष भर्ती १९५५ से करना आरम्भ हुआ है जिस के लिये सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाती है । यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती है । अनुसूचित जातियों के लोगों में कमी का कारण यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में सफल नहीं हो पाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेक्निकल विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशालय

†६३३. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कोडियान :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन टेक्निकल विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशालय नाम का एक संगठन है;

(ख) यदि हां, तो इस निदेशालय के कार्य क्या हैं; और

(ग) निदेशालय के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में उन के वेतन और भत्तों पर कितना व्यय किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) निदेशालय पर योजना संगठन विमानों, विमान इंजनों तथा संबद्ध सामान जैसे वैमानिक शस्त्रास्त्र और एवियेशन इलेक्ट्रानिक्स के डिजाइनों में सुधार अथवा रूपभेद करने के लिये दी गई गवेषणा और परीक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की स्थापना और व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व रहता है। यह विमान संबंधी कार्यों से संबंधित गवेषणा परियोजनाओं को आरम्भ कर के उन में प्रगति करेगा। इस संगठन पर वायु सेना के लिये तैयार किये गये उपकरणों का अधीक्षणात्मक निरीक्षण करने का भी उत्तरदायित्व है। यह निदेशालय अब प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन का एक अंग है।

(ग) कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	राजपत्रित	अराजपत्रित	योग	वेतन और भत्तों पर व्यय (हजार रुपयों में)
१९५५-५६	८	४०	४८	१८०
१९५६-५७	९	४०	४९	१८६
१९५७-५८	१६	७९	९५	२७०

भारतीय क्रिकेट

६३४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय क्रिकेट में सुधार के लिये १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

† मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

वर्ष	राशि
१९५६–५७	८४,८८४·९४ रुपये
१९५७–५८	५०,६८९·५८ रुपये
१९५८–५९ (अब तक) . .	६०,५३२·७२ रुपये

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नीवेली लिगनाइट कार्पोरेशन (प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिवेदन)

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) नीवेली लिगनाइट कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष, १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

(दो) उक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा ।**[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १२४३/५९]**

विधि आयोग का प्रतिवेदन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) न्यायिक प्रशासन के सुधार के बारे में विधि आयोग का चौदहवां प्रतिवेदन (खंड १ और २) ।

(दो) प्रतिवेदन की सिफारिशों का सारांश ।

(तीन) प्रतिवेदन की वर्गीकृत सिफारिशें **[पुस्तकालय में रखी गयीं देखिये संख्या एल० टी० १२४४/५९]**.

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १२४५/५९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिननियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्निलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (निश्चित दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १४८ ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ब्रांड दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १४९ । **[पुस्तकालय में रखी गईं/देखिये संख्या एल० टी० १२४६/५९]**

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समुद्र-सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(एक) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (निश्चित दरें) नियम १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १५० ।

(दो) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (ब्रांड दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १५१ ।

(तीन) दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १६९ ।

(चार) दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १७० ।

(पांच) दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १८५ ।

(छै) दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १८६ जिस में सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (हाथ के पम्प) नियम, १९५९ दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखी गईं/देखिये संख्या एल० टी० १२४७/५९]**

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गईं देखिये संख्या एल० टी० १२४८/५९]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के अनुपूरकों के उत्तर की शुद्धि

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के सम्बन्ध में, श्रीमती इला पालचौधरी द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक के उत्तर में, लोक-सभा में १५ दिसम्बर, १९५८ को कहा गया था कि सोवियत रूस से मिलने वाले ५,००० लाख रूबल के ऋण से प्रारम्भ की जाने वाली पांच परियोजनाओं के लिये मशीनें खरीदने की बातचीत के लिये विशेषज्ञों का एक दल मास्को गया है । यह सही नहीं है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के योजना विभाग के कुछ अधिकारियों और कुछ विशेषज्ञों का एक दल नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन की ओर से सोवियत संघ गया था । वह दल नीवेली में तापीय बिजलीघर स्थापित करने के सम्बन्ध में सिर्फ ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में कुछ सहयोग के लिये ही गया था ।

सोवियत से मिलने वाली सहायता और उस की अदायगी की शर्तों के सम्बन्ध में, श्री जयपाल सिंह द्वारा पूछे गये एक और अनुपूरक के उत्तर में यह कहा गया था कि चूंकि इस सम्बन्ध में सरकार ने तब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है, इसलिये उस के सिलसिले में कोई भी सूचना देना लोकहित में नहीं होगा । वास्तव में सोवियत रूस द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी की शर्तें दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ के भारत-सोवियत करार के अनुच्छेद ५ में दी गई हैं । करार की प्रतियां २६ नवम्बर १९५७ को संसद्-पुस्तकालय में रखी गई थीं ।

विनियोग विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : *मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

खण्ड १ से ३ अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रेलवे आय-व्ययक---सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा आरम्भ करेगी ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : यह रेलवे आय-व्ययक देश की वर्तमान असंतोषजनक परिस्थिति का ही प्रतिबिम्ब है । इस से यात्रियों, व्यापारियों और रेलवे कर्मचारियों सभी को निराशा हुई है । न तो भीड़ में कोई कमी होगी और न रेलवे दुर्घटनाओं में । साथ ही, सड़क परिवहन के विकास में कुछ बाधायें भी खड़ी की जायेंगी ।

दस लाख रेलवे कर्मचारियों के लिये भी इस में प्रारम्भिक स्कूलों के अलावा और किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है ।

द्वितीय योजना-काल में रेलवे के लिये १,१२१·५ करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया था । साथ ही जैसाकि रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, रेलवे ने आवंटित राशि के अलावा विदेशी मुद्रा भी काफी व्यय की है । रेलवे को लगभग १,८०० करोड़ डालर के बराबर विदेशी मुद्रा की सहायता विदेशों से मिली है । लेकिन इतने सारे व्यय को देखते हुए, रेलवे की सफलतायें कुछ भी नहीं हैं ।

द्वितीय योजना का लक्ष्य था कि माल-यातायात में, प्रथम योजना के माल-यातायात से, ४,२०,००,००० टन की अधिक वृद्धि होगी; यात्री-यातायात में ५० प्रतिशत वृद्धि होगी, ८४२ मील नई लाइनें डाली जायेंगी, वर्तमान लाइनों में से ८,००० मील लाइनों का नवीकरण किया जायेगा, २६५ मील छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा, ८२६ मील लाइनों का विद्युतीकरण किया जायेगा और ११,५७५ सवारी डिब्बे तथा १,०७,२७७ माल डिब्बे तैयार किये जायेंगे । लेकिन हम कर कितना पाये हैं ? कुल ६९८ मील नई लाइनों का निर्माण किया गया है, १,७०४ इंजन, ४,८०१ सवारी डिब्बे और ६७,६७३ माल-डिब्बे तैयार हुए हैं; और कुल ४,४१६ माल की लाइनों का नवीकरण हुआ है । इससे स्पष्ट है कि योजना की कार्यान्विति संतोषपूर्ण ढंग से नहीं हुई है । खर्च के मुकाबले, सफलता बहुत ही थोड़ी है । रेलवे ने ६७५.८२ करोड़ रुपये तो खर्च कर ही दिये हैं और इस वर्ष में २३५ करोड़ रुपये और व्यय किये जायेंगे । फिर अगले वर्ष के लिये कुल २११ करोड़ रुपये ही बच रहेंगे । इससे स्पष्ट है कि हमारी सामान्य कार्य-क्षमता नहीं बढ़ी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५२-५३ में रेलवे की पूंजी ८६० ' ५५ करोड़ रुपये थी। १९५७-५८ में वह १, १२५ ' ६४ करोड़ रुपये थी। पूंजी भी बढ़ी है लेकिन हमारी कार्य-क्षमता में इतना सुधार नहीं हुआ। न माल-यातायात में सुधार हुआ है और न यात्री सुविधाओं में।

प्रतिवेदन से पता लगता है कि कुल मिलाकर माल-यातायात और यात्रियों से होने वाली आय में कमी आई है। माल यातायात से होने वाली आय में १९५७-५८ में ४.६२ करोड़ और १९५८-५९ में १४.१० करोड़ रुपयों की कमी हुई है। जब कि १९५७-५८ में ३१६.३४ करोड़ और १९५८-५९ में ३२०.२१ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इस से पता चलता है कि व्यय में वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरी ओर माल-यातायात में कमी हुई है।

माननीय रेलवे मंत्री ने माल-यातायात और यात्री-यातायात में कमी के दो कारण बताये हैं। पहला तो यह कि मूल्यों के चढ़ने की वजह से जनता की क्रय-शक्ति कम हो गई है और दूसरा यह कि सड़क-परिवहन के साथ प्रतियोगिता बढ़ गई है। मैं यह दलील मानने को तैयार नहीं हूं कि यात्रियों ने यात्रायें कम कर दी हैं। हां, जनता की क्रय शक्ति अवश्य गिरी है। असल चीज़ यह है कि रेलवे से यात्रा करने में लोगों को ज्यादा कठिनाई पड़ती है, इसलिये वे सड़क परिवहन का उपयोग करना ज्यादा पसन्द करते हैं। गाड़ियां हमेशा लेट चलती हैं, इसलिये छोटी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को सड़क-परिवहन से ही सुविधा पड़ती है। उन्हें स्टेशनों पर घण्टों इन्तजार नहीं करना पड़ता। वहां सुविधायें भी ज्यादा हैं।

दूर-दूर के स्थानों तक जाने के लिये, किराया ज्यादा बैठता है और वही लोग यात्रायें कर सकते हैं जो उतना खर्च निकाल सकें। इसीलिये यात्री-यातायात में कमी हुई है।

माल-यातायात के क्षेत्र में सड़क-परिवहन से प्रतियोगिता तो होती है, लेकिन उसमें कमी होने का यह कारण नहीं है। रेल द्वारा भेजे जाने वाले माल दूसरे हैं और सड़क-परिवहन द्वारा भेजे जाने वाले दूसरे। साथ ही, यह भी सही है, कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से माल-यातायात में अब ४० प्रतिशत वृद्धि हो गई है।

माल-यातायात में कमी होने के मुख्य कारण दूसरे हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ट्रेनों की रफ्तार भी कम हो गई है। बड़ी लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार १९५१-५२ में १० ' ७ मील प्रति घण्टा थी, जब कि १९५७-५८ में वह ९.६८ मील प्रति घण्टा ही रह गई है। छोटी लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार १९५१-५२ में ९.२२ मील प्रति घण्टा थी, लेकिन आज वह ८.२३ मील प्रति घण्टा ही रह गई है। इतना ही नहीं, कोयला भी अब पहले से अधिक खर्च होने लगा है। बड़ी लाइन पर १९५१-५२ में जो ८.५० था, अब वह १०.६४ हो गया है। साथ ही, रेलवे को प्रतिकर भी ज्यादा अदा करना पड़ा है—जबकि १९५१-५२ में २.९१ करोड़ रुपये प्रतिकर के रूप में दिया गया था, अब १९५७-५८ में वह बढ़कर ३.२७ करोड़ रुपये हो गया है।

व्यापारी लोग सड़क-परिवहन को इसीलिये पसन्द करते हैं कि रेलवे से माल भेजने में देर होने के साथ-साथ, चोरियों और नुकसान का भी घाटा उठाना पड़ता है।

दूसरा कारण यह है कि रेलवे में उसकी क्षमता का उपयोग योजनापूर्ण ढंग से नहीं किया जाता। एक जगह माल डिब्बे बेकार पड़े रहते हैं, और दूसरी जगह आवश्यकता पर भी नहीं मिलते। आन्ध्र में खाद्यान्न जरूरत से ज्यादा है, लेकिन उसे बाहर भेजने के लिये माल-डिब्बों की कमी ही बनी रहती है। तब जाहिर है कि लोगों को सड़क-परिवहन का ही सहारा लेना पड़ता है। माल-

डिब्बों का बंटवारा होना चाहिये । जल्दी बिगड़ने वाली चीजों—सब्जी, चावल, इत्यादि—को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

केरल में मछली काफी पकड़ी जाती है । लेकिन उसे बाहर भेजने के लिये माल-डिब्बे ही नहीं मिलते । माल-डिब्बों के मामले में प्राथमिकता देने के नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिये । जल्दी बिगड़ने वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । आन्ध्र की नारंगियों जैसी वस्तुओं को बाहर भेजने के लिये विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिये । यही कारण है कि व्यापारी लोग सड़क-परिवहन की शरण लेना ज्यादा पसन्द करने लगे हैं । लेकिन रेलवे और सड़क-परिवहन में कोई बड़ी गला-काट प्रतियोगिता होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने के कारण परिवहन क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी तो है ।

देश में रेल और सड़क-परिवहन दोनों के लिये ही काफ़ी माल होता है । बस जरूरत इस बात की है कि दोनों में सह-कार्य पैदा हो । आवश्यकता तो सड़क-परिवहन का और भी सुधार करने की है । व्यापारी लोग तो उसी साधन को अपनायेंगे जो अधिक सुविधापूर्ण होगा ।

इधर सरकार मितव्ययता की भी बड़ी बातें कर रही है । लेकिन मितव्ययता का उसका सिद्धान्त क्या है ? मितव्ययता के नाम पर नैमित्तिक श्रमिकों और मजदूरों के बारे में ही मितव्ययता की जा रही है, ऊंचे-ऊंचे अधिकारियों की संख्या और बढ़ाई जा रही है । ऊंचे पदों पर ४०० नयी नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन नैमित्तिक श्रमिकों को हर तीसरे महीने निकाल दिया जाता है, जिससे कि वे अस्थायी कर्मचारी बनने का भी दावा न कर सकें । अस्थायी कर्मचारियों को नीचे के पदों पर भेजा जा रहा है और कुछ की छंटनी की जा रही है । स्थायी कर्मचारियों की भर्ती ही नहीं की जाती । और, अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी करके, मितव्ययता के नाम पर शेष कर्मचारियों से ही काम पूरा करने को कहा जाता है । इससे काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा है । जबकि मितव्ययता का अर्थ यह होना चाहिये था कि अपव्यय को कम से कम किया जाये । रेलवे में ही नहीं, सभी विभागों में इसका यही अर्थ होना चाहिये था ।

जहां तक अपव्यय का ताल्लुक है, लोक लेखा समिति के वर्ष १९५७-५८ के प्रतिवेदन को देखा जा सकता है । खराब स्प्रिंगों के सम्भरण के कारण ४.७४ लाख रुपयों की हानि हुई और पूर्व-रेलवे ने ग़लत ढंग से एक्सिल बॉक्स की खरीद में १,२३,००० रुपयों की हानि उठाई ।

केरल में चेरुवाथुर के करीब एक पुल बनाया गया था, लेकिन इंजीनियर ने कहा कि वह पुख्ता नहीं है, उसमें खराब किस्म का सीमेंट लगाया गया है । इसीलिये उसको गिरा दिया गया । अब फिर से उसका निर्माण हो रहा है ।

इसी तरह कन्नानूर में एक रेलवे शेड बनाया गया, और उपयोगी सिद्ध न होने पर उसे गिरवा दिया गया । इलाहाबाद म भी पुराने स्टेशन की इमारत को गिराया जा रहा है, हालांकि वह अभी काफी मजबूत है ।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने स्पष्ट कहा है कि मितव्ययता करने का अर्थ यही है कि अपव्यय न होने दिया जाये । यदि रेलवे में अपव्यय न होने दिया जाये और भ्रष्टाचार दूर कर दिया जाये, तो नैमित्तिक श्रमिकों को निकाल देने की जरूरत ही पैदा नहीं होगी ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि रेलवे ने यात्रियों के लिये कौन सी बुनियादी सुविधायें जुटाई हैं । रेलवे बोर्ड ने ३० अगस्त, १९५२ के अपने एक पत्र में कहा था कि हर स्टेशन पर सभी दर्जों के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालयों, बैंचों, रोशनी और बुकिंग दफ्तर, पीने के पानी, बेहतर

[श्री अ० क० गोपालन]

संडासों, पक्के प्लेटफार्मों और छायादार पेड़ों इत्यादि की बुनियादी सुविधायें जुटाई जायेंगी। लेकिन इन सात वर्षों के बाद भी ५० प्रति शत स्टेशनों पर भी ये सुविधायें नहीं जुटाई गई हैं। बेहतर तो क्या, कुछ स्टेशनों पर तो संडासें ही नहीं हैं।

होता यह है कि यात्री-सुविधाओं के लिये जितनी राशि रखी जाती है, उसी में से छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने, दमकलों, और शैडों तथा 'फ्लैग स्टेशनों' के निर्माण का खर्च भी निकाला जाता है। इसीलिये संडासों, पीने के पानी, इत्यादि की बुनियादी सुविधायें जुटाने के लिये कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्राक्कलन समिति ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि यात्री सुविधाओं के लिये आवंटित राशि से स्टेशनों की इमारतें बनवाना ग़लत है। लेकिन इस पर आज भी ध्यान नहीं दिया जाता।

बहुत से ऐसे ऐसे प्रदेशों के स्टेशनों पर भी शेड नहीं बनाये गये हैं, जहां बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और साल में छः महीने बारिश होती है।

दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि रेलवे की कार्य-क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सबसे जरूरी चीजें हैं अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध और श्रमिक कल्याण। १५वें और १६वें श्रम सम्मेलनों में कुछ सामान्य सिद्धान्त तय किये गये थे, जिन के आधार पर उद्योग में अनुशासन बनाये रखा जा सकता है। वे सिद्धान्त सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही के लिये थे। अभी कुछ दिन पहले रेलवे मंत्री ने कहा था कि वे रेलवे के लिये नहीं है। सिद्धान्तों को उस संहिता में यह सिद्धांत रखा गया है कि श्रमिकों के राजी हुए बिना उनके काम का बोझ बढ़ाया नहीं जायेगा। साथ ही, उसमें यह सिद्धान्त भी है कि कार्मिक संघों के सदस्य बनने श्रमिकों के अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, और न कार्मिक संघों में सक्रिय होने के कारण उनको तंग किया जायेगा। उनको शिकार भी नहीं बनाया जायेगा।

लेकिन चितरंजन में श्रमिकों के कार्मिक संघों को मान्यता नहीं दी गई है। सवारी डिब्बे के कारखाने के श्रमिकों के संघ को भी मान्यता नहीं दी गई है। यह हालत तब है जबकि 'सवारी डिब्बे के कारखाने के श्रमिकों ने १० इंजन बनाने की क्षमता से १४ इंजन बनाकर दिखाये हैं और दो लाख रुपयों की बचत कर दिखाई है।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि वह कार्मिक संघों को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, उससे पहले सरकार संयुक्त उत्पादन समितियां और निर्वाचित कारखाना समितियां क्यों नहीं स्थापित कराती?

खड़गपुर कारखाने से मिलने वाली सूचनाओं के अनुसार, आजकल रेलवे के माल की चोरियां बहुत होती हैं। संयुक्त उत्पादन समितियां गठित कर के, इस की जांच की जानी चाहिये।

श्रम सम्बन्धों का यह हाल है कि संस्थापन संहिता के नियम १४८ के अन्तर्गत लगभग ७० कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया जा चुका है। ऐसे मामलों में बड़ी विचित्र प्रक्रिया यह अपनाई जाती है कि पहले तो एक लम्बे अर्से तक उन को निलम्बित रख कर आधा वेतन दिया जाता है और बाद में नौकरी बहालकर के, दूसरे ही दिन नौकरी से निकालने का नोटिस दे दिया जाता है। मैं ऐसे कई मामले देख चुका हूं। रेलवे सुरक्षा बल के लोगों से रेलवे कर्मचारियों की खुफियागीरी कराई जाती है और वे पुलिस में उन की रिपोर्टें दर्ज कराते हैं।

यदि किसी कर्मचारी को अकार्यक्षमता के कारण निकाला जाता है, वह भी १५—२० साल काम कर चुकने के बाद, तो उसे कम से कम पहले से सूचना तो दी जानी चाहिये । यदि उस पर कुछ आरोप हों, तो उन की सफाई देने का भी तो उसे अवसर दिया जाना चाहिये । नियम १४८ के अन्तर्गत, इस तरह एकाएक नौकरी से अलग कर देना उन को शिकार बनाना नहीं तो और क्या है ?

अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों के लिये सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि श्रमिकों में प्रबन्धकों पर विश्वास और आपसदारी की भावना होनी चाहिये । यदि श्रमिकों पर उत्तरदायित्व डाला जायेगा, तो उन्हें भी कार्य करने की प्रेरणा रहेगी । इस के लिये संयुक्त उत्पादन समितियां स्थापित की जानी चाहियें ।

अभी तक कुल एक तिहाई रेलवे कर्मचारियों को ही क्वार्टर्स दिये गये हैं । ऐसे भी मामले देखने में आये हैं कि विश्रामगृह टिकट एक्जामिनरों के उपयोग के लिये नहीं रखे जाते हैं । इतना ही नहीं एक टिकट एक्जामिनर को तो इस लिये दण्डित किया गया है कि उसने स्टेशन पर लगे नल से नहा लिया था, इसलिये कि उस स्टेशन पर विश्रामगृह था ही नहीं :

बिना टिकट यात्रा के सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान दक्षिण रेलवे के टिकट एक्जामिनरों द्वारा पेश किये गये ज्ञापन की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । उन को अपना कर्तव्य तक नहीं करने दिया जाता । यदि वे किन्हीं अधिकारियों के टिकट जांच कर उन पर कोई आपत्ति करते हैं, तो उल्टे उन को ही दण्डित किया जाता है । मैं ने ऐसे एक मामले के बारे में उपमंत्री को लिखा था । नतीजा यह हुआ कि अब उस टिकट एक्जामिनर पर तीन और नये आरोप लगा दिये गये हैं । यदि ये आरोप उस पर लगाये जाने थे, तो उसे पहले सूचित क्यों नहीं किया गया था ? उस ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी सदा ही बिना टिकट यात्रायें करते हैं ।

कर्मचारियों को भी सुविधायें दी जानी चाहियें । इसके बिना सुधार करना असम्भव है । इन सुविधाओं के अभाव का ही परिणाम है कि जहां १९५१—५२ में कुल रेलवे दुर्घटनायें ३८ हुई थीं, वहां १९५७—५८ में ७७ हो गई हैं । इन का कारण यह है कि रेलवे लाइन की ठीक देखभाल नहीं होती और सामान का ठीक सम्भरण नहीं किया जाता ।

प्रथम संसद् में यात्री सुविधाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय उपभोक्ता मंत्रणा परिषद् की स्थापना की गई थी, लेकिन उस में अभी तक भी हमारे दल का कोई भी प्रतिनिधि नहीं लिया जाता । क्या इस का कोई विशेष कारण है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : राष्ट्रीय उपभोक्ता मंत्रणा परिषद् में रखे जाने वाले संसद् सदस्यों के नाम मुझे संसद्-कार्य मंत्री ने दिये थे ।

†**श्री अ० क० गोपालन्**: तब उन्हीं ने हमारे दल को अलग रखा है ।

मोकामा पुल के निर्माण में २०,००० श्रमिक लगे थे । अब उन के पास कोई काम नहीं है । हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से कि परियोजनायें पूरी होने पर, वहां के श्रमिकों को कहीं और लगाया जा सके ।

रेलवे मंत्रालय को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहियें । नियम १४८ के अन्तर्गत श्रमिकों को शिकार नहीं बनाया जाना चाहिये । कारखाना समितियां और संयुक्त उत्पादन समितियों की स्थापना से ही श्रमिकों में विश्वास और आपसदारी की भावना पैदा की जा सकती है और उन का सयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री० अ० क० गोपालन]

प्राप्त किया जा सकता है। सभी यात्रियोंके लिये बुनियादी सुविधायें सुलभ होनी चाहियें। आज जनता के सभी वर्ग रेलवे से असन्तुष्ट हैं। ऐसी हालत में रेलवे में सुधार आने की आशा करना गलत होगा।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर): इस रेलवे बजट में कुछ ऐसी बातें हैं जिन के कारण इस का सर्वत्र स्वागत किया गया है। इस के लिये रेलवे मंत्री बधाई के पात्र हैं। परन्तु मुझे खेद है कि उन के भाषण में अपेक्षित विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया है।

रेलवे के इंजन डिब्बों आदि के देश में किये गये उत्पादन की मैं प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि इस के सम्बन्ध में हम शीघ्र आत्मनिर्भर हो जायेंगे। परन्तु मेरा विचार है कि कारखानों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी योजना के तीन वर्षों में हम ने कारखानों के लिये आवण्टित ६५ करोड़ रुपयों में से केवल २४ करोड़ रुपये ही व्यय किये हैं। यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। कारखानों में सज्जा-सामग्री जुटाने के सम्बन्ध में शीघ्रता की जानी चाहिये अन्यथा आगे चल कर उन्हें कितने कार्य का भार वहन करना पड़ेगा वह दुष्कर होगा।

रेलवे के सम्बन्ध में विचार करते हुए हमारा ध्यान देश की आर्थिक स्थिति की ओर भी जाता है। रेलवे सम्बन्धी प्रतिवेदन को देखने से ज्ञात होता है कि १९५६–५७ में यात्री यातायात में बहुत वृद्धि हुई परन्तु उस के बाद वह अवरुद्ध हो गई। इस से मालूम होता है कि अब लोगों के पास यात्रा करने के लिये पैसा नहीं रहा। माल यातायात के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है। उस में भी वृद्धि मन्द पड़ गई है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में माल यातायात में केवल २० प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि परिचालन इस आधार पर किया जा रहा है कि योजना अवधि में माल यातायात ५० प्रतिशत बढ़ जायेगा। यह वृद्धि नहीं हुई। यह ऐसा मामला है जिस के लिये रेलवे मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु मैं यह कहूंगा कि हमारे आर्थिक जीवन में जो अवरोध आ गया है उसी के कारण रेलवे का रिकार्ड इतना अच्छा हो सका है। इसलिये इस स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता।

यदि हम विभिन्न रेलवे जोनों की स्थिति का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि १९५४–५५ और १९५८–५९ के बीच पश्चिमी रेलवे और उत्तरी रेलवे के क्षेत्रों में माल यातायात की आय में ७६ प्रति शत वृद्धि हुई है जब कि पूर्वी रेलवे में केवल १९ प्रति शत ही। इस से यह मालूम होता है कि देश के कुछ भाग ऐसे हैं जिन में तनिक भी प्रगति नहीं हो रही है। चार वर्षों में १९ प्रति शत वृद्धि की बात ऐसी है जिस पर हमें गंभीरतापूर्वक मनन करना चाहिये। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि अब चूंकि रेलवे मंत्री ने आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना प्रारम्भ कर दिया है इसलिये भावी प्रतिवेदनों में तनिक अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और अधिक विस्तृत विश्लेषण दिया जाना चाहिये ताकि हम सामान्य आर्थिक स्थिति के संदर्भ में रेलवे कार्य का मूल्यांकन कर सकें।

दूसरा प्रश्न जिस का मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह परिचालन कुशलता का है। इस में कोई संदेह नहीं कि कुछ दिशाओं में परिचालन कुशलता में वृद्धि अवश्य हुई है। परन्तु कठिनाई यह है कि हमारे पास कोई निश्चित मानदंड नहीं है जिस से परिचालन कुशलता का माप किया जा सके। रेलवे मंत्रालय को निश्चित मानदंडों की एक सूची तैयार करना चाहिये और उन के आधार पर हमें प्रतिवर्ष जानकारी प्रदान की जानी चाहिये। अभी यह होता है कि जो कुछ सुधार होते हैं उन का रेलवे मंत्री के भाषण में बढ़ा चढ़ा कर उल्लेख कर दिया जाता है जिस से वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। इस के अतिरिक्त यदि हम परिचालन संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कई जगह भटकना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। हमें समस्त जानकारी एक स्थान पर मिलनी चाहिये। विभिन्न बातों की जानकारी इधर उधर बिखरी होने के कारण सम्पूर्ण स्थिति का निर्णय करना बहुत कठिन होता

†मूल अंग्रेजी में

है । ये सब चीजें एक स्थान पर दी जानी चाहियें और साथ ही स्थिति के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय की समीक्षा भी ।

परिचालन कुशलता में हुए सुधार का विचार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि जो सुधार हुआ है वह उस व्यय के अनुरूप है अथवा नहीं जो उस के संबंध में किया गया हो । १९५५–५६ से अब तक हम ६७५ करोड़ रुपये लगा चुके हैं । परन्तु इस में से बहुत सी राशि पुनःस्थापन तथा पुनर्निर्माण पर खर्च हो गई क्योंकि पिछले वर्षों में रेलवे को पर्याप्त धन नहीं मिला था जिस के कारण आवश्यक निर्माण कार्य भी नहीं किया जा सका था । इस प्रकार मैं उन कठिनाइयों को समझता हूं जिन के अन्तर्गत हम कार्य कर रहे हैं ।

परन्तु फिर भी हमें इस बात का हिसाब रखना चाहिये कि हम कितनी पूंजी लगा रहे हैं और उस से कितना लाभ हो रहा है । यह बहुत आवश्यक है । यदि हम रेलवे में लगाई गई पूंजी को लें तो यह मालूम होगा कि यह बहुत बढ़ गई है । यदि १९३९ को आधार वर्ष मानें तो यह पूंजी ५० प्रतिशत बढ़ी है और यदि विभाजन-वर्ष को आधार मानें तो ७० प्रतिशत। परन्तु जो कार्य हुआ है उसका क्या अनुपात इस की जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। इस पूंजी लागत तथा उस से होने वाले लाभ का अनुपात निकाला जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि दूसरे देशों में ऐसे समय आये हैं जब रेलों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ और कभी बहुत कम ।

अमेरीका में रेलवे निर्माण और विकास में सब से अधिक महत्वपूर्ण समय १८९७ और १९०७ के बीच का था । वहां का अनुपात २.४८ था । सोवियत संघ में अधिक उपयोग (१९२८–३२) के समय में वह १०६ प्रतिशत और १९३६–३९ में २.०४ था । मैं चाहता हूं कि भारत के सम्बन्ध में भी रेलवे मंत्रालय ऐसा अनुपात निकाले । इस प्रकार की जानकारी योजित अर्थ व्यवस्था के लिये बहुत आवश्यक है, जिस का हम ने सूत्रपात किया है, और वह रेलवे के प्रतिवेदनों में दी जानी चाहिये । रेलवे मंत्रालय को परिवहन की अर्थ-व्यवस्था का गहन अध्ययन कर के ही प्रतिवेदन तैयार करना चाहिये यदि वह ऐसा नहीं करता तो इस की जिम्मेदारी रेलवे मंत्री पर होगी ।

इस में सन्देह नहीं कि रेलों के परिचालन में कुछ सुधार हुआ है : परन्तु दूसरे देशों की तुलना में वह अभी कुछ भी नहीं है । यदि हम दैनिक गाड़ी मील लें तो हमारी स्थिति इस समय वह है जो अमेरीका और रूस में १९२९–३० में थी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमें अपनी प्रगति बढ़ानी चाहिये । तीसरी योजना में रेलों को बहुत अधिक कार्य करना है । यदि इस के लिये उन्हें तैयार नहीं किया गया तो वह कार्य कैसे हो सकेगा । १९५७–५८ और १९५८–५९ में रेलवे की आय में १४.९० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि व्यय में १०.०४ करोड़ रुपये की । इस वर्ष किरायों में वृद्धि के कारण ५ करोड़ रुपये की अधिक आय हुई परन्तु वह भी ऐसे ही खर्च हो गई ।

यद्यपि यह ठीक है कि रेलवे को भविष्य में अधिक आवण्टनों की आवश्यकता होगी परन्तु वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि रेलवे अपनी आय भी बढ़ाये । देश की विकासोन्मुख आर्थिक व्यवस्था में सरकारी उद्योग क्षेत्र को अपना लाभ बढ़ाना चाहिये । यदि रेलवे अपनी आय नहीं बढ़ाती तो मैं नहीं समझता कि विकास के लिये आवश्यक धन और किस आन्तरिक संसाधन से प्राप्त होगा । वैसे लोक प्रियता बढ़ाने के लिये यह कहना सरल है कि हम अमुक अमुक कार्य करेंगे । परन्तु मैं इस प्रकार की लोक प्रियता नहीं प्राप्त करना चाहता । मेरा उद्देश्य तो केवल आगे आने वाली कठिनाइयों के प्रति ध्यान आकर्षित कर देना है । यद्यपि मैं यह समझता हूं कि रेलवे मंत्रालय पर इस

[श्री अशोक मेहता]

का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह चैन करते रहने में ही विश्वास करता है फिर भी अपना कर्त्तव्य समझ कर वैसा कर रहा हूं ।

मैं प्राक्कलन समिति के समान यह तो नहीं कहूंगा कि रेलवे के संबंध में जितना परिश्रम किया जाता है वह सर्वथा व्यर्थ जाता है परन्तु उस कथन के प्रति मेरी सहानुभूति अवश्य है । बड़े आश्चर्य की बात है कि समिति द्वारा इतनी कठोर आलोचना किये जाने पर भी रेलवे मंत्रालय की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

उदाहरणार्थ हम प्राक्कलन समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन ले सकते हैं । समिति ने सिफारिश की थी कि बजट में वित्तीय आंकड़ों के अतिरिक्त काम का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिये । तीन वर्ष बीत गए हैं परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यदि इस प्रकार का ब्यौरा बजट में दिया जाये तो हम कार्य का सही मूल्यांकन कर सकेंगे व सामान्य आलोचना न करके निर्दिष्ट पदों में रेलवे सुधार सम्बन्धी सुझाव दे सकेंगे ।

कुछ लोगों ने बीमा राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी चर्चा के दौरान यह कहा था कि एक से अधिक निगम होने चाहियें ताकि तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हो सकें और एक प्रकार की प्रतियोगिता रहे । परन्तु रेलवे में अनेक जोन होने पर भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है । विभिन्न जोनों में परिचालन सम्बधी कुशलता भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न है । प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में पूछा था कि ऐसा क्यों है ? परन्तु इसका उत्तर कहीं नहीं मिलता । इस प्रकार की सूचना उपलब्ध होनी चाहिए ।

उदाहरण के लिये दावों का प्रश्न ले लीजिए । १९३९ में दावों की संख्या आठ गुनी हो गई पर उनके सम्बन्ध में जो भुगतान किया जाता है उसमें सौ गुनी वृद्धि हो गई । इसका कोई कारण होना चाहिए जो हमें बताया जाना चाहिये । इतने जोनों के होने का लाभ तो तभी होगा जब हमें तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हों ।

स्पेनिश भाषा की एक कहावत है कि सौन्दर्य और पवित्रता में निरन्तर संघर्ष चलता रहता है । उसी प्रकार हमारी रेलवे में गति और कार्यकुशलता में संघर्ष रहता है । यदि एक आती है तो दूसरी खत्म हो जाती है । ऐसा क्यों है ? इसके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है । मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्री तथा उनके प्रविधिक कर्मचारी ये आंकड़े एकत्रित करेंगे ताकि उसका कोई हल निकल सके ।

दूसरा मुख्य प्रश्न जिसके सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है उत्पादन के मूल्य में वृद्धि की दरों और भाड़ा यातायात में वृद्धि की दरों का है । यह दरें विभिन्न उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न हैं । जहां तक खाद्यान्न का सम्बन्ध है उसके उत्पादन और लदान में कोई सामंजस्य सम्भव नहीं है । अन्य देशों का अनुभव ऐसा ही रहा है ।

कुछ लोगों की राय है कि भविष्य में खाद्यान्नों का लदान कम होता जायेगा । परन्तु यह ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में योजना आयोग को, इस सदन को और देश को विश्वास कराना होगा, इसके सम्बन्ध में समय-समय पर प्रतिवेदन तैयार किये जाने चाहियें । हमारी अर्थ व्यवस्था स्पर्धात्मक है । विभिन्न उद्योग क्षेत्र सीमित संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं । यदि यह उद्योग अपना उचित भाग प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने दावे के समर्थन में तथ्य उपस्थित करके सम्बन्धित लोगों को सहमत कराना होगा

अगला प्रश्न प्रशिक्षण का है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की कमी है। रेलवे प्रशासन को ऐसे लोगों की भर्ती करने में कठिनाई हो रही है। परन्तु यह एक व्यापक प्रश्न है जिस पर रेलवे मन्त्री को अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विचार करना होगा।

मैं हाल में इंडोनेशिया गया था। वहां के शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने उद्योग, कृषि और शिक्षा के समन्वित विकास के लिए एक समिति की नियुक्ति की है जिस में शिक्षा, वाणिज्य तथा उद्योग, कृषि और योजना मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं। रेलवे मन्त्रालय को भी इस दिशा में कुछ करना चाहिए।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्धन समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि $1^1/_2$ लाख रेलवे कर्मचारी अशिक्षित हैं। जब तक उनको शिक्षा नहीं दी जाती उनकी तरक्की कैसे हो सकेगी ? कुछ लोगों को पक्षपात के बल पर भले ही तरक्की प्राप्त हो जाये पर वह कोई सन्तोषजनक हल नहीं होगा। रेलवे के कर्मचारियों की इतनी संख्या है कि रेलवे मन्त्री यह दावा करते हैं कि भारत के हर १०० आदमियों में से एक रेलवे कर्मचारी   ऐसी स्थिति में उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है, क्या कमी है ? योजना में ५ करोड़ रुपये प्रशिक्षण के लिए रखे गये हैं। उसका क्या किया जा रहा है ? प्रशिक्षण का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्री गोपालन ने संयुक्त समितियों पर बल दिया परन्तु प्रशिक्षण के बिना उनका क्या लाभ होगा ? यह अत्यन्त प्रविधिक समस्या है; संयुक्त उत्पादन, मजदूरों का प्रबन्ध में भाग, उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण ये सब एक दूसरे से सम्बद्ध प्रश्न हैं। जिस किसी ने इस समस्या का अध्ययन किया होगा वही उसकी कठिनाइयों को समझ सकता है। इसलिये यदि यह कार्य किया जाना है तो इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

कोयला विशेषज्ञ समिति ने एक गम्भीर समस्या का संकेत किया है। उसने कहा है कि रेलों में डीजल का प्रयोग प्रारम्भ करना बहुत आवश्यक है, विशेष कर दक्षिण रेलवे में। हमारी रेलों का जितना विस्तार होगा उतने ही अधिक कोयले की मांग होगी इसलिये उसकी खपत कम करना जरूरी है। परन्तु इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यदि अभी से डीजल के प्रयोग का कार्यक्रम तैयार नहीं किया जायगा तो आगे चल कर बहुत कठिनाई होगी।

सम्भव है इस सम्बन्ध में अन्तर्मन्त्रालय चर्चायें की जा रही हों पर प्रजातन्त्र में यह आवश्यक है कि संसद को भी उसकी जानकारी कराई जाय।

रेलवे प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ पर कहा गया है कि संगठन के सम्बन्ध में बड़े परिवर्तन नहीं किए जायेंगे क्योंकि वैसा करने से कार्य की प्रगति में बाधा होती है। मैंने यह प्रश्न सदन में कई बार उठाया था इसलिये मुझे प्रसन्नता है कि यह निर्णय कर लिया गया। परन्तु फिर भी यह आवश्यक है कि विभिन्न रेलवे प्रणालियों के गुण-दोषों का तुलनात्मक मूल्यांकन कराया जाये और उसके सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन तैयार किया जाये ताकि भविष्य में जो परिवर्तन किए जायें उनके सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए हमारे सामने कोई मानदण्ड हो। इस प्रकार का तुलनात्मक मूल्यांकन बहुत आवश्यक है क्योंकि उसके आधार पर हमें यह निर्णय करने में सरलता होगी कि हमें किन लाइनों पर आगे बढ़ना चाहिये।

रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में सड़क परिवहन की शिकायत करते हुए कहा कि उससे रेलवे के यातायात में गिरावट हुई है। इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं कहा जा सकता। मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री भविष्य में उदार दृष्टिकोण अपनायेंगे।

[श्री अशोक मेहता]

हमें सड़क परिवहन के विकास से भयभीत नहीं होना चाहिये वरन् उसका स्वागत करना चाहिये भविष्य में विभिन्न उद्योग स्वयं अपने ट्रकों द्वारा माल ढोने लगेंगे जैसा कि योरुप के अधिकांश देशों में होता है। पश्चिमी जर्मनी में ८१ प्रतिशत, ब्रिटेन में ८२ प्रतिशत, फ्रांस में ८७ प्रतिशत और बेल्जियम में ६१ प्रतिशत माल इसी प्रकार ढोया जाता है। योजित अर्थ-व्यवस्था का तात्पर्य यह नहीं है कि एक चीज का विकास करने के लिए दूसरी चीजों के विकास को रोका जाये। यदि सड़क परिवहन का विकास हो रहा है तो रेलवे के लाभ के कारण उसको रोकना नहीं चाहिये वरन् दोनों को स्वस्थ प्रतियोगिता के वातावरण में पनपने देना चाहिए।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह श्रमिकों के सम्बन्ध में है। इस प्रश्न पर रेलवे मंत्री ने जो आत्म तुष्टि का दृष्टिकोण अपनाया है वह उचित नहीं है। मैंने मध्यस्थ निर्णायक के पंचाट को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं रेलवे मंत्री के इस विचार से सहमत हूं कि रेलवे में केवल एक श्रमिक संघ होना चाहिये। औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। परन्तु कुछ बद्धहित पक्षों की नीति के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका है।

मैं इस सम्बन्ध में कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं परन्तु समय समाप्त हो जाने के कारण इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि रेलवे मन्त्रालय की ट्रेड यूनियन सम्बन्धी नीति से मैं बहुत असन्तुष्ट हूं। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री मेरी बातों का सही अर्थ लगायेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** (औरंगाबाद-बिहार) : रेलवे मंत्री ने जिस योग्यता से रेलवे के इतने बड़े संगठन की समस्यायें एवं सफलतायें उपस्थित की हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि रेलवे ने काफी प्रगति की है और आशा करता हूं कि दूसरी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी वह सफल रहेगी। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनके प्रति हमें असन्तोष है।

जैसा पहले कहा जा चुका है यात्री तथा माल दोनों के यातायात की आय में कमी आई है। मंत्रीजी ने स्वयं कहा है कि माल डिब्बों की मांग आम तौर पर कम रही। उन्होंने इसका कारण माल का सड़क द्वारा भेजा जाना बताया। परन्तु क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ। जहां तक मैं समझता हूं इसका कारण है सड़क द्वारा माल भेजने में सुविधा और सुरक्षा। प्राइवेट ट्रकों वाले माल को घर से उठा ले जाते हैं और उसको जहां भेजना होता है वहां पहुंचा देते हैं। इसलिये रेलवे को चाहिए कि वह भी अपनी कार्यक्षमता बढ़ाये और सड़क परिवहन के साथ स्वस्थ प्रतियोगिता करे।

जब इतना माल सड़कों से जाने लगा है तो बहुत से माल डिब्बे बेकार रहते होंगे। यदि रेलवे मन्त्री इनके आंकड़े प्रस्तुत करते तो हम कुछ रचनात्मक सुझाव दे सकते थे। फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि माल डिब्बों की प्राप्ति के सम्बन्ध में हमें यथार्थवादी नीति अपनानी चाहिए। हमें चाहिये कि जो १० करोड़ रुपये माल डिब्बों पर व्यय करने जा रहे हैं उसमें से कुछ यात्री डिब्बों की प्राप्ति में लगा दें।

दूसरी बात यह है कि रेलवे का कार्य-संचालन व्यय बढ़ता जा रहा है। यह ठीक है कि विकास कार्य हो रहा है परन्तु प्रश्न यह है कि कर्मचारियों पर जितना व्यय बढ़ा है क्या वह उस कार्य के अनुरूप है? हमें इस व्यय वृद्धि को रोकना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि इस बात की जांच की जाये कि कर्मचारियों को जितना वेतन मिलता है उसके अनुरूप काम भी उनके पास है या नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त शासन यन्त्र में कहीं दोहरापन नहीं होना चाहिये जैसा कि रेलवे सुरक्षा दल, सुरक्षा संगठन तथा चौकसी संगठन के सम्बन्ध में हो रहा है। जहां कहीं भी व्यय कम हो सकता हो वैसा करना आवश्यक है।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि शासन के उच्चतम स्तर पर बहुत अधिक व्यय हो रहा है। बड़े-बड़े अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है। इस संबंध में मंत्री जी को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। १९५५ तक रेलवे बोर्ड के सचिवालय में एक सचिव और एक सहायक सचिव ही था और बोर्ड के केवल पांच सदस्य थे। अब सचिवों की संख्या भी बढ़ गई है और सदस्यों की भी। इस सब की क्या आवश्यकता है जब हम शासन में मितव्ययता पर जोर देते हैं। एक और विचित्र बात यह है कि हम प्रविधिक कर्मचारियों से सामान्य कार्य लेते हैं। रेलवे बोर्ड में ऐसे अनेक पदाधिकारी हैं जो इंजीनियर थे पर उन्हें उस काम में ले लिया गया। यह बहुत आपत्तिजनक है क्योंकि देश में इस समय प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है। प्रविधिक कर्मचारियों से सामान्य कार्य कराने से दोहरी क्षति होती है।

इसके पश्चात् मैं पूर्वोत्तर रेलवे पर आता हूं। उसमें रेलों की गति तो मन्द है ही इसके अतिरिक्त संख्या भी बहुत कम है जिसके कारण प्रथम श्रेणी तक के डिब्बों में बहुत भीड़भाड़ रहती है। इन बातों को कई बार रेलवे बोर्ड की जानकारी में लाया जा चुका है परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बध में कुछ सुधार करें।

दूसरे मैं यह चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिये भी प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में समस्तीपुर के वर्कशाप पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उसकी कार्य-क्षमता बढ़े और अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

†**श्री भगवती** (दरांग): मुझे रेलवे मंत्री के इस कथन से प्रसन्नता हुई कि इंजिनों, गाड़ियों और डिब्बों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में देश प्रगति कर रहा है। गत पांच वर्षों में देश के भीतर होने वाली खरीद में ढाई गुना वृद्धि हुई है, इससे भी यह स्पष्ट है कि हमने प्रगति की है। यह भी सन्तोष की बात है कि लखनऊ और चितरंजन में हुई गवेषणा के फलस्वरूप ऐसे रेलवे स्टोर्ज़ के उत्पादन में देश की सामग्री का ही उपयोग किया जा सकने लगा है जिन्हें अब तक बाहर से आयात करना पड़ता था। यदि इस दिशा में प्रगति होती है तो हम भविष्य के बारे में कुछ निश्चित हो सकते हैं।

दुर्घटनाओं का प्रश्न बड़ी व्यापक महत्ता का प्रश्न है। १९५७-५८ में ९५०० दुर्घटनायें हुईं। यद्यपि इस दिशा में रेलवे बोर्ड और रेलवे प्रशासन काफी सचेत है, परन्तु फिर भी इस समस्या का सन्तोषजनक रूप में हल होना इस बात पर आश्रित है कि प्राधिकारी किस ढंग के पग उठाते हैं।

रेलवे मंत्री महोदय ने मकान बनाने के कार्यक्रम का उल्लेख किया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, और मुझे आशा है कि रेलवे प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। इस सम्बन्ध में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस उद्देश्य के लिये पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को अधिक धन दिया जाये और उस के लिये विशेष अनुदान स्वीकृत किया जाये। कारण यह है कि इस रेलवे के कर्मचारी अधिकतर पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति हैं और आवास समस्या के कारण प्रायः बहुत परेशान हैं। आसाम क्षेत्र में रेलवे व्यवस्था का जो विकास किया जा रहा है इसके लिए मैं रेलवे प्रशासन को आसाम के लोगों की ओर से धन्यवाद देता हूं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बनने से रेल प्रशासन और संचालन में काफ़ी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भगवती]

सुधार हुआ है । रेलवे मंत्री ने यह भी कहा कि ब्रह्मपुत्र के पुल पर से आसाम लिंक बनाने का कार्य सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है । लेकिन मैं यह ज़रूर कहूंगा कि हमें आसाम में रेलवे सम्बन्धी बहुत कम सुविधायें प्राप्त हैं । रेलों की रफ्तार भी यहां बड़ी धीमी है । आसाम से कलकत्ता जाने में पूरे दो दिन शायद इस से भी ज्यादा लगते हैं । यह बड़ी शोचनीय स्थित्ति है । मैं आशा करता हूं कि रेलवे प्रशासन इस क्षेत्र में रेलों की रफ्तार में तेज़ी लाने का पूरा प्रयत्न करेगा ।

इस क्षेत्र की कुछ खास कमियां भी हैं । एक कमी यह है कि भारी और लम्बा चौड़ा सामान रेलों द्वारा इधर नहीं ले जाया जा सकता । अतः भारी मशीनें इत्यादि यहां नहीं आ जा सकतीं । इस का परिणाम यह हो रहा है कि क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति में भारी रुकावट पड़ रही है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक इंच भी नयी रेलवे लाइन इस क्षेत्र में नहीं बनाई गई । कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले और स्थान है, जहां कि कोई रेलवे लाइन नहीं है । मेरा रेलवे प्रशासन से निवेदन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आसाम में कुछ रेलवे लाइनों का अवश्य निर्माण किया जाना चाहिये, ताकि इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जा सके । आसाम विधान सभा ने भी अपना एक संकल्प स्वीकार कर भारत सरकार से दो रेलवे लाइनों के निर्माण की प्रार्थना की है, एक रंगपाड़ा उत्तर से लखीमपुर उत्तर तक और दूसरी पांडू से ग्वालपाड़ा हो कर गारो पहाड़ियों तक आशा है कि रेलवे प्रशासन इन सुझावों को स्वीकार करेगा । इन क्षेत्रों से काफी चाय और धान उपलब्ध हो सकता है और इस भाग का कुछ विकास कर के इसे नेफा क्षेत्र से भी मिलाया जा सकता है ।

श्री अशोक मेहता ने कहा है कि रेलवे प्रशासन श्रमिक संघों की समस्या को हल करने में असमर्थ रहा है । उन्हों ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शिकायत भी की । मैं नहीं जानता कि कार्मिक संघों की गतिविधियों के लिये रेलवे मंत्रालय को कहां तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा रेलवे कर्मचारियों के संघों को परस्पर मिलाने का काफी प्रयत्न किया गया है, परन्तु अन्य संघों के रवैये के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्रालय ने देश की विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे लाइनों के उन्नयन की ओर तथा रेलवे लाइनों की क्षमता और गति बढ़ाने की ओर जो ध्यान दिया है, उस से हमें अत्यन्त प्रसन्नता होती है । हम ने यह भी देखा है कि जिन लाइनों में रेलवे की क्षमता चरम सीमा तक पहुंच चुकी है वहां पर या तो नई लाइनें जोड़ी जा रही हैं या लूप लाइनें चलाई जा रही हैं या बीच में क्रासिंग स्टेशंस या अन्तरपास स्टेशन भी बनाये जा रहे हैं । पर इतना होने के बावजूद भी हमें यह पता नहीं चलता है कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर कितने मील की लम्बाई ऐसी है जहां पर कि गति में रुकावट है यानी जहां स्पीड रेस्ट्रिकशंस हैं । हमें इस बात का पता नहीं कि विभिन्न रेलों में हर एक क्षेत्रीय रेलवे पर कुल रेलवे लाइन की लम्बाई कितनी है जहां पर हमें इस बात का पता चले कि लाइन की केपेसेटी क्या है, क्षमता क्या है । इस चीज़ का जितने भी हमारे पास रेलवे के सम्बन्ध में कागजात आये हैं उन से पता नहीं चला है । हमें इस बात का भी पता नहीं चला है कि इस गति को तथा इस केपेसिटी को बढ़ामे के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने मील रेलवे की लाइनें हैं जिन पर हम गति बढ़ाने का विचार कर रहे हैं या उन की क्षमता बढ़ाने का विचार कर रहे हैं या कितनी गति बढ़ाई है या कितने मीलों की आवश्यकता होगी । रेलवे मंत्रालय की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है कि देश में रेलों की कितने वस्तुयें खो गई हैं, उन की कीमत क्या है ? रेलों में अभी कितने इंजिन हैं जोकि साल भर काम करते हैं और कितने इंजिन ऐसे हैं जोकि साल में बीमार पड़ते ह और कितने

दिनों तक बीमार रहते हैं, इस का भी पता नहीं चलता है । इस बात का भी पता नहीं चलता है कि विभिन्न रेलवे लाइनों में ६० एल० बी० की ब्राड गाज पर खास तौर पर चोड़ी लाइनों पर लाइनें कितनी हैं जिन को हम सैकिंड ग्रेड की लाइनें कह सकते हैं और उन में से कितनी को हम फर्स्ट ग्रेड में यानी ९० एल० बी० में बदलना चाहते हैं ।

इतना कहने के बाद मैं जब रेलों के समय पर चलने की बात की जाती है उस पर आना चाहता हूं । जब लोगों ने यह आलोचना की कि रेलें समय पर नहीं चलती हैं या समय के अनुकूल नहीं चलती हैं तो रेलवे अधिकारियों ने यह किया कि प्रत्येक लाइन पर या स्टेशन पर उन में समय की जो दौड़ थी उस को बढ़ा दिया । फर्ज़ कीजिये नागपुर से दिल्ली आने में पहले २१ घंटे लगते थे तो अधिकारियों ने यह बताने के लिये कि अब गाड़ियां ठीक समय पर आती हैं टाइम टेबल में २१ के बजाय २४ घण्टे कर दिया और अगर आप टाइम टेबल को देखेंगे तो आप को इस का पता चल सकता है । इतना होने पर भी मैं देखता हूं कि गाड़ियां ठीक समय पर नहीं आती हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । बहुत जगहों पर यह बात हुई है कि जैसे खड़गपुर और कलकत्ते के बीच में पैसेंजर गाड़ियों के जाने में दो घंटे लगते हैं अब वहां पर मद्रास मेल जाती है, बम्बई मेल जाती है वे तीन घंटे के बाद भी पार नहीं होती हैं ।

यह बात भी मेरी समझ में नहीं आई है कि लोकल रेलगाड़ियां जो होती हैं उन को रिसीव क्यों नहीं किया जाता है । साउथ ईस्टर्न रेलवे की गाड़ियों को ईस्टर्न रेलवे के अधिकारी अपने यहां क्यों नहीं रिसीव करते हैं, उन का स्वागत क्यों नहीं करते हैं । अपनी गाड़ियों को वे पहले सुविधा देंगे और उस के बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे की गाड़ियों को सुविधा देंगे । अलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर इत्यादि स्टेशनों पर फारेन लाइनों की जितनी ट्रेनें हैं, उन को रिसीव न करने का यह बहाना बना दिया जाता है कि एडिशनल प्लेटफार्म नहीं है या एडिशनल प्लेटफार्म की लम्बाई नहीं है, इसलिये गाड़ियों को हटा कर रोकना पड़ता है । भंडारा रोड से नागपुर तक के लिये बम्बई मेल को दो या डेढ़ घंटे का समय दिया जाता है हालांकि वह एक घंटे में पार कर सकती है । इसी तरह से सेंट्रल रेलवे फारेन रेलवे को रिसीव करने के लिये तैयार नहीं है या अगर रिसीव करती है तो कहती है कि देरी इस वास्ते होती है कि प्लेटफार्म नहीं है या प्लेटफार्म की लम्बाई नहीं है । ये बातें मैं ने आप को नमूने के तौर पर बताई हैं । इस तरह की बात आप हर जगह होती पायेंगे ।

जितने भी बड़े बड़े जंकशंस हैं जैसे लखनऊ, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता आदि वहां पर प्लेटफार्म की इतनी पासिटी है, इतनी कमी है कि हर एक रेलगाड़ी को एक डेढ़ घंटे के लिये डिटेंशन भुगतना पड़ता है । इस के सम्बन्ध में भी आप को कुछ न कुछ करना होगा ।

हम ने रेल लाइनों को डबल तो किया है लेकिन डबल करने के बाद भी रेलें देरी से क्यों आती हैं यह समझ में नहीं आया है । मथुरा दिल्ली लाइन को डबल किया गया है लेकिन हमेशा गाड़ियां देरी से आती हैं । खड़गपुर कलकत्ता के बीच में गाड़ियां देरी से चलती हैं, भंडारा नागपुर की रेल गाड़ियां देर से आती हैं, इस के कारण भी आप को ढूंढने होंगे । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े स्टेशन हैं वहां पर आप देखेंगे कि जब वहां से गाड़ियां चालीस मील के करीब दूर रह जाती है तो वहीं गाड़ियां लेट होती हैं एक घंटा या डेढ़ घंटा । यह बात समझ में नहीं आई है ।

अब मैं डबलिंग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, रेलों के उन्नयन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । जो भी हमारे नये काम होते हैं उन में जो एस्टीमेट या अनुमान लगाये जाते हैं वे गलत लगाये जाते हैं । मैं आप को एक छोटी सी बात नमूने के तौर पर बतलाता हूं । साउथ-ईस्टर्न रेलवे पर काम करने के लिये हम ठेके देते हैं, डबलिंग के लिये हम ठेका देते हैं । गिट्टी के लिये, ब्लास्ट के

[श्री भगवती]

लिये हम उन को ठेका देते हैं। ठेका देते वक्त यह शर्त जुड़ी रहती है कि अमुक स्थान पर पत्थर मिलेगा और वहां से पत्थर लाना पड़ेगा और यही कारण है कि कीमत कम होती है। बाद में जो ठेकेदार होता है वह १० या १५ या २० मील दूर से पत्थर लाता है और उसका चार्ज करता है और वह इस चीज़ को अपने टेंडर में शामिल कर देता है। इस तरह से जो खर्चा होता है वह बढ़ जाता है। यह मैं ने आप को नमूने के तौर पर एक छोटी सी बात बतलाई है। दूसरी चीजों में भी इसी तरह से किया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन के लिये, या नये कामों के हमारे एस्टीमेट होते हैं वे ठीक नहीं होते हैं और अगर हम ठीक एस्टीमेट करें तो मैं समझता हूं कि ३०० या ४०० करोड़ रुपया सालाना हम डबलिंग के लिये खर्च करते हैं, उस में से कम से कम पचास करोड़ रुपया बचा सकते हैं।

अब मैं गुड्स ट्रेन की स्पीड के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री द्वारा बताया गया है कि गुड्स ट्रेन की अर्निंग्स में हम को काफी कमी हुई है, काफी घोटाला हुआ है। इस का कारण यह है कि गुड्स ट्रेन की जो स्पीड होती है वह १० या १२ मील औसत से कम होती जा रही है साथ ही साथ आप ने पैरेलल रोड्स किनारे किनारे भी बना दी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि अमुक ब्रांच लाइनों में मेल ट्रेन्स नहीं जाती हैं, आर्डिनरी ट्रेन्स नहीं जाती हैं, इसलिये स्टेट गवर्नमेंट्स पैरेलल रोड्स बनाती हैं ताकि उन स्टेशनों पर हमारी कारें जा सकें, बसें जा सकें। आपने देखा ही होगा कि आम तौर पर जितनी भी बड़ी लाइनें हैं उन के किनारे किनारे सामानान्तर दिशाओं पर हमारी बस रोड्स हैं या ट्रंक रोड्स हैं और उन के कारण आप को पैसेंजर और गुड्स अर्निंग में बहुत घोटाला खाना पड़ता है। आप को यह भी देखना होगा कि चीजें जल्दी पहुंचें। आज यह होता है कि सागर का व्यापारी यदि अपने माल को बम्बई, इंदौर, कोटा या अहमदाबाद भेजना चाहे तो ट्रक के ज़रिये उस माल को पहुंचाने में २४ घंटे या ४० घंटे लगते हैं जबकि गुड्स ट्रेन के ज़रिये नौ दिन या दस दिन कम से कम लगते हैं। ऐसी हालत में वह क्यों न अपने माल को दो दिन में पहुंचाना चाहेगा बनिसबत गुड्स ट्रेन के। आप को यह भी देखना होगा कि क्यों अननैसेसेरिली रेल रोड कम्पिटीशन होता है। क्या आप स्टेट गवर्नमेंट्स से परामर्श नहीं लेते हैं या उन से सहयोग नहीं लेते हैं या वे नहीं देती हैं या जानबूझ कर हम रेल रोड कम्पिटीशन की ओर ध्यान नहीं देते हैं जिस से हमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि इस ओर उतना ध्यान न दिया गया हो जितना दिया जाना चाहिये था। यह भी आप को देखना होगा।

अब मैं पैरिशेबल गुड्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं और जिन का जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी होता है। लिखा तो रहता है "फर्स्ट प्रायोरिटी टू परिशेबल गुड्स" लेकिन यह होता नहीं है। औरेंजिज के लिये, फाडर के लिये या इसी तरह की दूसरी चीज़ों के लिए जो कि पैरिशेबल होती हैं वैगन सप्लाई को प्रायोरिटी नहीं मिलती है और यही कारण है कि इसके बारे में जनता तथा व्यापारियों में बहुत असन्तोष है जिसको दूर करना बहुत आवश्यक है।

अब मैं एजुकेशन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे रेल मंत्री महोदय ने यह घोषित किया है कि ५०० नये प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। लेकिन रेलवे स्कूलों में काम करने वाले प्राध्यापकों या अध्यापकों की क्या दशा है इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी क्या दुर्दशा है, इस ओर आप देखते भी नहीं हैं। उनको क्वार्टर नहीं मिलते हैं। उनके जो पे-स्केल हैं वे स्टेट लेवेल के जो पे-स्केल होते हैं उनसे कम होते हैं। रेलवे टीचर्स को वे स्केल नहीं दिये जाते हैं। ट्रे. टीचर्स होते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई तरक्की नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सैंटर्स में भेजा तो जाता है लेकिन गवर्नमेंट उनका खर्चा बरदाश्त नहीं

करती है । दो तीन साल के बाद जब वे ट्रेनिंग पा कर आते हैं तो उनकी तनख्वाह में से यह रुपया काट लिया जाता है, उनको सीनियारिटी नहीं मिलती है और साथ ही साथ उनकी पे में कोई वृद्धि नहीं की जाती है, कोई पे में इनक्रिमेंट नहीं मिलती है । इस प्रकार का घाटा उनको सहना पड़ता है । इसके बारे में कई बार मैंने कहा है इसी सदन में और पत्र-व्यवहार भी किया है लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है । ऐसी बातों से बड़ा दुःख होता है । रेलवे शिक्षकों की जो दुर्गति है, उसकी ओर रेलवे मंत्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है । जो पोस्ट-मास्टर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं या विभिन्न क्षेत्रों के जो दूसरे लोग काम करते हैं उनको क्वार्टर नहीं दिये जाते हैं और मैं चाहता हूं, इस ओर आपका ध्यान जाये ।

मैं समझ नहीं पाया हूं कि कलकत्ता मद्रास के बीच में जो मेल ट्रेन चलती है, वह इतना ज्यादा समय क्यों लेती है । दिल्ली और कलकत्ता के बीच, दिल्ली व बम्बई के बीच, दिल्ली व मद्रास के बीच जो मेल ट्रेंस चलती हैं वे कम समय लेती हैं और कलकत्ता मद्रास के बीच चलने वाली मेल ट्रेन ज़रूरत से ज्यादा समय लेती है । हो सकता है कि कहीं पर डबलिंग हो रही हो, कहीं पर क्रासिंग स्टेशन बन रहे हों, इन चीजों को मैं समझ सकता हूं । फिर भी कलकत्ता मद्रास मेल इतना समय क्यों लेती है यह मैं नहीं समझ सकता हूं ।

नैरो गेज के ब्राड गेज में कंवर्शन करने के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं । दो तीन सालों से यह चर्चा चल रही है लेकिन नैरो गेज की स्पीड ९ या १० मील प्रति घंटा से ज्यादा नहीं बढ़ पाई है । अगर कोई यात्री साइकिल से चलना चाहे तो चालीस मील की दूरी वह चार घंटों में तय कर सकता है, लेकिन नैरो गेज की गाड़ी को वहां तक पहुंचने में ६ या ७ घंटे लगते हैं । कभी वह स्टेशन पर पानी लेती हैं कभी कुछ करती हैं । कभी ड्राइवर गाड़ी को रोक कर जामुन और बेर के फल तोड़ कर खाने लगता है और उस के बाद आ कर गाड़ी को चलाया करता है । आज जब यह हालत है तो किस तरह से काम चलेगा यह मेरी समझ में नहीं आता ।

इस के उपरान्त आप देखेंगे कि बहुत से प्रान्त ऐसे हैं जिन में आप ने एक्स्प्रेस गाड़ियां चलाई हैं और डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को कैपिटल्स से जोड़ा है ताकि समय की बचत की जा सके । हालांकि हर जगह पर समय की बचत के लिये अनुसंधान किये जा रहे हैं लेकिन रेलवे में समय की बचत न कर के समय को बढ़ाया जा रहा है । आप ने टाइम टेबल के अन्दर जगह जगह पर समय को रिलैक्स कर दिया है । आप ने समय को २१ घंटे के बजाय २४ घंटे कर दिया है या १० की जगह पर १२ घंटे कर दिया है । हर रेलवे में रिलैक्सेशन हो गया है ताकि लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि गाड़ियां लेट आती हैं । जिन एक्सप्रेस गाड़ियों को पहले २२ और २४ घंटे लगा करते थे किसी दूरी को तय करने के लिये, उसी दूरी को तय करने के लिये अब २५ या ३० घंटे लगते हैं । मैं इस चीज को नहीं समझ पाता हूं ।

अब मैं अपने प्रान्त की ओर आता हूं । भोपाल नई राजधानी बनाई गई । नई राजधानी बनने का मतलब यह होता है कि केन्द्र की उस में ज्यादा जिम्मेदारी है । लेकिन आज जो हमारे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उन के लिये भोपाल से कोई स्ट्रेट ट्रेन नहीं है । एक गाड़ी चलाई गई है जिसका नाम एक्स्प्रेस है, लेकिन वह जनता पैसेन्जर से भी ज्यादा समय लेती है । यही नहीं वह एक लंगड़ी पैसेंजर से भी ज्यादा समय लेती है । यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती है ।

बिलासपुर से भोपाल ४६३ मील है । इस के लिये गाड़ी में साढ़े बाइस घंटे लगते हैं । इस दूरी में से कम से कम ३०० मील तक तो गाड़ी पैसेन्जर की ही तरह चलती है । आखिर इस से क्या फायदा ? इस के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया गया । बिलासपुर से जो भोपाल एक्स्प्रेस जाती है

[श्री जांगड़े]

उसे बिलासपुर, कटनी, बीना हो कर चलाया जाय। वह अगर भोपाल न भी पहुंचे तो भी कोई बात नहीं। उसे बीना पर ही खत्म किया जा सकता है। इस १३ घंटे की यात्रा का जो सफर करने वाले हैं, आंध्र जाने वाले या उड़ीसा जाने वाले यात्री, वह प्रिफर करेंगे। इस से जी० टी० की ओवरक्राउडिंग भी कम हो जायेगी साथ ही लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी और ईंधन वगैरह का जो खर्च होता है उस में भी कमी होगी। जबलपुर और इटारसी हो कर घुमाने में और उस की तरफ मुंह बदलने में जो खर्च होता है वह भी बच सकेगा। कहते हैं कि लोगों की डिमांड नहीं है कि भोपाल से जबलपुर सीधी गाड़ी जाय। अभी भी उस की डिमांड कहां है? मैं कहता हूं कि जिस लास पर आज जबलपुर इटारसी हो कर भोपाल को गाड़ी जाती है उसी लास पर या उस से कम लास पर बीना हो कर भी गाड़ी भोपाल जा सकती है। पठानकोट एक्स्प्रेस में एक या दो डब्बे वहां के लिये लगाये जा सकते हैं।

इसी प्रकार से इटारसी से इलाहाबाद पैसेन्जर जो जाती है वह पांच बजे सवेरे इलाहाबाद से रवाना होती है और सतना से वह एक्स्प्रेस हो जाती है। मैं चाहता हूं कि वह इलाहाबाद से ९ बजे चला करे और दूसरे दिन ९ बजे, यानी २४ घंटे में भोपाल पहुंच जाय ताकि विंध्य प्रदेश के मुसाफिरों को भोपाल पहुंचने में दिक्कत न हो और गाड़ी सीधी हो ताकि इलाहाबाद से भोपाल को सीधे ही यात्री चले जायें। अगर आप टाइम टेबल को इस तरह से बदल दें तो कटनी, जबलपुर, बीना, इटारसी और सतना हर जगह के यात्रियों को सहूलियत हो जायगी। इस संदर्भ में मैं आप से कुछ पानी पांडे के संबंध में भी कहना चाहता हूं। हमने हर रेलवे स्टेशन पर पानी पांडे लगाये हैं। लेकिन वे साइड स्टेशन पर उन की ड्यूटी बहुत कम होती है। गाड़ी आने के पांच मिनट पहले और गाड़ी जाने के पांच मिनट बाद तक ही वे लोग काम करते हैं। इस तरह से आधा या पौन घंटे की ड्यूटी उन की मुश्किल से होती है जिस के लिये हम उन को ७० या ८० रु० मासिक देते हैं, वर्दी भी देते हैं, और दूसरी आसानियां देते हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस बात पर विचार करे। आज कल व्यापारी और मारवाड़ी लोग आदमी रख कर प्यासों को पानी पिलवाते हैं जो कि बाल्टी ले कर घूम-घूम कर पानी पिलाया करते हैं। अगर आप उन को कुछ पैसा दे दें और उन को इतनी थोड़ी देर के लिये पानी पिलाने के लिये रख लें तो आप को पानी पांडे रखने की आवश्यकता नहीं होगी और आप लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं।

मैं एक चीज़ चतुर्थ श्रेणी के रेलवे एम्प्लायीज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज हम उन की तन्ख्वाहों को बढ़ाते हैं, उन को वर्दियां देते हैं, उन के लिये सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी जितने इस श्रेणी के रेलवे एम्प्लायीज हैं उन में से ९० फी सदी कर्ज से दबे होते हैं। हमारे जितने साहूकार होते हैं उन के कर्ज से वे दबे हुए हैं। रेलवे मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये।

अन्त में एक बात रायपुर स्टेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। वहां पर रोड ओवरब्रिज बनना चाहिये और भिलाई में जो रेलवे ऐक्सिडेंट्स होते हैं उन की जांच होनी चाहिये। बिलासपुर का जो तृतीय श्रेणी का वेटिंग रूम है वह ५० साल से पहले का है। उस में काफी भीड़ हो जाती है और वह किसी भी वे साइड स्टेशन से बदतर हालत में है। उस की अवस्था में सुधार होना चाहिये।

†**श्री दी० रा० चावन** (कराड़) : रेलवे के विकास कार्य में क्षेत्रीय विषमताओं का स्थान काफी रहा है और इसे दूर किया जाना चाहिए। कहा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करेंगे, औद्योगिक प्रगति की नींव रखेंगे, कमजोर और सुविधा-हीन लोगों को ऊपर उठा कर देश के सभी भागों की सन्तुलित प्रगति का मार्ग खोल देंगे। यह भी कहा

†मूल अंग्रेजी में

गया था कि कम विकसित क्षेत्रों की सामाजिक आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जायेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् की भी सिफारिश यही है कि उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर देश के विभिन्न भागों का सन्तुलित विकास किया जाये। नयी औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का संकेत भी इसी दिशा की ओर ही है।

रेलवे योजना को आप देखेंगे तो पता लगेगा कि कुल ११२५.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था दूसरी योजना म को गई थी और यह राशि सारी उत्तर में ही खर्च की जा रही है और कारण यह बताया जाता है कि नई लाइनें वे ही बनाई जाती हैं जिन्हें औद्योगिक व चालन प्रयोजनों के लिये ज़रूरी समझा जाता है। मेरा कहना है कि इससे पिछड़े हुए और अविकसित क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। मद्रास के एक नये दल, कांग्रेस सुधार समिति, ने अपने घोषणा पत्र में यह मांग की है कि क्षेत्रीय आधार पर उद्योगों का विकास किया जाय, और अविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा न की जाय। आज दक्षिण की उपेक्षा करके उत्तर में जो विकास कार्य हो रहा है, उसका यह अर्थ नहीं कि दक्षिण में अधिक संसाधन नहीं हैं बल्कि इसलिए कि उत्तर का राजनीतिक प्रभाव अधिक है। आर्थिक तौर पर भी, अवस्था यह है कि प्रमुख उद्योगों के संस्थापन में दक्षिण की उपेक्षा की जा रही है। यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार की नीति का निर्माण उत्तर के कुछ उद्योगपति ही करते हैं।

इस नये दल के घोषणा पत्र का तात्पर्य यही है कि माननीय मंत्री महोदय को यह बताया जाय कि दक्षिण वालों के विचार क्या हैं। इसी प्रकार मराठवाड़ा का मेरा क्षेत्र भी नितान्त उपेक्षित है। आप रेलवे के नक्शों को देखिये; आपको पता लगेगा कि रेलवे के सभी आवश्यक निर्माण कार्य उत्तर में हो रहे हैं और उत्तरी क्षेत्र में ही रेलों का जाल बिछा हुआ है। दक्षिण के लोगों में इसके कारण भारी असन्तोष है। मैं यह इस लिए भी कह रहा हूं ताकि आने वाली योजनाओं में हमारा कुछ ख्याल रखा जा सके।

अब मैं क्षेत्रीय मांगों की ओर आता हूं। मैं यह नहीं कहता कि हमारी मांगों को तुरन्त कार्यान्वित किया जाये लेकिन यह कि यदि दूसरा योजना काल में इन्हें लेना सम्भव न हो तो तीसरी योजना में इन्हें अवश्य लिया जाये। ये मांगें पहले भी माननीय रेलवे मंत्री महोदय के समक्ष आ चकी हैं। सरकार को निम्नलिखित लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए :—

(१) दीवा-दसगांव लाइन (रत्नागिरि और कोलाबा);

(२) लातूर से परली—बैजनाथ तक नई ब्राडगेज लाइन;

(३) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अमरावती से नरखेडा तक ब्रौडगेज लाइन;

(४) मध्य रेलवे के बारामती और दक्षिण रेलवे के नीरा स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन।

पूना-मिरज-कोल्हापुर और लातूर-कुरडूवाडी और मिरज-कोल्हापुर की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाय। यह मराठवाड़ा के लोगों की प्रमुख मांगें हैं।

मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि दीव-दसगांव लाइन के निर्माण कार्य को आरम्भ करने पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस मामले पर मंत्री महोदय को निश्चित आश्वासन देना चाहिए कि इस कार्य को प्रत्येक अवस्था में तीसरी योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जायेगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मंत्री थे तो वह हमारे क्षेत्र में गये थे और उन्होंने एक सभा में भाषण देते हुए कहा था कि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार

[श्री दी० रा० च्रावन]

किया जायेगा और कुछ को तो दूसरी योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। अब दूसरी योजना तो समाप्त होने आई है, इसलिये तीसरी योजना में तो इन मांगों को सम्मिलित किया ही जाना चाहिए। इसी प्रकार मैं, कुरडूवाडी मिराज-कोल्हापुर लाइन और कुरडूवाडी से परली बैजनाथ तक विस्तार करने के कामों को भी आरम्भ करने की आवश्यकता पर जोर दूंगा।

अब मैं, रेलवे मंत्रालय के विद्युतीकरण के कार्यक्रम की ओर आता हू। मंत्री महोदय के आय-व्ययक भाषण में इगतपुरी से भुसावल तक बम्बई-दिल्ली लाइन पर बिजली से रेल चलाने का कोई उल्लेख नहीं है। गत वर्ष के भाषण में इसकी आवश्यकता को मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था, परन्तु इस वर्ष उसका कोई उल्लेख ही नहीं। क्या यह पूछा जा सकता है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का क्या हुआ ?

एक मांग अमरावती-नरखेड़ा के सम्बन्ध में है। इस लाइन का सर्वेक्षण ब्रिटिश काल का हुआ है। मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यदि सम्भव हो तो इसे तीसरी योजना में ले लिया जाय। इसके निर्माण की मांग बड़ी पुरानी है। इसके अतिरिक्त पूना-मिराज कोल्हापुर की छोटी लाइन को बड़ी लाइन बना देने की बड़ी आवश्यकता है। पता चला है कि बम्बई सरकार भी इस पर जोर दे रही है। यह काम बड़ा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण से इस क्षेत्र के कई अन्य विकास कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस गरीब क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति इस परियोजना पर ही आश्रित है। इस परियोजना का यह भी लाभ है कि निकट भविष्य में यहां उर्वरक कारखाने चालू करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। इस क्षेत्र में इसके लिए कच्चा माल काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। इस से महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर अधिक होंगे और लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। मंत्री महोदय इन मांगों पर विचार कर उन्हें भविष्य के कार्यक्रम में सम्मिलित करें।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि आज रेलवे में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। यह बड़े खेद की बात है और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है। विभिन्न प्रकार के पग उठाने पर भी रेलवे प्रशासन इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस सत्य को स्वीकार किया है और वह इस समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छोटे वर्ग के कर्मचारियों को पकड़ने का कोई लाभ नहीं, हमें बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकना होगा। उच्चस्तरीय अधिकारियों में यह रोग बहुत अधिक है। उच्च अधिकारी बड़ी-बड़ी व्यापारिक सार्थों से सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। और पद निवृत्ति के पश्चात् उनके यहां किसी पद पर नियुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं की ओर बड़ी गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है कि रेलवे इस ओर बहुत ही उदासीनता से कार्य करती रही है। अनियामतताओं की ओर कई बार ध्यान आकृष्ट करवाने पर भी कोई महत्वपूर्ण पग नहीं उठाया गया। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। १९५४ से आज तक इस सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु कुछ हुआ नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि इस पर समुचित विचार किया जाना चाहिए।

सुश्री मणीबेन पटेल (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों की ओर रेलवे मंत्रालय का ध्यान खींचना चाहती हूं।

हमारी रेलवेज़ ने टूरिस्ट ट्रैफिक के लिए काफी कुछ किया है और करना उचित भी है क्योंकि इससे आपको फारेन एक्सचेंज मिलता है। परन्तु मेरी विनती है कि इसके साथ ही आप जो थर्ड क्लास की स्पेशल रेलगाड़ियां चलाते हैं, उनका भी समुचित बन्दोबस्त करना चाहिये। हमें आज थर्ड क्लास

की स्पेशलें तो दिखाई देती हैं परन्तु उन स्टेशनों पर जहां कि यह स्पेशलें ठहरती हैं, वहां पर उनके वास्ते कोई माकूल इन्तजाम नहीं किया जाता है। कभी कभी तो पानी तक का ठीक से इन्तज़ाम नहीं होता। मैं अभी विगत वर्ष के नवम्बर मास में ही नई दिल्ली के स्टेशन पर एक थर्ड क्लास स्पेशल रेलगाड़ी में गई थी जहां कि मैंने यह देखा कि वह स्पेशल प्लेटफार्म पर नहीं थी बल्कि कुछ हट कर बाज़ू में खड़ी हुई थी और जहां पर कि करीब दो फुट जगह होगी और नीचे धूल में उनके खाने पकाने का और पानी पिलाने का इन्तज़ाम था। यह इन्तज़ाम जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेनों का है तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि और जगहों पर जहां कि स्पेशलें ठहरती होंगी वहां पर क्या हालत होती होगी।

आप प्रचार करते हैं कि हमारे देश में आज़ादी आने के बाद क्या क्या काम हुए हैं और वह देखने के लिये लोग जा रहे हैं और इसीलिये आप स्पेशलों में जाने के लिये सुभीता देते हैं और उत्तेजन देते हैं और जब वहां पर आपका इन्तज़ाम ऐसा खराब हो तो फिर आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे लोग कैसा असर लेकर जायेंगे ?

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि स्पेशलें किस तरह से दी जाती हैं, किस ओर से दी जाती हैं और कौनसी एजेंसी के द्वारा दी जाती हैं ? इसमें किसी को क्या कुछ मुनाफा बनाने की गुंजाइश रखी है ? यह मैं इसलिये कहती हूं क्योंकि इस बारे में मेरे पास शिकायत आई है कि महीनों तक उन्होंने स्पेशलें मांगी हैं लेकिन उन्हें दी नहीं जातीं और उनके बाद के लिखने वाले लोगों को स्पेशलें दी जाती हैं। इसलिये इस बारे में आपको ज़रा छानबीन करनी चाहिये कि ऐसी गड़बड़ क्यों होती है ?

आपने मीटरगेज और नैरोगेज पर भीड़ दूर करने के लिये क्या उपाय सोचे हैं ? मैं नडियाड और आनन्द में बराबर देखती रहती हूं कि डिब्बों के अन्दर लोग मनुष्यों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं और डिब्बों की छतों के ऊपर भी लोग बैठे रहते हैं और कितने ही लोग खड़े खड़े और लटक कर चलते हैं। उनमें भीड़ का कोई शुमार नहीं रहता है और यह भीड़भाड़ और रेलपेल हम आज से नहीं बल्कि वर्षों से देख रहे हैं। अगर उसको ब्रौडगेज या मीटरगेज करना हो तो जल्दी करिये वरना नैरोगेज पर डिब्बे बढ़ाने का कोई इन्तज़ाम करना चाहिये।

सौराष्ट्र में मीटरगेज की ट्रेन की बात मैं आपको बतलाती हूं। अभी इस महीने की १४ तारीख को मैं वीरमगांव से राजकोट जा रही थी। उस ट्रेन में आपने बहिनों के लिए सिर्फ दो ही डिब्बे थर्ड क्लास के रखे हैं और भीड़ इतनी अधिक थी कि उसमें हम लोग भेड़ बकरियों की तरह से धंस गये। हालांकि सामान किसी के पास ज्यादा नहीं था मगर वीरमगांव में हम लोग बड़ी मुश्किल से डिब्बों में चढ़ सके। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए और कुछ न कुछ इन्तज़ाम करना चाहिये और बहिनों के लिए कम्पार्टमेंट्स बढ़ाने चाहियें। मैंने यह भी देखा कि सौराष्ट्र के पुरुष लोग स्त्रियों के कम्पार्टमेंट्स में घुस आते हैं और रेलवे के कर्मचारियों का ध्यान जब इस ओर मौक़े पर दिलाया जाता है कि बहिनों का डिब्बा है तो वे कह देते हैं कि इसमें हर्ज ही क्या है और नतीजा यह होता है कि पुरुष लोग स्त्रियों के डिब्बों में आ जाते हैं और उनको रोका नहीं जाता है।

वेस्टर्न रेलवे में कई ट्रेनों में आपने दूध वालों के लिये अलग डिब्बे रखे हैं जो कि उचित है क्योंकि उनके कारण पैसेंजर्स को बहुत तकलीफ होती थी। परन्तु मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि अभी मेल ट्रेन में जब मैं अहमदाबाद से सूरत जा रही थी तब बहिनों के थर्ड क्लास के डिब्बे के अन्दर दूध वाली बहिनें अपने अपने बरतन लेकर रात में साढ़े ग्यारह बजे घुस आईं। जब हमने रेलवे के एक कर्मचारी का ध्यान खींचा कि आपने इन दूध वालों के लिए एक बड़ी सी बोगी रक्खी है तब इस डिब्बे के अन्दर उनको न आने दें तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि बहिनों के आने में कोई हर्ज नहीं है। अब मेरी समझ

[सुश्री मणिबेन पटेल]

में नहीं आता कि जब आपने पुरुष दूध वालों के लिए एक अलग पूरी बोगी रक्खी है तब आप दूध वाली स्त्रियों के लिए भी कोई एक अलग कम्पार्टमेंट बनाने का प्रबन्ध क्यों नहीं करते और यह इन्तज़ाम न होने से पैसेंजर्स को काफ़ी तकलीफ होती है। वे बेचारी दूध वालियां थकी मांदी आती हैं और आपस में झगड़ा फिसाद करती हैं जिसके कि कारण औरों को भी तकलीफ़ होती है। इसलिये इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये और कोई मुनासिब बन्दोबस्त होना चाहिये।

सौराष्ट्र जाने वाली जो कीर्ति एक्सप्रेस है उसमें बहिनों के वास्ते ४ कम्पार्टमेंट्स तो कम से कम रहने ही चाहियें।

आपने पुरुषों के वास्ते स्लीपिंग अरेंजमेंट किया है और उसका रिज़रवेशन करने के लिये पुरुषों को अधिकार दिया है। मेरा कहना है कि इस तरह की स्लीपिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था स्त्रियों के लिए भी होनी चाहिये। अब इसके लिए आपका यह कहना कि हमारी बहिनें स्लीपिंग अरेंजमेंट के लिए जनरल कम्पार्टमेंट में रिज़रवेशन करा सकती हैं, ठीक नहीं है क्योंकि अभी हमारे यहां पर इतना विवेक आया नहीं है कि कोई बहिन खड़ी हो तो कोई पुरुष उसको बैठने की जगह भी दे दे और स्वयं खड़ा हो जाय। अलबत्ता विदेशी पुरुष इसका ख्याल रखते हैं और वे तो यहां तक ख्याल रखते हैं कि अगर उनके पास कोई महिला बैठी होती है तो बीड़ी सिगरेट पीने से पहले उससे पूछ लेते हैं कि क्या मैं यहां पर बीड़ी सिगरेट पी सकता हूं। लेकिन हमारे देश में इसका बिल्कुल उलटा है और यहां पर तो लोग पास में बैठी हुई महिला की ओर मुंह करके सिगरेट पीते हैं और उसका धुआं उनके मुंह पर जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी बहिनों के लिये भी रिज़र्वेशन का कोई अलग से प्रबन्ध होना चाहिये ताकि उनको भी पुरुषों की तरह कुछ ज्यादा पैसा देकर रिज़र्वेशन मिल जाय और १, १ घण्टा पहले से स्टेशन पर आना न पड़े।

डिलक्स ट्रेनों में जो आप ने साधारण थर्ड क्लास रखने का बन्दोबस्त किया है वह बहुत उचित किया है और अच्छी बात की है परन्तु जो बहिनों का डिब्बा होता है उस के ऊपर खाली चौक से "लेडीज" लिखा होता है और रात में उस को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस के अलावा लेडीज कम्पार्टमेंट्स में अन्दर से डिब्बे को बन्द करने का इंतजाम होता हो है लेकिन मैं ने देखा है कि वह कहीं कहीं संतोषजनक नहीं होता है। अभी मैं पिछले महीने १३ तारीख को इधर से थर्ड क्लास में डिलक्स ट्रेन में गई तो मैं ने पाया कि थर्ड क्लास के दरवाजे के बोर्ड का एक पेच ही निकल गया था और जब तक कि उस को सही न किया जाय दरवाजा बन्द नहीं हो सकता था और दरवाजा खुला रहने से हवा आती है और बरसात का मौसम हो तो डिब्बे के अन्दर पानी आ सकता है। मथुरा रेलवे स्टेशन पर मेरी जान पहिचान के एक रेलवे कर्मचारी निकल आये तो मैं ने उन का ध्यान इस खराबी की ओर खींचा लेकिन अक्सर हमारे देखने में आता है कि रेलवे कर्मचारी साधारण तौर पर मुसाफिरों द्वारा की गई शिकायतों के प्रति एक उपेक्षा भाव बर्तते हैं। मैं ने उन का ध्यान खींचा। वह चले गये और और दूसरा जब एक कर्मचारी आया तो उस को मैं ने कहा तब जा कर कहीं वह दुरुस्त किया गया और तीन तरफ चाबी लगाई गई और एक दरवाजा खुला रक्खा। अब ठीक से दरवाजे बन्द न होने के कारण और उन में चाबी की व्यवस्था ठीक न रहने के कारण दरवाजे खुले रह जाते हैं और पीछे की ओर से स्त्रियों के डिब्बों में पुरुष लोग घुस आते हैं और जिस से कि महिलाओं को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। कभी कभी चोर वगैरह भी पीछे से घुस आते हैं। रेलवे मंत्रालय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। और महिलाओं के डिब्बों पर काफी साफ तौर पर पेंट होना चाहिये कि यह महिलाओं के डिब्बे हैं और उन में दरवाजे और चाबी वगैरह की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। खाली चाक से लिखने से यह काम नहीं हो सकता।

आप की डिलक्स ट्रेन में फर्स्ट क्लास और एअरकंडीशन्ड थर्ड क्लास के लिये सफाई करने वालों का प्रबन्ध है और वे गाड़ी में ही रहते हैं। इसलिये उन दरजों में तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आर्डनरी थर्ड क्लास के लिये भी सफाई का प्रबन्ध होना चाहिये। यह तो मैं जानती हूं कि जो आदमी गाड़ी में चलता है वह तो वहां नहीं आ सकता। लेकिन जिस तरह से और गाड़ियों के लिये सफाई वाला आदमी आता है उसी तरह डिलक्स के थर्ड क्लास के भी लिये आना चाहिये और उस को देखना चाहिये।

इसी तरह से डिलक्स ट्रेन में आर्डिनरी थर्ड क्लास के पैसिंजर्स के लिये चाय और खाने आदि का भी कुछ प्रबन्ध होना चाहिये कि कोई आवे और पूछताछ करे जैसे कि फर्स्ट क्लास में और एअरकंडी-शन्ड थर्ड क्लास में होता है। इस तरफ कोई देखता नहीं है। आप को इस बारे में भी अपने कर्म-चारियों को सूचना देनी चाहिये कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

जो आप की बोगीज हैं वे तो अब अपने यहां ही बनती हैं। लेकिन आप को यह देखना चाहिये कि जब वह कारखाने से बन कर आवें तो ठीक ठीक बन कर आवें। मैं ने देखा है कि उस में जो बारियां होती हैं वे ठीक तरह से नीचे से बन्द नहीं होतीं। एक कोने या दूसरे कोने में आधे या पाव इंच का अन्तर रहता है। इस से गरमी में तो बहुत तकलीफ नहीं होती पर बरसात में इन में पानी आता है और सीट भीग जाती है और निकम्मी हो जाती है। उन सीटों पर पैसिंजर नहीं बैठ सकते।

आप ने कहा कि हम ने गाड़ियों में पंखे लगाये हैं और लाइट लगायी है। मगर क्या आप को यह मालूम है कि आप के पंखे ठीक से चलते नहीं हैं। पिछली बार मैं बम्बई जा रही थी। मैं ने देखा कि यद्यपि स्विच बन्द थी मगर पंखा बन्द नहीं होता था। परिणाम यह हुआ कि उस से मुझे जुकाम हो गया और बाद में बुखार हो गया। अगर इस तरह से आप पंखे और लाइट का प्रबन्ध करेंगे तो इस से क्या फायदा होगा।

फिर अभी मैं इधर दिल्ली से जा रही थी कि रास्ते में बत्ती बन्द हो गयी। दिन को तो आप की बत्ती जलती रहती है स्विच बन्द होने पर भी, पर रात को नहीं जलती। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जिस वक्त यार्ड में से गाड़ी स्टेशन पर आवे तो यह प्रबन्ध होना चाहिये कि यह देख लिया जाये कि सब चीजें ठीक हैं या नहीं।

आप ने एक और सुविधा का प्रबन्ध किया है कि पैसिंजर को यह बताया जाता है कि यह ट्रेन इस समय जायेगी, और उस जगह खड़ी होगी आदि। मेरा सुझाव है कि साथ साथ आप यह भी बतलाया करें कि मजदूरों को क्या देना चाहिये। मेरा अपना अनुभव यह है कि जो आप के मजदूर स्टेशनों पर होते हैं वे पैसिंजर्स को तंग करते हैं। कोई एक नग का आठ आना मांगता है, कोई एक रुपया मांगता है और अगर पैसिंजर के पास ज्यादा बोझा है और वह तकलीफ में है तो दो रुपया मांगते हैं और दूसरे और मजदूर को आने भी नहीं देते। और अगर भीड़ हो तो जगह रोकने के लिये आप के मजदूर यार्ड में चले जाते हैं और जगह रोकने के लिये रुपया दो रुपया पांच रुपया पैसिंजर से लेते हैं। तो मेरा तो यह कहना है कि यह आप के जो मजदूर हैं ये तो लाइसेंस्ड हैं। वे लोग किस तरह से यार्ड में जा सकते हैं और मुसाफिरों से पैसे ले सकते हैं। आप के वाच एंड वार्ड के लोग क्या करते रहते हैं। जो आप का स्टेशन स्टाफ है और जो आप के वाच एंड वार्ड वाले हैं वे क्या देखते हैं। मैं देखती हूं कि स्टेशन पर बहुत से भिखारी रहते हैं, बहुत से लेप्रासी वाले रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, दातुन बेचने वाले रहते हैं, और भी बहुत से लोग रहते हैं। मैं तो रोज रोज आती जाती रहती हूं इसलिये मुझे देखते ही यह पता लग जाता है कि किस के पास टिकट है और किस के पास नहीं है। क्या आप के रेलवे कर्मचारी यह नहीं देखते? मालूम होता है कि वह आंख मीचे रहते हैं और सोचते हैं कि चलो जो चलता है उसे चलने दो। आज सरकार

[सुश्री मणिबेन पटेल]

हर व्यक्ति से कह रही है कि पैसा पैसा बचाना चाहिये और उस से सरकार को मदद करनी चाहिये। लेकिन आप के कर्मचारी ही इन चीजों को न देखें और इस तरह से रेलवे का नुकसान हो, यह चीज नहीं होनी चाहिये।

आप ने कई जगह वाटर कूलर लगाये हैं। अच्छा किया है मगर क्या आप को मालूम है कि कई जगह ये वाटर कूलर चलते ही नहीं हैं और जहां ये नहीं चलते हैं वहां पर मुसाफिरों के पीने के लिये दूसरे ठंडे पानी का भी प्रबन्ध नहीं होता है। अब आप का कूलर चलता नहीं और दूसरा पानी मिलता नहीं तो पैसिंजर क्या करे। तो आप को यह चीज भी देखनी चाहिये।

आप ने रेलवे की ठीक व्यवस्था करने के लिये भिन्न भिन्न जोन बनाये हैं, जैसे नार्दर्न जोन, सदर्न जोन, आदि। परन्तु इन में एक दूसरे के साथ विरोध नहीं होना चाहिये। इन को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिये। परन्तु मेरा अनुभव यह है कि यह सहयोग नहीं होता। मैं देखती हूं कि वैस्टर्न रेलवे की ट्रेनें मथुरा तक ठीक टाइम पर आती हैं। लेकिन मथुरा के आगे नारदर्न जोन शुरू होता है। मथुरा से दिल्ली तक का रास्ता डेढ़ घंटे का है। मगर इस में कभी दो घंटा और कभी कभी तीन घंटा तक लग जाता है। ऐसा क्यों होना चाहिये। एक दूसरे के कोआपरेशन से काम होना चाहिये। जो ट्रेन देर से आती है उस को रोकना चाहिये। जो ठीक समय से आती है उस को नहीं रोकना चाहिये। मगर हम देखते हैं कि मथुरा पर ठीक समय से, बल्कि कभी कभी समय से कुछ पहले भी ट्रेन आ जाती है मगर मथुरा से आगे उस को जगह जगह रोक लिया जाता है और वह लेट हो जाती है। जब हम वैस्टर्न रेलवे वालों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करें, हम मथुरा तक तो समय से गाड़ी को पहुंचा देते हैं, पर आगे तो जब हम को सिगनल मिलेगा तभी हम चल सकते हैं।

एक बात की और भी शिकायत मेरे पास आई है कि सड़क बन जाती है पर आप के रेलवे क्रासिंग के लिये दरवाजा नहीं बनता और दरवाजे को बन्द करने के लिये आदमी नहीं रखा जाता। उस के लिये कोई कोठरी नहीं बनती। इस का परिणाम यह होता है कि लोग उस सड़क का उपयोग नहीं कर सकते। तो जहां हम बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं वहां हम को इन छोटी छोटी चीजों पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। आखिर कोई सड़क एक दिन में तो बन नहीं जाती। उस को बनने में समय लगता है। आप के रेलवे कर्मचारी इस तरफ क्यों ध्यान नहीं देते कि जब सड़क बन रही है तो इस के लिये रेलवे क्रासिंग भी साथ साथ बनना चाहिये और आदमी के लिये कोठरी भी होनी चाहिये। ताकि लोगों की जिस तकलीफ को दूर करने के लिये सड़क बनायी जा रही है, वह तकलीफ दूर हो सके।

जब लाल बहादुर जी रेलवे मंत्री थे उस समय जब वह आनन्द आये थे तो मैं ने उन को बताया था कि आनन्द के पास ही एक गांव है जिस से आनन्द को आने के लिये रेलवे लाइन पार कर के आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। उन्हों ने कहा था कि इस तरह से लाइन को पार कर के आने को हम नहीं रोकते, जाने देते हैं। परन्तु यह उस का असली हल नहीं है। वहां पर ओवर ब्रिज होना चाहिये। वहां पर और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बीमार हो, या किसी को अपनी बैलगाड़ी में जाना हो या जीप में जाना हो तो दो तीन मील का चक्कर लगा कर जाना होता है। और अगर लाइन पार करके जाये तो केवल एक दो फरलांग का ही रास्ता है। तो मेरी विनती है कि इस के लिये भी कोई रास्ता निकालना चाहिये।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि जब कभी आप नई लाइन बनायें तो आप को आस पास के लोगों को पूछना चाहिये कि यहां पर पानी के जाने का कौन सा रास्ता है ताकि आप की लाइन से बारिश का पानी न रुके। हम अक्सर देखते हैं कि जब रेलवे का एक्सटेंशन होता है और नई लाइन

बनती है तो इस बात का ध्यान आप के कर्मचारी नहीं करते कि यहां का पानी कैसे निकलेगा और इस कारण आस पास के देहात वालों को बहुत तकलीफ होती है। आप रेलवे का एक्सटेंशन करें, मुझे इस से कोई शिकायत नहीं है लेकिन पानी का रास्ता जरूर निकालें जिस से लोगों को तकलीफ न हो।

नडियाड में दस दस पन्द्रह पन्द्रह मिनट तक शंटिंग होता रहता है और लोगों को लेविल क्रासिंग पर रुका रहना पड़ता है। मैं श्री जगजीवन राम जी से कहती हूं कि वे मेहरबानी कर के वहां आवें या किसी जिम्मेवार आदमी को भेजें ताकि हम उस को बता सकें कि किसी तरह से इस का रास्ता निकल सकता है और लोगों की यह तकलीफ दूर हो सकती है।

आखिर में मैं आप का ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहती हूं। हाकर्ज, जो कि खोंचे ले कर बेचते हैं, ट्रेन्ज में आते हैं और लोगों को यह कह कर फंसाते हैं कि पांच रुपये की चीज पांच आने में दे रहे हैं। वे लोग बिना टिकट सफ़र करते हैं। अगर वे टिकट ले कर भी आयें, तो भी उन को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वे गरीब आदमियों को फुंसाते हैं। उन की वजह से मारा-मारी होती हैं, झगड़े होते हैं। इस का कोई रास्ता निकालना चाहिये। अगर आवश्यकता हो, तो कानून के द्वारा इस का प्रबन्ध करना चाहिये।

मुझे आशा है कि रेलवे मंत्रालय इन सब बातों पर विचार करेगा और इन समस्याओं का हल करेगा।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): रेलवे विकास सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने का रेलवे मंत्रालय द्वारा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। चालू गाड़ियों में काफी वृद्धि की गयी है। रेलें और रेलों के इंजनों के कारखानों की स्थापना की गयी है। इन कारखानों में हमारे युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन सभी वर्गों और श्रेणियों के यात्रियों को सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहा है। संसार के अन्य देशों के मुकाबले में रेलवे भी प्रगति की दिशा में हमारा देश किसी से पिछड़ा हुआ नहीं है। कुछ कमियां अवश्य हैं, जिनको दूर करने का रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रयत्न हो रहा है।

दस वर्ष के पश्चात् हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि त्रिपुरा में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। मैं पथारखंडी से धर्मनगर तक रेलवे लाइन निर्माण करने के लिए रेलवे मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से त्रिपुरा में परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां बड़ी गहन रही हैं और इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। १९५९-६० के रेलवे आय-व्ययक पर बोलते हुए भी रेलवे मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं की कि इस उपरोक्त रेलवे लाइन का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा। परिवहन की कठिनाइयों के कारण त्रिपुरा के प्रत्येक क्षेत्र का विकास रुका पड़ा है।

मैं यह नहीं कहता कि त्रिपुरा में कोई विकास-कार्य नहीं हुआ। सड़कें, इमारतें और पुलों का निर्माण हुआ है परन्तु इमारती काम समाप्त होते ही कर्मचारी बेकार हो जाते हैं। आर्थिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा ताकि सचमुच समस्या स्थायी रूप में हल हो जाय। विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की व्यवस्था की जानी चाहिये और इसके लिये रेलों का होना बड़ा आवश्यक है। इसके बिना त्रिपुरा का कुछ नहीं होगा। यहां एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बांगशी ठाकुर]

स्थान पर भेजने पर काफी खर्च आ जाता है। जिस पटसन की कीमत कलकत्ता में १९ रुपये मन है वही त्रिपुरा में ८ से १२ रुपये मन तक बिकता है और मूल्य उत्पादन के व्यय से भी कम है। रेलवे की व्यवस्था हो जाये तो उत्पादक छः रुपये प्रति मन का लाभ कमा सकते हैं। इसी प्रकार की कठिनाई के कारण रेमा सेमा क्षेत्र को साफ करवा के ८०,००० एकड़ भूमि पर २०,००० परिवारों के बसाने का कार्य भी नहीं हो सका और वह योजना धरी की धरी रह गयी। रेलवे के होने से खाद्य समस्या को सुलझाने में भी काफी सुविधा हो सकेगी।

त्रिपुरा की समस्या यह है कि वहां उद्योग चालू किये जायें। रेलवे के बिना यह सम्भव नहीं। अतः मैं यह मांग करता हूं कि पथरखंडी से धर्मनगर तक लिंक रेलें बनाने का काम तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में और धर्मनगर से साब्रूभ तक की रेलवे लाइनों को बनाने का काम तीसरी पंच वर्षीय योजना के काल में पूरा कर लिया जाय।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : इंजनों, वैगनों तथा यांत्रिक पुर्जों के निर्माण, नई लाइनों के खोलने तथा सुविधाओं की व्यवस्था करने में रेलवे ने जो प्रगति की है उसके लिए मैं रेलवे मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। अब इंजनों आदि के निर्माण में हमारा देश धीरे-धीरे आत्म-निर्भर होता जा रहा है। दूसरी योजना के शेष २ वर्षों में हमें सारी गतिविधियों को तीव्रता से चलाना चाहिए ताकि हमारा उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाये। मैं वैसे स्वीकार करता हूं कि परिचालन सम्बन्धी कार्यकुशलता में काफी वृद्धि हो गई है। पर चूंकि अभी हाल में दुर्घटनायें होने के परिणामस्वरूप रेलवे पदाधिकारियों की काफी आलोचना की गयी है अतः अब स्थानीय पदाधिकारी स्वयं अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वे हर बात के लिये वरिष्ठ पदाधिकारियों की आज्ञा मांगते हैं अतः कई बार काम में देर होती है; गाड़ियों के आने-जाने में देर होती है और यात्रियों को भी असुविधा होती है। अतः यद्यपि रेलवे बोर्ड अब रेलवे का पुनर्गठन नहीं करना चाहता पर, मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्थानीय पदाधिकारी तुरन्त तथा तत्काल किसी भी मामले में अपनी जिम्मेदारी पर निर्णय ले कर कार्य किया करें इससे काम शीघ्र हो जायेगा तथा यात्रियों आदि को असुविधा भी नहीं होगी।

रेलवे अधिनियम के अधीन बहुत से नियम तथा सहायक नियम हैं। ये नियम निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में हैं। पर विभिन्न रेलवे खण्डों में इन नियमों में विविधता है। कभी कभी एक रेलवे खण्ड से दूसरे खण्ड में कर्मचारी लोग बदल दिये जाते हैं। नये खण्ड के नियमों में अन्तर होने के कारण कई बार जनता को बड़ी कठिनाई होती है। रेलवे ने आश्वासन दिया था कि सभी खण्डों में समान नियम लागू किये जायेंगे। पर मैं नहीं जानता कि समान नियम क्यों नहीं लागू किये गये। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा।

मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने बताया कि हसन-मंगलौर लाइन बनाने का विचार है। इस लाइन को शीघ्र बनाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि मंगलौर पत्तन का विकास किया जा रहा है। फिर इस क्षेत्र से निर्यात किये जाने वाले माल मैंगनीज, कच्चे लोहे की धातु, काजू, मिर्च तथा काफी आदि की आवश्यकता को देखते हुए भी आवश्यक है कि इस लाइन को बनाने का कार्य शीघ्र किया जाये।

मुझे खेद है कि सत्यमंगलम सैक्शन का उल्लेख नहीं किया गया है। यह चामराजनगर से कोयम्बटूर तक की ७५ से ८० मील लम्बी लाइन है। गत ५० वर्षों से जनता इस लाइन को बनवाने की मांग कर रही है। श्री गोपालस्वामी अय्यंगर जब रेलवे मंत्री थे तो मुझे पता लगा है कि उन्होंने

†मूल अंग्रेजी में

इसके निर्माण के लिये आदेश भी दे दिया था। पर बाद में न जाने क्यों इस का निर्माण नहीं किया गया। अभी हाल में जब मंत्री महोदय मैसूर गये थे उनसे भी जनता ने अपनी कठिनाइयां बताई थीं। गत वर्ष माननीय मंत्री ने कहा था कि अमरीका से ६०० लाख डालर की सहायता मिलने पर वे इस लाइन को बनवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे। अब माननीय मंत्री ने बताया कि उन्हें विश्व बैंक से तथा कोलम्बो योजना के अधीन ऋण मिल रहा है। फिर भी इस प्रतिवेदन में इस लाइन को बनवाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे।

दक्षिण रेलवे के सम्बन्ध में मुझे अनेक बातें कहनी हैं। मैं नहीं जानता कि इस रेलवे में ६ करोड़ रु० प्रति वर्ष की हानि क्यों हो रही है जब कि रेलवे के एकीकरण के पूर्व कम्पनी के जमाने में यह रेलवे लाभ में चल रही थी। यही हाल मैसूर राज्य रेलवे का था। वहां भी लाभ था। पर अब दोनों में घाटा चल रहा है। अतः इसकी छानबीन करने की आवश्यकता है। जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है आप जानते हैं कि बंगलौर नगर औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित है और एक बहुत बड़ा शहर है। लगभग १०० गाड़ियां प्रति दिन बंगलौर स्टेशन पर आती-जाती हैं पर वहां के स्टेशन का कोई सुधार नहीं किया गया है। यहां से मैसूर की ओर प्रति दिन ६ से ८ तक गाड़ियां जाती हैं पर वहां प्लेटफार्मों पर न तो कोई छाया है, धूप, वर्षा तथा खुले में सब काम होते हैं। पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है।

अन्त में मैं माननीय मंत्री के सामने एक और बात लाना चाहता हूं। भूतपूर्व मैसूर रेलवे के पदाधिकारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? मैसूर की जनता तथा वहां के माननीय सदस्यों में इस सम्बन्ध में बहुत असंतोष है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा। मैसूर-राज्य रेलवे के कुछ गजटेड पदाधिकारियों को—एकीकरण के बाद उन पदों से हटना पड़ा और तीसरी या चौथी श्रेणी के पदाधिकारियों की श्रेणी में लाया गया। इसी प्रकार उन्हें दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के सामने अच्छे पद नहीं दिये गये। एक पदाधिकारी को, जो द्वितीय श्रेणी का था और जिसके काम के सम्बन्ध में बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, एक बार प्रशंसा पत्र दिये गये। बाद में एक उच्च पद के खाली होने पर उस पदाधिकारी को वह पद नहीं दिया गया। जब इस मामले पर आपत्ति उठाई गई तो एक पदाधिकारी ने यह आदेश निकाल दिया कि मैसूर राज्य रेलवे को ऊंची तनख्वाहें न दी जायें और रेलवे बोर्ड की अनुमति के बिना उन्हें पदोन्नति न दी जाये। बाद में रेलवे बोर्ड के पास जब रिपोर्ट आई तो उस पदाधिकारी ने लिखा कि मैसूर राज्य रेलवे के तीनों पदाधिकारी प्रथम श्रेणी की पदोन्नति के लिये अयोग्य हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर रेलवे बोर्ड तथा संघ लोक सेवा आयोग ने भी अपने निर्णय दिये। मैं पूछता हूं कि उन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में पहले की जो रिपोर्टें थीं, वे रेलवे बोर्ड तथा संघ लोक सेवा आयोग के सामने क्यों नहीं रखी गयीं।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन बातों पर ध्यान दें। मैं सारा मामला उनके सामने उपस्थित करूंगा और उनसे इस विषय में चर्चा करूंगा।

†**श्री भंजदेव** (क्योंझर): यद्यपि द्वितीय योजना में रेलवे पदाधिकारियों ने अच्छा काम किया है पर माननीय मंत्री ने वित्त सम्बन्धी स्थिति का जो स्वरूप हमारे सामने रखा है वह बहुत ही असंतोषजनक है। ६२ करोड़ रुपये की राशि विकास निधि से निकाली जानी वाली थी पर सामान्य राजस्व को व्याज न देने की नियत से अब उसे भारित पूंजी के खाते में डाला जा रहा है। पहले कुछ परियोजनाओं को अलाभप्रद कहा गया था अब उन्हें लाभप्रद कहा जा रहा है वह भी इसीलिये कि सामान्य राजस्व में बड़ी देर से लाभांश न देना पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भंजदेव]

रेलवे अभिसमय समिति ने कहा था कि सामान्य राजस्व से दिये गये अग्रिम धन अस्थायी ऋण समझे जायेंगे और उस पर ४ प्रतिशत का लाभांश दिया जायेगा तथा ऐसी राशि को भारित पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । ऐसा लगता है कि ऋण की इस छूट के कारण रेलवे प्रशासन व्यय के सम्बन्ध में बहुत बेपरवाह हो गया है । यह एक विकासमान अर्थव्यवस्था में व्यय बढ़ते ही हैं पर अब समय आ गया है कि एक समिति नियुक्त की जाय जो कार्य-मूल्यांकन, वैज्ञानिकन तथा परिचालन भार व भाड़े की दरों आदि पर विचार करे । साथ ही हमें रेलवे के राजस्व को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये ।

परिचालन सम्बन्धी कुशलता बढ़ाने, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने, यार्डों में वैगनों के अधिक देर तक पड़े न रहने देने आदि के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कुछ भी नहीं बताया । माननीय मंत्री ने बताया कि चालू व्यय में जो वृद्धि हुई है उस का कारण यह है कि रेलवे की आस्तियों की बढ़ती हुई मरम्मत आवश्यकताओं तथा दुर्घटनायें बचाने के लिये किये गये उपायों के कारण व्यय बढ़ा है । १९५८-५९ में आयव्ययक से अधिक व्यय करने पर भी राजस्व में १३·१ करोड़ की कमी रही । यह कमी यात्री यातायात व माल यातायात की कमी के कारण रही । इस का कारण माननीय मंत्री ने यह बताया कि रहन-सहन के व्यय की वृद्धि तथा रोजगार की स्थिति के कारण ऐसा हुआ । पर मैं समझता हूं कि इस का कारण कुछ और था । यात्रियों के लिये अधिक सुविधायें रखी गयीं फिर भी लोगों ने बसों से अधिक यात्रा की । थोड़ी दूर की यात्रा बसों द्वारा सस्ती पड़ती है अतः लोग बसों द्वारा यात्रा करते हैं । इसी प्रकार माल यातायात के सम्बन्ध में भी बसों से अधिकतर लोग माल भेजते हैं क्योंकि बसें माल को भेजने या मंगाने वाले के मकान तक पहुंचा देती हैं । यदि रेलवे भी बड़े-बड़े स्टेशनों पर माल घर तक पहुंचाने की सुविधा दें, तो लोग रेल द्वारा माल भेजें तथा इस से रेलवे के गोदामों में भी सामान की अधिक भीड़भाड़ नहीं रहेगी ।

बिना टिकट यात्रा रोक कर, चोरी तथा असावधानी आदि को रोकने के उपाय कर के रेलवे के राजस्व को बढ़ाने का सुझाव बहुत अच्छा है । रेलवे भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों में कहा गया था कि नवीन भाड़ा दर लागू करने के बाद एक वर्ष में रेलवे को वाहक के उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने होंगे । पर माननीय मंत्री का कहना है कि इस में कुछ समय लगेगा और सिफारिशों पर विचार हो रहा है ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि हम माल वहन करके विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे । पर हमारी भाड़ा दरें अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं । इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि ९ मदों की अधिसूचना निकाल दी गई है जिन पर विचार किया जायेगा । मैंगनीज़ की कच्ची धातु के वहन द्वारा हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं । अतः माननीय मंत्री को इस विषय पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिये ।

वर्ष १९५९-६० में २१·१९ करोड़ रुपये का शुद्ध आधिक्य दिखाया गया है पर इस में वह व्यय भी होगा जो वेतन आयोग का प्रतिवेदन आने के बाद होगा । अतः स्पष्ट है कि विकास कार्यों के लिये रेलवे भारत सरकार के राजस्व का सहारा लेगी । उधर इस्पात कारखानों के उत्पादन तथा कोयले के ढोने का उत्तरदायित्व भी रेलवे पर है । वर्ष १९५५-५६ में औद्योगिक विकास ८ प्रतिशत हुआ था और १९५७ में यह विकास केवल २ प्रतिशत रहा । अतः राजस्व में वृद्धि होने की कोई अधिक आशा नहीं है ।

रेलवे मंत्री ने बताया कि सड़क परिवहन के साथ रेलवे परिवहन की बड़ी सिद्धि है। साथ ही नौवहन की भी यही शिकायत है। अतः आवश्यकता यह है कि हम इन तीनों परिवहन साधनों से समुचित समन्वय करें ताकि तीसरी योजना में हमें ऐसी कोई कठिनाई न उठानी पड़े। पूर्वी और पश्चिमी घाट के निकट वाले स्थानों के लिये जहां रेल परिवहन की व्यवस्था करना कठिन है, नौवहन का विकास किया जाना चाहिये। यहां पर नौवहन रेल परिवहन से सस्ता पड़ेगा।

अब मैं कुछ स्थानीय समस्याओं को लेता हूं। जाजपुर क्योंझर रोड स्टेशन का महत्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहां से क्रोम और लोहे की कच्ची धातु को रेल द्वारा बाहर भेजा जाता है। आसपास के कुछ छोटे छोटे स्टेशनों का विकास किया गया है पर इस स्टेशन पर कोई सुधार नहीं किया गया है। फिर, इस स्टेशन पर कर्मचारियों की भी कमी है। उन्हें समय से अधिक काम करना पड़ता है। रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर आदि भी नहीं हैं। पानी की व्यवस्था भी इन क्वार्टरों में, जिन की संख्या केवल १४ है, नहीं हैं।

पुरी एक्सप्रेस गाड़ी उड़ीसा और कलकत्ता को मिलाती है। पर यह गाड़ी प्रायः देर से आती-जाती है। खड्गपुर में यह गाड़ी ४ घंटे तक रोक दी जाती है क्योंकि वहां कोयला यातायात को प्राथमिकता दी जाती है। टाटानगर एक्सप्रेस की बात लीजिये। पहले यहां एक सवारी गाड़ी चलती थी। उस गाड़ी से टाटानगर से दिल्ली पहुंचने में ३० घंटे लगते थे पर अब इस एक्सप्रेस गाड़ी से ३६ घंटे लगते हैं। इस का क्या कारण है, मैं नहीं जानता।

हमारे क्षेत्र में बादम पहार नाम का एक क्षेत्र है। बादम पहार से टाटानगर को मिलाने वाली कोई तेज गाड़ी नहीं है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस आवश्यकता की ओर भी ध्यान देंगे।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवेज़ का विषय किसी भी देश के वास्ते इतने महत्व का है कि उस के बारे में जितना भी कहा जाय थोड़ा है और यह बात खास तौर से हिन्दुस्तान के लिये लागू होती है जोकि एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश २००० मील लम्बा और २००० मील चौड़ा है और इस देश की लम्बाई चौड़ाई को देखते हुए और यहां के कृषि और अन्य व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिये और इस देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये हमारी रेलवेज़ की व्यवस्था उत्तम और माकूल होनी चाहिये क्योंकि रेलवेज़ के ऊपर ही हमारे देश की खुशहाली और देश का व्यापार और वाणिज्य निर्भर होता है।

हमारे देश में क़रीब ३५ हज़ार मील रेलवे लाइंस हैं और उस में क़रीब १२०० करोड़ रुपया लगा हुआ है और भारतीय रेलवेज़ में १३ लाख आदमी काम करते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि रेलवेज़ की व्यवस्था जिस ढंग से होनी चाहिये उस ढंग से नहीं हो रही है।

रेलवेज़ के व्यवसाय में हमारा करीब १२०० करोड़ रुपया लगा हुआ है और सन् १९५८-५९ में ग्रौस ट्रैफिक रैसीट्स से ३८० करोड़ रुपये की हम को प्राप्ति हुई है जबकि उसी साल का कुल खर्चा ३२२ करोड़ हुआ है जिस का कि मतलब यह निकला कि नैट रेवेन्यू हमारा ५८ करोड़ का हुआ जिस में से कि डिवीडेंट टु जनरल रेवेन्यूज़ ४५ करोड़ का चला जाता है और हमारी नैट सेविंग और प्राफिट १३ करोड़ का हुआ है। मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि १२०० करोड़ रुपया लगा कर हम को १३०० करोड़ रुपये का साल में मुनाफ़ा हो तो यह कहां तक वाजिब है? ४५०० करोड़ रुपया डिवीडेंट का दिया है और जो १२०० करोड़ रुपया लगा हुआ है उस में जो माल है सामान है जो लाइंस हैं इंजन हैं और वेगन्स हैं उन का डिटोरियेशन और टियर वियर तो कम

[सेठ अचल सिंह]

से कम ६ परसेंट होना चाहिये । इस हिसाब से ७२ करोड़ रुपये की बजाये ४५ करोड़ रुपये होना चाहिये था । यह जो हमारा ४५ करोड़ रुपये रक्खा है और १३ करोड़ रुपये जो दिखाये हैं उस का मतलब यह है कि मुश्किल से एक रुपये सैकड़ा हम को मिला है । अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि आजकल जो भी व्यापार किया जाय उस में कितना मुनाफ़ा होना चाहिये । अभी हम ने अमरीका और जापान आदि कई देशों से कर्ज़ लिये हैं, साढ़े ४ परसेंट और ५ परसेंट के ऊपर कर्ज़े लिये हैं और उन कर्ज़ों को ले कर हम यह जो १ परसेंट का फ़ायदा करते हैं, तो यह सौदा कहां तक उचित और वाजिब है ? इसलिये मैं इस मौक़े पर रेलवे मंत्री महोदय और उन के मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस रेलवेज़ के व्यवसाय को ठीक लाइंस पर चलाना चाहिये ।

अब मैं इसी सिलसिले में आप को बतलाऊं कि आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ी कम्पनियां रेलवेज़ के व्यवसाय को चलाती थीं और जिन का कि २५, २५ वर्ष का ठेका होता था, उन्हों ने इन्हीं रेलवेज़ के ज़रिये करोड़ों रुपये पैदा किये और जब बाद में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को तमाम रेलवेज़ सौंपी तो काफ़ी मुनाफ़ा उस वक्त तक उन्होंने रेलवेज़ से कमा लिया था । लेकिन आज हमारी यह स्थिति है कि हम इस १२ वर्ष के समय में कोई बहुत ज्यादा फ़ायदा नहीं कर सके हैं और हम एक तरह से लास पर ही काम कर रहे हैं । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह व्यवसाय बहुत नुक़सान में चल रहा है । हम को इस काम में काफ़ी सतर्क होना चाहिये और जो रुपया ख़र्च होता है उस को देखना चाहिये ताकि मुनासिब रुपया खर्च हो और इस से लाभ अधिक हो ।

दूसरी बात मैं यह बतलाना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि बम्बई से जो पशुओं का गोबर अपकंट्री को जाता है, रेलवेज़ ने ५० परसेंट डंग का किराया कम कर दिया है तो मेरा कहना है कि डंग तो जाये ही लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि हमारे हज़ारों जानवर मुर्रा नस्ल की भैंसें आदि जो बम्बई जाते हैं और एक साल तक दूध देने के बाद जिन को क़साईखानों में काट डाला जाता है, मैं चाहूंगा कि डंग तो रिआयती दर पर जायें ही, साथ ही ड्राई पशु जो बम्बई और कलकत्ते से अपकंट्री को जायें, उन में २५ परसेंट की रिआयत दे दी जाय ताकि हमारा वह धन बर्बाद न हो ।

वैसे तो रेलवे मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में इस की काफ़ी चर्चा की है कि लोकोमोटिव्स और बोगीज़ के विकास के बारे में हमारे देश के चित्तरंजन और टेलिको कारखानों ने काफ़ी काम करके दिखाया है । चित्तरंजन के कारखाने में क़रीब १६८ इंजन तैयार होते हैं जबकि टेलिको में १०० तैयार होते हैं । मेरा कहना है कि हम को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये इन कारखानों में दो, तीन शिफ्टों में काम चालू कर देना चाहिये और ऐसा करके हम अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकेंगे और उस हालत में हम को अमरीका और जापान आदि देशों से लोकोमोटिव्स या वैगन्स मंगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और दो, तीन शिफ्टों में काम शुरू कर देने से हम अपनी ज़रूरत लायक सामान यहां पर बनाने लायक़ हो सकेंगे और हम को विदेशों से कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही विदेशी माल यहां पर आ सकेगा और न ही हम को फ़ौरेन एक्सचेंज मनी देनी पड़ेगी ।

रेलवेज में क्लेम्स के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि आये दिन हम देखते हैं कि रेलवेज के ऊपर क्लेम्स किये जाते हैं और रेलवेज को करोड़ों रुपये के क्लेम्ज देने पड़ते हैं । मुझे किसी ने बताया है कि अब पहले से क्लेम्ज में कमी हुई है । यह संतोष का विषय है । लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अभी भी इस सम्बन्ध में बहुत कमी हो सकने की गुंजाइश है । मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि जितने भी क्लेम्स होते हैं तमाम के तमाम गलत और बोगस होते हैं लेकिन काफी तादाद ऐसे क्लेमों की रहती है जो कि बोगस होते हैं, बहुत सी बोगस बिल्टियां बना दी जाती हैं और बोगस बिल्टियों से माल

तो कोई और ले जाता है और उनका क्लेम रेलवेज़ को भुगतना पड़ता है। इस के अलावा यह भी होता है कि रेलवे के बाबुओं से मिल कर क्लेम ज्यादा करवा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय को क्लेम्स की तरफ ज़रा ध्यानपूर्वक देखना चाहिये और उस को इस की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिये कि रास्ते में से जो माल चोरी चला जाता है और निकाल लिया जाता है वह चोरी बंद हो। अब यह चीज मेरे नोटिस में आई है कि आगरे से भांडाई जो मालगाड़ी जाती है, माल के वैगनों में से लाखों रूपये के माल की चोरी कर ली जाती है और माल निकाल लिया जाता है और यह माल की चोरी रेलवे डिपार्टमेंट और पुलिस की वजह से होती है वरना यह नहीं हो सकता है कि गाड़ी ठहराई जाय और उस में से माल निकाल दिया जाय। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से नाजायज तौर पर जो वैगन्स गिराये जाते हैं लाखों रुपये के माल की जो चोरी होती है और जिस का कि खमियाजा रेलवेज को क्लेम्स की शक्ल में भुगतना पड़ता है, वह भुगतना न पड़े।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह टिकटलैस ट्रैविल के सम्बन्ध में है। इस के विषय में मेरे से पूर्व वक्ता महोदयों ने भी रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है। आज भी बहुत अधिक संख्या ऐसे लोगों की इस देश में है जो कि बिना टिकट लिये रेलगाड़ियों में सफर करते हैं और इस तरह रेलवेज को जो भारी नुकसान उठाना पड़ता है उसको कम करने और खत्म करने के लिये मंत्रालय को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये और जरूरी कदम उठाना चाहिये। हालांकि मजिस्ट्रेट्स और पुलिस तैनात रहती है कि वह बगैर टिकट चलने वालों को पकड़ें और उन को सजा दिलवायें लेकिन यह ठीक बात है कि आज भी लाखों की संख्या में आदमी बगैर टिकट के रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। करप्शन दोनों तरफ से होता है। रेलवे स्टाफ की तरफ से भी होता है और व्यापारियों और जनता की तरफ से भी होता है। जब तक यह नहीं रुकता हमारा सिर ऊंचा नहीं हो सकता। तो मेरा सुझाव है कि हम को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से और जनता से भी अपील करनी चाहिये कि यह करप्शन दूर हो। और अगर कोई करप्शन करता पकड़ा जाये तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिये। आज कल रेलवे कर्मचारी यह समझते हैं कि अगर हम पकड़े भी जायेंगे तो सिफारिश से या कोशिश से छूट जायेंगे। यह नहीं होना चाहिये। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में एक डिवीजनल मैनेजर होता था। उस से रेलवे स्टाफ कांपा करता था और सब ठीक से काम करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो गया है। हम को इस तरफ सख्ती से काम लेना चाहिये ताकि काम ठीक से हो सके।

मंत्री महोदय ने बतलाया कि आजकल सड़कों से माल ज्यादा ढ़ोया जाने लगा है और इस से रेलवे की आमदनी में कमी हो रही है। इस का कारण यह है कि ट्रकों से माल भेजने में व्यापारियों को अधिक सुविधा होती है। ट्रक वाला उन के घर से माल ले जाता है और जहां जरूरत होती है वहां पहुंचा देता है। इस सुभीते की वजह से अगर ट्रक वाला कुछ ज्यादा भाड़ा भी लेता है तो व्यापारी उसी से काम लेते हैं। अगर रेलवे की तरफ से भी व्यापारियों के लिये कुछ सुभीता किया जाये तो उन का रुझान रेलवे से माल भेजने की ओर हो सकता है।

अक्सर व्यापारियों को डिब्बे नहीं मिलते। अक्सर सौ डेढ़ सौ की दूरी के लिये डिब्बे नहीं मिलते इसलिये व्यापारी ट्रकों से माल भेजते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा कायदा बनाये जिस से व्यापारियों को सुविधा हो, उन को समय से वैगन्स आदि मिल जायें, तो उन का रुझान रेलवे की तरफ हो सकता है और रेलवे की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।

मंत्री महोदय ने बतलाया कि सन् १९५७ से उन्होंने तीन सौ रुपया तक वेतन वालों का पांच रुपया डिअरनैस एलाउन्स बढ़ा दिया है। लेकिन आज के गिरानी के जमाने में पांच रुपया क्या कीमत रखता है। मेरा सुझाव है कि जैसे पहले रेलवे अपने स्टाफ को गल्ला सस्ते भाव पर देती थी वैसे ही फिर

[सेठ अचल सिंह]

देना शुरू कर दे । मौसम के शुरू में रेलवे गल्ला स्टाक कर ले और अपने कर्मचारियों को उचित भाव पर देती रहे । इस से रेलवे को भी नुकसान नहीं होगा और कर्मचारियों को भी फायदा होगा ।

रेलवे में बहुत सी कमेटियां बनाई गई हैं । जैसे रेलवे यूजर्स कंसलटेटिव कमेटी, टाइम टेबिल कमेटी, पैसिंजर्स अमैनिटीज कमेटी, केटरिंग कमेटी आदि । जब ये कमेटियां बनी थीं उस समय तो उन्हों ने कुछ काम किया था लेकिन अब इन से कोई फायदा होता नहीं मालूम होता । मैं चाहूंगा कि इधर भी ध्यान दिया जाय ताकि ये कमेटियां अपना पूरा पूरा काम करें ।

अपनी बजट स्पीच में मंत्री महोदय ने फिगर्स दे कर बताया कि पिछले साल में कुछ एक्सीडेंट ज्यादा हुए हैं । और इन का खास कारण यह बतलाया कि स्टाफ लापरवाही करता है । अगर वह ठीक से काम करें तो एक्सीडेंट न हों । सिगनल्स वगैरह का इन्तिजाम इस तरह का है कि अगर स्टाफ ठीक से काम करे तो न तो कोई डिरेलमेंट हो और न एक्सीडेंट हों । लेकिन चूंकि वे लापरवाही से काम करते हैं और अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते इसलिये ये तमाम एक्सीडेंट्स होते हैं । इस में काफी नुकसान होता है, कम्पेन्सेशन देना पड़ता है आदमी मरते हैं और मैटीरियल का भी बहुत नुकसान होता है । मैं चाहूंगा कि इस तरफ काफी ध्यान दिया जाये जिस से कि एक्सीडेंट कम हों और जनता और सरकार का भी नुकसान कम हो ।

अब मैं आगरे के बारे में भी दो चार बातें कहना चाहता हूं । आगरा एक इंटरनेशनल शहर है और वहां हर हाल हजारों विदेशी यात्री आते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो बहुत देरी से आगरे आये ।

सेठ अचल सिंह : मैं जल्दी ही खत्म करता हूं ।

पिछली पंचवर्षीय योजना में आगरे के लिये एक सेंट्रल स्टेशन बनाने का प्रपोजल था लेकिन चूंकि रुपये की कमी थी इसलिये उस को ड्राप कर दिया गया । आगरे में आठ स्टेशन हैं और इसलिये बहुत खर्चा होता है । अगर एक सेंट्रल स्टेशन हो जाये तो कम खर्च में काम चल सकता है । लेकिन वह नहीं हो रहा है और खर्चा काफी हो रहा है । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर सेंट्रल स्टेशन नहीं बन सकता तो यह देखा जाये कि किस तरह से स्टेशन घटाये जा सकते हैं । आज वहां एक एक डेढ़-डेढ़ मील पर स्टेशन हैं जिस से खर्चा बहुत होता है । इस तरफ ध्यान देना जरूरी है ।

जगनेर में एक रेलवे क्रासिंग है जहां पर लोगों को बहुत देर तक रुका रहना पड़ता है और बड़ी तकलीफ होती है । वहां पर या तो ओवर ब्रिज बनाया जाय या कोई और रास्ता निकाला जाये ताकि लोगों को यह तकलीफ दूर हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें ।

सेठ अचल सिंह : हम वर्षों से देख रहे हैं कि मथुरा से हो कर गाड़ी दिल्ली से बयाना को जाती है । हम चाहते हैं कि एक गाड़ी दिल्ली से आगरा होती हुई बयाना को जाये । अगर यह अभी नहीं हो सकता तो जो शटल आगरे से बयाना को जाती है उस में थर्ड क्लास थ्रू बोगी की जगह पर कम्पोजिट बोगी लगायी जाये जिस में फर्स्ट और सैकिंड क्लास वाले भी जा सकें । इस समय केवल थर्ड क्लास की ही बोगी लगायी जाती है । मैं चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बस करें ।

सेठ अचल सिंह : मैं एक बात और कहना चाहता हूं । लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है । आगरे से लखनऊ जाने के लिये लोगों को सवा दो सौ मील का फासला तै करने के लिये १२ घंटे लगते हैं । जब ट इम टेबिल बनाया जाता है तो इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाये ताकि आगरे से लखनऊ जाने में लोगों को कम समय लगे ।

†**श्री इलयापेरुमाल** (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित--जातियां) मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं । रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा तथा उन के छात्रावास के लिये उन्हों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है । यात्रियों पर कोई अतिरिक्त कर लगाये बिना उन्हों ने लाभ का आय व्ययक प्रस्तुत किया है । खुद माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों तथा प्रशासन का उल्लेख किया । मुझे बताया गया है कि पारसल क्लर्क स्टेशन मास्टर से अधिक वेतन पाते हैं । अतः ऐसे मामलों में जहां अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी से अधिक वेतन पाते हैं वहां नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है ।

मद्रास राज्य के बारे में मुझे पांच बातें कहनी हैं । एक, ताम्बरम्-बिल्लुपुरम् के बीच बिजली की गाड़ी चलाने की योजना; दो, कल्लाकुरीची-तिरुवन्नामलाई और वन्देवाश होकर चिन्नासलेम से चिंगलपट तक एक नई लाइन का निर्माण; तीन, होसुर होकर सलेम से बंगलौर तक एक नयी लाइन का निर्माण; चार, विरुदाचलम् से सलेम तक दोहरी लाइन बनाना और पांच स्टेशनों को नया रूप प्रदान करना ।

ताम्बरम्-विल्लीपुरम के बीच बिजली से गाड़ी चलाने की योजना १९४७ के पूर्व तैयार की गई थी । रेलवे बोर्ड तथा योजना आयोग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया । उस समय रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे । उन्हों ने १९५५ के अपने आयव्ययक भाषण में कहा था कि यह योजना पहली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जायेगी और १९५८ में तैयार हो जायेगी । मद्रास बिजली बोर्ड ने भी इस कार्य हेतु बिजली देने की सहमति देदी थी । रेलवे बोर्ड ने डी०सी० बिजली से रेल चलाने का निश्चय किया । पर अचानक ही इस कार्य को रोक दिया गया और ए० सी० बिजली से रेल चलाने का निश्चय किया गया । इस योजना के प्रथम स्तर के लिये सरकार ने १८ लाख रुपये स्वीकृत किये । यह राशि एगमोरे से ताम्बरम् तक बिजली से गाड़ी चलाने के लिये थी । बाद में मेन लाइन के विद्युतीकरण के लिये सरकार ने ३५० लाख की राशि स्वीकृत की । काम समाप्त करने की समय सीमा १९५८ निर्धारित कर दी गयी । वैसे मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने इस योजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है । पर जब १९५८ अन्तिम समय सीमा थी तो अब तक काम पूर्ण क्यों नहीं कराया गया ।

अब मैं चिन्नासलेम से चिंगलपट वाली लाइन की बात लेता हूं । यह लाइन अधिक जिलों को सम्बद्ध करेगी । १९३९ में इस लाइन के निर्माण के लिये मद्रास राज्य ने सिफारिश की थी । बाद में १९४९ में फिर मद्रास राज्य ने उसके निर्माण के लिये सिफारिश की । १९५४-५५ में इस लाइन का यातायात सर्वेक्षण व इन्जीनियरिंग सर्वेक्षण भी हो गया । १९५५ में माननीय मंत्री ने अपने आय व्ययक भाषण में कहा था कि दूसरी योजना में यह लाइन सम्मिलित की जायेगी । तिरुवेली तथा सलेम को भी यह लाइन मिलायेगी । अतः यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है । माननीय मंत्री इसकी ओर अवश्य ध्यान दें ।

सलेम-बंगलौर लाइन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पहले होसुर और मोरापुर के बीच लाइन थी जिसे दूसरे महायुद्ध काल में उखाड़ दिया गया था । उसके बाद देश के अन्य भागों में उखाड़ी गयी लाइनें फिर से लगा दी गयीं पर इस लाइन की ओर अभी तक भी ध्यान नहीं दिया गया है । इस लाइन के स्टेशन भवन, यार्ड स्टेशन तथा अन्य इमारतें अभी अच्छी स्थिति में हैं । केवल लाइन बिछाने की आवश्यकता है । यह लाइन मैसूर तथा मद्रास राज्य को सम्बद्ध करेगी । करीब ३० या ४० मील तक लाइन बिछाना पड़ेगा । अतः माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इलयापेरुमाल]

उसके बाद विरुदाचलम् से सलेम की लाइन का प्रश्न है । यह लाइन निवेली और सलेम के बीच में है । सलेम में इस्पात कारखाने तथा अल्युमीनियम कारखाने के खोले जाने की संभावना है । इटली के विशेषज्ञों ने भी इस सम्बन्ध में अपनी राय दी है कि ये कारखाने लाभप्रद होंगे । अतः इस लाइन के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । वेदलूर, कडलूर व विरुदाचलम के स्टेशनों को नया बनाया जाना चाहिये । यहां स्टेशन बहुत छोटा है । यह हिन्दुओं का तीर्थस्थान है और प्रति वर्ष ज्योति नामक पर्व पर मेले में भाग लेने के लिये लाखों व्यक्ति यहां आते हैं । अतः स्टेशन को बड़ा किया जाना चाहिए ।

रामेश्वरम के स्टेशन पर कोई जलपान गृह नहीं है । पासबान स्टेशन पर कोई विश्रामालय नहीं है यहां स्टेशन पर बिजली भी नहीं है । मेरा निवेदन है कि इन बातों पर माननीय मंत्री ध्यान दें । अन्यथा समाज विरोधी लोगों को, जो कहते हैं कि दक्षिण भारत की अवहेलना की जा रही है, आलोचना करने का और भी अवसर मिलेगा ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने १९५९-६० का जो रेलवे बजट पेश किया है, उस से रेलवे मंत्रालय के कार्य और विशेषकर भारत में रेलवे के विकास का अनुमान और अन्दाजा लगाया जा सकता है । वैसे तो जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, वह तो सारे देश में हर जगह व्यापक रूप धारण किये हुए है, लेकिन अगर देखा जाय, तो रेलवे के विषय में लोग चेन खींचने वालों की शिकायत करते हैं या टिकेट-कलेक्टर वगैरह के केसिज़ बहुत पकड़े जाते हैं, जो कि रुपया दो रुपया ले कर अपने बच्चों की हिफ़ाज़त करते हैं, लेकिन जहां तक लाख, दो लाख, छः लाख, दस लाख के केसिज़ का सम्बन्ध है, उन पर न तो विचार किया जाता है और अगर कभी विचार हुआ भी, तो पता नहीं चल पाता है कि वह मामला कब ड्राप हो जाता है । मैं इन तमाम शिकायतों के ब्योरे में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि शिकायतें बहुत हैं । अगर शिकायतें हैं, तो उन के कारणों को ढूंढना होगा, जो कमियां हैं, उन की वजह तलाश करनी होगी, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं । जहां तक रेलवे की खराबियों और कमियों का ताल्लुक है, महात्मा गांधी ने भी भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व उन के बारे में कुछ लिखा है । उन्होंने रेलवे में पाई जाने वाली भीड़ और गन्दगी के बारे में काफी प्रकाश डाला है । भीड़ और गन्दगी के अलावा हमारी कार्य-क्षमता में ह्रास होता जा रहा है । पहले जहां रेल के डिब्बों में भीड़ होती थी, वहां अब लोग रेलगाड़ियों के ऊपर भी चलते हैं । अगर माननीय मंत्री महोदय कभी भी किसी पर्व के समय बड़े बड़े तीर्थस्थानों में रेलगाड़ियों की दशा देखते, तो उन को पता चल जाता कि रेलों में किस प्रकार की भीड़ होती है और यात्रियों को केवल डंडे पकड़ कर ही नहीं बल्कि गाड़ी के ऊपर बैठ कर सफर करना पड़ता है और हालत यह है कि अनेक व्यक्तियों को प्रति दिन अपनी जानें देनी पड़ती हैं । एक आज़ाद मुल्क के रूप में हमारी उम्र बारह बरस होने जा रही है । इन बारह बरसों में हमारी मुसीबतें, दिक्कतें और रेलवे में होने वाली असुविधायें कम होनी चाहिए थीं । मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि वे मुसीबतें, दिक्कतें और असुविधायें दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं । यह बात सही है कि यात्रियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है । आज हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित है कि इन बढ़ती हुई मुसीबतों को किस तरह से दूर किया जाय । अब देखना यह है कि आगे के बरसों में हम को किस तरह काम करना है, जिस से हमारी मुसीबतें और दिक्कतें कुछ कम हो सकें ।

जिस समय हम गुलाम थे, उस वक्त जो लोग रेलवे में या प्रशासन के दूसरे अंगों में काम करते थे, उन की मनोवृत्ति—उन की ज़हनियत—क्या थी और आज शासन में काम करने वाले लोगों—हुकमत की कुरसियों पर बैठने वाले लोगों की क्या मनोवृत्ति है ? पहले अगर कोई व्यक्ति रेलवे बोर्ड

में होता या गवर्नर होता—जैसे नवाब आफ़ छतारी थे—तो उस का उद्देश्य यह होता कि अपने स्थान पर, या अपने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर रेलवे या सड़क ले जानी है और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रैज़िडेंट होता, तो उस का उद्देश्य यह होता कि अपने गांव तक सड़क ले जानी है। हूबहू वही हालत आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आज हम देखते हैं कि इलाहाबाद स्टेशन को गिराने के लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। क्यों ? वह इतना मज़बूत है कि टूटने में नहीं आता। दूसरी तरफ वहां पर नये स्टेशन के निर्माण के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। ऐसे मुल्क में, जो कि दरिद्र है, जिस के निवासियों को भर पेट भोजन नहीं मिलता हो उस मुल्क में इस प्रकार के स्टेशन से, जिस में उत्पादन नहीं होता है—कपड़ा और अन्न वगैरह पैदा नहीं हो सकता है, उस में इलाहाबाद शहर के लिये एक बड़ा शानदार स्टेशन बनना इसलिये जरूरी है क्योंकि हमारे शानदार प्रधान मंत्री उस शहर के हैं और जिस प्रधान मंत्री की कृपा से अगर कोई रेलवे मंत्री हो जाये, तो फिर वहां पर रेलवे स्टेशन बनाना पहला काम हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : वह अब नहीं हैं।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : अब नहीं हैं, लेकिन जब रेलवे स्टेशन बनना शुरू हुआ था, उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री ही रेलवे मिनिस्टर थे। शायद वह रेलवे स्टेशन इसलिए बनाया गया हो कि शानदार प्रधान मंत्री उस शानदार स्टेशन पर आयेंगे, लेकिन रेलवे मंत्री शायद भूल गये थे कि श्री जवाहरलाल अब गगनबिहारी लाल हैं। उन को अब रेलवे स्टेशन पर न उतरना है और न चढ़ना है—वह तो हवा में हवाई जहाज़ से आते जाते हैं।

मैं कह रहा था कि ऐसे मौके पर, जब कि देश में भुखमरी हो, मुल्क में ग़रीबी हो, अन्न की कमी हो, जनता की सम्पत्ति को बहुत ही सोच समझ कर व्यय करना चाहिए। और अगर हमारा काम इस तरह से चला, तो हम न देश का विकास कर सकेंगे और न हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे। हां, अलबत्ता चन्द मुट्ठी भर लोगों का विकास हो सकता है और हो भी रहा है। अभी सवाल उठा कि आजकल इलाहाबाद के रेलवे मिनिस्टर नहीं हैं। यह बात सही है। लेकिन आज अगर इलाहाबाद के नहीं हैं, तो बिहार के हैं। बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि जितने ठेके दिये जा रहे हैं, सब के सब बिहार के लोगों को, आरा और पटना के निवासियों को दिये जा रहे हैं। बाहर से—बिहार से इम्पोर्ट कर के लोगों को उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है। कानपुर में अभी एक ठेका दिया जा रहा है।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : हर एक प्राविन्स का आयेगा।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री शिवपूजन राम को, जो आरा के रहने वाले हैं, कानपुर शहर में फलों का ठेका दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह बात किस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ इस लिए ठेका उन को दिया गया है कि वह बिहार के आदमी हैं ?

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : दूसरा कारण यह भी होता है कि जो चुनाव में ज्यादा पैसा देता है, बाद में उस को किसी प्रकार लाभ पहुंचाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की तवज्जह इस तरफ़ दिलाऊंगा कि जब तक कोई ख़ास इत्तिला न हो, सबूत न हो, ऐसे इल्ज़ामात किसी मिनिस्टर या आफ़िसर के खिलाफ़ लगाना मुनासिब नहीं है। हर एक मेम्बर को अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास करना चाहिए। क्या माननीय सदस्य के पास ऐसे सबूत हैं कि उन को इसलिए ठेका दिया गया कि वह बिहार के आदमी हैं ? उन को

[उपाध्यक्ष महोदय]

मालूम नहीं है कि ठेकेदारों से टेन्डर लिये गये या नहीं और किस तरह से ठेका दिया गया। इस हालत में ऐसे इल्ज़ाम लगाना, जो कि सारे मुल्क में जायेंगे, मुनासिब नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं इस बात का सबूत दे सकता हूं कि जिन ठेकेदारों ने कम कीमत के टेन्डर दिये, उन को ठेका नहीं दिया गया और बड़ा टेन्डर देने वाले को दिया गया। मैं उन ठेकेदारों के नाम बता सकता हूं। अगर आप इस तरह का सबूत चाहेंगे, तो मैं हाउस में और हाउस के बाहर इस का सबूत दे सकता हूं। अगर हमारी बात ग़लत है, तो माननीय मंत्री महोदय को, या अध्यक्ष महोदय या उपाध्यक्ष महोदय को हमारे पर केस चलाने का पूरा हक है। मैं नाम बता सकता हूं। इस विषय में पार्लियामेंट के एक मेम्बर की रीकमेंडेशन जेनरल मैनेजर के यहां देखी जा सकती है। मैं कोई अ.काशी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास मालूमात हैं, जानकारी है और हमारे पास उन घटनाओं के रिकार्ड हैं। उस के आधार पर मैं ने यह बात कही है और यह बात मैं बड़ी मज़बूती के साथ कह रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात सही है और अगर यह ग़लत है, तो वह न्यायालय में जा कर इन्साफ़ ले सकते हैं। वह भीतर भी ले सकते हैं और बाहर भी ले सकते हैं—जहां उन की तबियत हो, वहां ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर वह न्यायालय में जा सकते होते, तो मैं माननीय सदस्य को कभी बन्द न करता।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। राम बाग़ रेलवे स्टेशन इलाहाबाद की वह बात है। उस का जबकि १०,००० रुपया कम से कम माहवारी किराया मिलना चाहिये था सिर्फ एक रुपया माहवारी किराया पर वह पूरा बड़ा हिस्सा उठा दिया गया है। इस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस स्टेशन का किराया कम से कम १०,००० रुपया माहवार प्राप्त किया जा सकता है उस को सिर्फ़ एक रुपये में पूरे का पूरा उठाया दिया जाय। श्री खोसला साहब को दे दिया जाय, केस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाय, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस एक रुपये पर ही क्यों दिया गया है। क्या इस का एक ही रुपया किराया हो सकता है। यही नहीं, इलाहाबाद के नये स्टेशन का जब ठेका दिया गया और उस के लिये टेंडर आये, हमारे पास सबूत है, उन टेंडर्स में बहुत ही हक़तलफ़ी की गई है। मैं फलों के ठेके का ज़िक्र कर रहा था। श्री लक्ष्मी नारायण निवासी आरा जिला, बिहार को यह ठेका दिया गया मुगलसराय में। यह बात जब मैं मुगलसराय में था, बताई गई थी। यह मुनासिब बात नहीं है। उन्हें किस आधार पर ठेका दिया है और क्यों नहीं जो पहले का बनारस का ठेकेदार था उस को किस आधार पर ठेका नहीं दिया गया, यह मैं जानना चाहता हूं। लेकिन होता यह है कि एक दूसरे प्रान्त से आय हुए एक नये व्यक्ति को ठेका दे दिया जाता है . . . .

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : संभवतया माननीय सदस्य बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : उन का कहना है कि उन के पास सबूत है। मैं ने उन्हें कई बार चेतावनी दी है। वह कहते हैं कि वह जो कुछ कह रहे हैं उस के लिय वह जिम्मेवार हैं।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

*   *   *   *

मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम न ले कर के नीति सम्बन्धी बात करता हूं। मुझे केवल इतना इस सम्बन्ध में कहना है कि अगर हम को अपने देश का विकास करना है, अगर हम को रेलों में यात्रा करने वालों को सुविधायें प्रदान करनी हैं तो जिस तरह से बिना टिकट चलने वाले आदमियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है उन लोगों के खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई की जाय, उन के खिलाफ भी उसी तरह से सख्त कार्रवाई होनी चाहिये जोकि बड़े बड़े माल का घोटाला करते हैं, जो लाखों रुपये का गबन करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से दरख्वास्त करता हूं कि वह जांच करें, इस बात की खोज करें और देखें कि किस तरह से काम ठीक तरह से हो सकता है। यह उन की जिम्मेदारी है क्योंकि वह रेलवे मंत्री हैं और साथ ही साथ इसलिये भी यह उन की जिम्मेदारी है क्योंकि वह हमारे मुल्क के एक बुजुर्ग साथी हैं। आज हमारा मुल्क आज़ाद है और मुल्क के विकास की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक पर है। कोई भी काम किसी को बुरा भला कहने से नहीं हो सकता है। जब अंग्रेज़ यहां थ तो हर काम के लिये हम उन को ही कोसा करते थे लेकिन अंग्रेज़ों की हकूमत खत्म हो जाने के बाद हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है। एक तो हमें बुराई के खिलाफ लड़ना हैं, अन्याय का प्रतिकार करना है और मुल्क का निर्माण करना है, मुल्क की तरक्की करनी है। इस ओर हमें अग्रसर होना पड़ेगा। वही दल, वही पार्टी और वही व्यक्ति मुल्क को आगे बढ़ा सकता है जो दो पैरों पर खड़ा हो, जो दो कदमों पर चले। एक तो हमें बुराई को मिटाना है और दूसरे मुल्क की रचना करनी है। मैं आप को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि हमारा काम सिर्फ़ कोसना नहीं है, हमारे ऊपर भी उसी तरह से जिम्मेवारी आती है जिस तरह से आप के ऊपर आती है। आप भले ही बहुमत में हों और हम भले ही अल्पमत से हों और आप चाहे शासनारूढ़ हों और हम चाहे विरोधी दल में हों, आप की संख्या चाहे अधिक हो और हमारी संख्या चाहे कम हो, लेकिन हम जो सुझाव देते हैं वे इसलिये देते हैं कि हमारे दिलों में भी टीस उठती है, हमारे दिलों में भी जलन पैदा होती है और देश की आज़ादी लाने में हम किसी से पीछे नहीं रहे, देश को आज़ाद कराने में जिस तरह से लोग ट्रेज़री बैंचिज पर गर्व कर सकते हैं, उसी तरह से विरोधी दलों में बैठने वाले लोग भी गर्व करते हैं। विरोधी दल वालों ने भी देश को आज़ाद कराने के लिये अपना खून बहाया है, उन्हों ने भी अपना पसीना बहाया है। इसलिये मैं ने जो कुछ भी कहा है वह किसी बुरी भावना से नहीं कहा है उस से किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ने वे बातें किसी को अपमानित करने के लिये नहीं कही हैं और न ही मैं किसी को अपमानित करना चाहता हूं। मैं देश का विकास चाहता हूं, देश की तरक्की चाहता हूं और चाहता हूं कि मुल्क के अन्दर जो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस में कमी हो।

अब मैं अधिक न कह कर के केवल उस क्षेत्र की बाबत कुछ कहना चाहूंगा जहां से मैं निर्वाचित हो कर आया हूं। मैं ने पहले बताया कि अलाहाबाद स्टेशन पर, जोकि एक मज़बूत स्टेशन था, ८० लाख के करीब रुपया खर्च किया गया। अगर वहां पर उस रुपये को खर्च न कर के उसे सारे सूबे में खर्च किया जाता तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। आज भी वहां पर यात्रियों को बरसात में भीगते हुए टिकट लेने पड़ते हैं, कड़ाके की सर्दी में उन के लिये बैठने का कोई इंतिज़ाम नहीं है और

†मूल अंग्रेज़ी में

***ये शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाल दिये गये।

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

अगर उन के लिये कुछ किया गया होता तो कहीं ज्यादा अच्छा रहता। हमारे वहां पर एक छोटा सा स्टेशन है जिस का नाम पाता है। वहां पर टेलिफोन नहीं है, शैड नहीं है, यह बात जान कर आप को ताज्जुब होगा। इस तरह के एक नहीं, अनकों स्टेशन हैं जैसे इकदिल, बलरई, साम्दों इत्यादि। उन स्टेशनों पर टीन डलवाई जाय तो यात्रियों को सुविधा मिल सकती है। जब गाड़ी आती है तब हजारों और सैकड़ों की तादाद में लोगों को टिकट लेना होता है और टिकट देना तब शुरू किया जाता है जब गाड़ी आ पहुंचती है और बाद में कह दिया जाता है कि तुम बैठ जाओ, तुम को यहां से निकाल दिया जायगा। इस का नतीजा यह होता है कि एक तो यात्री बिना टिकट सफर करते हैं और दूसरे रेलवे की जो आमदनी है वह गिरती है। साथ ही साथ लोगों के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ता है और जब एक बार आदमी गलती करता है तो फिर आगे के लिये वह गलती उस के खून में उतर आती है और बराबर इस तरह की वह गलती करता रहता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से यमुना, चम्बल और क्वारी नदियों के ऊपर पुल बना कर के और रेलवे लाइन सीधे भिंड से जो आती है उस को इटावा और फर्रुखाबाद से गंगाजी का पुल बना कर के हरदोई तक लाया जाय तो दो सूबों का मिलन हो सकता है। साथ ही जिस क्षेत्र के अन्दर डाकुओं की गम्भीर समस्या है, जहां पर हजारों आदमियों की जानें जाती हैं, और जहां पर लोग अपने घरों में चैन से नहीं बैठ सकते हैं, वहां पर यातायात के साधन सुलभ होने पर लोगों में खुशहाली फैलेगी और जीवन की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस तरफ आप का ध्यान दिला कर के मैं चाहूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस रेलवे लाइन को ले कर इस इलाके को सुरक्षित किया जाये और वहां के लोगों के अन्दर यह भावना पैदा की जाय कि वे एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां पर उन को भी जिन्दा रहने का पूरा पूरा हक है।

†**श्री मि० सू० मूर्ति** (गोनूगोंडा) : मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा आय-व्ययक प्रस्तुत किया जो समस्त सभा को स्वीकार्य है। उन्हों ने बताया कि रेलवे यंत्रों आदि में उन्हों ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है परन्तु रेल और सड़क की प्रतिद्वंद्विता के कारण माल यातायात में बहुत कमी हो गई है और वह परिवहन तथा संचार मंत्रालय से इस बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह कृपा कर के सड़क यातायात में हस्तक्षप न करें क्योंकि उस से रेल स्टेशनों से दूर पड़ने वाले स्थानों के व्यक्तियों की आवश्यकतायें पूरी होती हैं।

मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इतने वर्षों से दक्षिण की उपेक्षा की जा रही है और एक भी नई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है। हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि आन्ध्र प्रदेश एक अलग खण्ड बनाया जाय क्योंकि ऐसा होता है कि नई रेलवे लाइनों के बारे में हमें तीन खंडों, दक्षिण पूर्व खण्ड, दक्षिण खण्ड तथा मध्य खण्ड के पास जाना पड़ता है और तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसीलिये आन्ध्र प्रदेश का अलग खण्ड बनाने की हम मांग कर रहे हैं जिस से हमारी बातों पर उचित रूप से विचार किया जा सके। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद से बाल्टेयर, हैदराबाद से मद्रास तथा हैदराबाद से बम्बई के लिये नई रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये क्योंकि हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश की राजधानी है। साथ ही इस सेक्शन पर तेज रफ्तार की भी और गाड़ियां चलाई जानी चाहियें।

हमारा यह भी कहना है कि काज़ीपेट, भद्राचलम तथा कोठागुडियम खानों को मिलाने वाली वाल्टेयर-हैदराबाद रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये। मुझे इस की प्रसन्नता है कि रेलवे मंत्रालय

†मूल अंग्रजी में

ने बैलाडिला से कोत्तावलासा तक नई रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय कर लिया है परन्तु यदि वाल्टेयर-हैदराबाद रेलवे लाइन पर शीघ्र निर्णय कर लिया जाये तो कोयला, मैंगानीज़, लौह अयस्क, अभ्रक तथा चूने की खानों तक रेलवे लाइन पहुंच जायेगी ।

मेरी रेलवे मंत्रालय से यह भी प्रार्थना है कि काज़ीपेट को निज़ामाबाद से और मछरेला से हैदराबाद को मिलाने वाली रेलवे लाइन शीघ्र बनाई जानी चाहिये । इस के अतिरिक्त भद्राचलम रोड और डोरनाकाल की रेलवे लाइन को दोहरी बना दिया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें । मैं ने माननीय सदस्य श्री भदौरिया को चेतावनी दी थी कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो यहां उपस्थित न हों, निन्दाजनक बातें नहीं कही जानी चाहिये । नियम ३५३ में स्पष्टतया दिया है कि :

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिस से कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विशेष जांच कर सकें ।"

मैं समझता हूं कि कुछ अनावश्यक और अपमानजनक बातें कही गई हैं; अतः मेरा यह अनुदेश है कि उन के भाषण में से वे अंश, जहां किसी खास मंत्री या अधिकारी की ओर निर्देश किया गया है, निकाल दिये जायें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २६ फरवरी, १९५९/७ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २५ फरवरी, १६५६]
६ फाल्गुन, १८८० (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१४६७—६३
तारांकित प्रश्न संख्या		
६२२	सैकण्डरी स्कूलों का पुनगठन	१४६७–६८
६२३	अन्दमान निकोबार द्वीप समूह की परामर्शदात्री परिषद्	१४६६–७०
६२४	कोयला उत्पादन	१४७०–७१
६२५	'राकेट' छोड़ना	१४७१–७२
६२६	विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध	१४७२—७४
६२७	टैगोर का १०० वां जन्मोत्सव	१४७४—७७
६२८	हिन्दू धार्मिक संस्थाओं से आय	१४७७—७६
६२६	उच्च प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर	१४७६—८२
६३०	विधि आयोग का पुनर्गठन	१४८२—८५
६३२	भारतीय विधि संस्था	१४८५–८६
६३३	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	१४८६—८८
६३४	इस्पात समानीकरण निधि	१४८८—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
४	चीनी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	१४६१—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१४६३—१५४४
तारांकित प्रश्न संख्या		
६३१	प्रतिरक्षा सामान में हानि	१४६३
६३५	निर्धनों को कानूनी सहायता	१४६३–६४
६३६	राजूर (बम्बई राज्य) में कोयले की खान	१४६४
६३७	आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड	१४६४–६५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर––(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

६३८	मद्य निषेध	१४९५
६३९	पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत धातुओं का सर्वेक्षण .	१४९५
६४०	समानीकरण निधि के अधीन इस्पात के आयातकर्ताओं को सहायता .	१४९५–९६
६४१	ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थी	१४९६
६४२	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण . .	१४९७
६४३	सुतन्तिरा तमिल नाड सम्मेलन .	१४९७
६४४	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप	१४९७
६४५	त्रिपुरा में बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति	१४९८
६४६	इंडस्ट्रियल स्क्रैप (रद्दी लोहा) .	१४९८–९९
६४७	अग्रिम बीमा योजना	१४९९
६४८	अभ्रक का सर्वेक्षण	१४९९
६४९	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति . .	१४९९–१५००
६५०	लोक संगीत .	१५००
६५१	हिन्दी विश्वकोष . .	१५००–०१
६५२	संचयी सावधि निक्षेप योजना .	१५०१
६५३	सीमा विवाद . .	१५०१–०२
६५४	समुद्र में मछली मारने पर झगड़ा .	१५०२
६५५	श्री भाऊराव गवारे पर आक्रमण .	१५०२–०३
६५६	लोहे और इस्पात की खरीद . . .	१५०३
६५७	हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड की अंश पूंजी में अंशदान	१५०३–०४
६५८	उड़ीसा सरकार तथा हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड	१५०४
६५९	हिन्द महासागर के तल के सम्बन्ध में अनुसंधान	१५०४–०५
६६०	जलियां वाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक .	१५०५
६६१	आयकर रसीदों की लेखा परीक्षा .	१५०५–०६
६६२	राज्यों में हिन्दी	१५०६

अतारांकित

प्रश्न संख्या

८४२	भिलाई में रूसी इंजीनियर . . .	१५०६–०७
८४३	आयकर सम्बन्धी बकाया राशियां	१५०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित	
प्रश्न संख्या	
८४४ सिक्कों का विमुद्रीकरण	१५०७—०
८४५ पिंजोर गार्डन (पंजाब)	१५०८
८४६ पंजाब के आदिम जातीय तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	१५०८
८४७ दिल्ली में खजाने	१५०८—०९
८४८ दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत् संसाधन	१५०९
८४९ प्रतिरक्षा संस्थानों में अभिज्ञात यूनियनें	१५०९
८५० आयुध कारखानों में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१५०९—१०
८५१ आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन	१५१०
८५२ मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा कर्मचारियों के वेतन स्तर का नियत किया जाना	१५१०—११
८५३ बम्बई में आदिम जातीय विद्यार्थियों के लिये संस्थायें	१५११
८५४ बम्बई में 'राज्य-गृह'	१५११—१२
८५५ पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान	१५१२
८५६ भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद्	१५१२—१३
८५७ दार्जिलिंग में विदेशी	१५१३
८५८ पंजाब में तेल सर्वेक्षण	१५१३
८५९ छात्रवृत्तियां	१५१३—१४
८६० आदमपुर में बाढ़ नियन्त्रण योजनायें	१५१४
८६१ पंजाब के लिये लोहा-इस्पात और कोयला	१५१४
८६२ सरकारी स्कूलों में भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्तियां	१५१४
८६३ मिली जुली बस्तियां	१५१५
८६४ हरिजन कल्याण	१५१५
८६५ विदेशी मुद्रा	१५१५—१६
८६६ राज्यों में केन्द्रीय करों और शुल्क की वसूली	१५१६
८६७ बम्बई राज्य में एक इस्पात सन्यन्त्र की स्थापना	१५१६
८६८ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षण	१५१७
८६९ पंजाब प्रादेशिक समितियों की बैठकें	१५१७
८७० विकलांग बच्चों के लिये आदर्श स्कूल	१५१७
८७१ सीमा-शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति	१५१८
८७२ केरल जेनमीकरम भुगतान (उन्मूलन) विधेयक	१५१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८७३	इस्पात का एकसम मूल्य .	१५१८
८७४	उच्च न्यायालयों में दीर्घावकाश .	१५१८–१९
८७५	दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये संयुक्त भारतीय प्रशासन सेवा पदाली	१५१९
८७६	इस्पात का आयात .	१५१९
८७७	केरल को प्रविधिक शिक्षा सम्बन्धी अनुदान .	१५२०
८७८	सांस्कृतिक शिष्टमण्डल .	१५२०
८७९	भारत का राज्य बैंक	१५२१
८८०	केन्द्रीय रबड़ गवेषणा संस्था .	१५२१
८८१	मैट्रिक के बाद अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियां	१५२१–२२
८८२	एम० ई० एस० कन्सट्रक्शन कमेटी .	१५२२
८८३	दैवी आपत्तियों के लिये निधि .	१५२२
८८४	मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स का विस्तार कार्यक्रम	१५२२–२३
८८५	विदेशों में भारतीय छात्र	१५२३
८८६	निवृत्ति-वेतन के मामले .	१५२३
८८७	विदेशों में भारतीय अभिलेख .	१५२४
८८८	विदेशों में यात्रा के लिये विदेशी मुद्रायें	१५२४
८८९	नेवेली और वर्कलाई में लिग्नाइट .	१५२४–२५
८९०	वायुसेना के असैनिक कर्मचारी	१५२५
८९१	भारत प्रशासन सेवा स्कूल	१५२५–२६
८९२	दिल्ली की झोंपड़ियों का गिराया जाना . . .	१५२६–२७
८९३	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में राज्यों से जानकारी	१५२७
८९४	प्रशासनिक मंत्रालयों की वित्तीय शक्तियां .	१५२७–२८
८९५	मैसूर का केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलेक्टरेट	१५२८
८९६	मनीपुर जेल के बन्दी	१५२८–२९
८९७	छुट्टी सम्बन्धी नियम . .	१५२९
८९८	उच्चतम न्यायालय और कलकत्ते के उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले	१५२९
८९९	मनीपुर का उत्पादन-शुल्क विभाग	१५२९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६००	भारतीय मुद्राओं का पकड़ा जाना	१५३०
६०१	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कृषक	१५३०—३१
६०२	दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन	१५३१
६०३	खरादों की खरीद	१५३१
६०४	आन्ध्र प्रदेश में ग्राम विश्वविद्यालय	१५३२
६०५	अस्वास्थकारी स्थान भत्ता	१५३२
६०६	अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये गोष्ठियां	१५३२—३३
६०७	हिमाचल प्रदेश में ऋण सहायता अधिनियम का लागू होना	१५३३
६०८	छात्रवृत्तियां	१५३३
६०९	लौह अयस्क निक्षेप	१५३३
६१०	विदेशों में भारतीय छात्र	१५३४
६११	मोटरकारें और मोटर साइकिलें	१५३४
६१२	विशेष प्रकार का इस्पात	१५३४—३५
६१३	भारत दर्शन यात्रा	१५३५
६१४	तरल सोने का चोरी-छिपे ले जाया जाना	१५३५
६१५	दिल्ली में पानी की कमी	१५३६
६१६	अगरताला में आग	१५३६
६१७	आयुध कोर के पदाधिकारियों का सम्मेलन	१५३६—३७
६१८	विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन	१५३७
६१९	हिमाचल प्रदेश में पंचायत-घर	१५३७
६२०	मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	१५३८
६२१	सांस्कृतिक शोभायात्रा	१५३८
६२२	भारतीय विज्ञान कांग्रेस	१५३८—३९
६२३	सेना के सामान की चोरी	१५३९
६२४	मद्रास राज्य में लोक सहायक सेना शिविर	१५३९
६२५	सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां	१५३९
६२६	नैपाली विद्यार्थी	१५४०
६२७	सरकार द्वारा ली गई पालिसियों पर दिया गया बीमा भुगतान	१५४०
६२८	विज्ञान मन्दिर	१५४०—४१
६२९	कोयला	१५४१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६३० पंजाब में 'देख भाल' कार्यक्रम १५४१—४२

६३१ आय-कर विभाग १५४२

६३२ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग १५४२

६३३ टैक्निकल विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशालय १५४३

६३४ भारतीय क्रिकेट १५४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५४४

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) नीवेली लिगनाइट कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष, १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

(दो) उक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) न्यायिक प्रशासन के सुधार के बारे में विधि आयोग का चौदहवां प्रतिवेदन (खंड १ और २)।

(दो) प्रतिवेदन की सिफारिशों का सारांश।

(तीन) प्रतिवेदन की वर्गीकृत सिफारिशें।

(३) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०५ की एक प्रति।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (निश्चित दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १४८।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ब्राण्ड दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १४९।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः) **विषय** **पृष्ठ**

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति–

(एक) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (निश्चित दरें) नियम १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १५० ।

(दो) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (ब्राण्ड दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करन वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १५१ ।

(तीन) दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १६९ ।

(चार) दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १७० ।

(पांच) दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १८५ ।

(छै) दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १८६ जिसमें सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (हाथ के पम्प) नियम, १९५९ दिये गये हैं ।

(६) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १४ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९१ की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन–उपस्थापित १५४५

पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १५४६

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने नीवेली तापीय बिजली घर के बारे में १५ दिसम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ पर श्रीमती इला पालचौधरी और श्री जयपालसिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित १५४६–४७

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) द्वारा विनियोग विधेयक, १९५९ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार करने के पश्चात् विधेयक को पारित किया गया ।

रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा १५४७—८३

रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, २६ फरवरी, १९५९/७ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिए कार्यावलि—

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० पर और आगे चर्चा ।